Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ६०वां दिवस [संख्या ३७

गुरुवार, १६ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म० प० १२ बज कर १७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : मैं आपको सूचित कर दूं कि माननीय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कुछ आवश्यक कार्य के कारण बाहर पधार गये हैं। इसलिये यह भार आज मुझ को सम्भालना पड़ा है।

करनपुर खण्डार सड़क पर डामर

१०७१. श्री उम्मेदीलाल (करौली-०) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या करनपुर से खण्डार को सड़क जो सपोटरा होती हुई जाती है, उस पर डामर बिछवाने का सरकार इरादा रखती है ?

(२) अगर हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ऐसी कोई सड़क नहीं है। इसलिये डामर बिछवाने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १०७२

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०७३

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०७४

श्री मोतीबाबा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

कस्बा सवाई माधोपुर स्टेशन की सड़क

१०७६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर शहर से स्टेशन के बीच जो तीन माइल का सड़क का टुकडा म्युनिसिपल एरिया के बाहर है तथा पी. डब्ल्यू. डी की तहत में है। उसकी चौड़ाई कम होने के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ?

(२) क्या उस सड़क को चौड़ा करने का सरकार का इरादा है यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

१. सूचना इस प्रकार है।

वर्ष	कब से	कब तक
१६५०	१.५.५०	१२.१.५१
१६५१	१.२.५१	२२.१२.५१
१६५२	२४.३.५२	२४.१.५३
१६५३	१.२.५३	३१.१२.५३
१६५४	१.१.५४	३१.१२.५४
१६५५	१.१.५५	३१.१२.५५
१६५६	१.१.५६	३१.१२.५६
१६५८	१.४.५८	३१.३.५६

२. यह जनवरी १६५६ के पहले हफ्ते में शुरू हुआ।

(प्र० सं० १०७५ का जवाब पढ़ दिया गया)

श्री सभापति : यह आप कौनसे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : क्यों सतीशचन्द्र जी ने सवाल नहीं पूछा १०७५ का जवाब दे रहा हूं।

(हंसी)

श्री सभापति : प्रश्न संख्या १०७६ ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(२) अभी नहीं, अर्थाभाव के कारण ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जानकारी नहीं है, किस बात की जानकार नहीं है ? सड़क की चौड़ाई की जानकारी नहीं है, या पी. डब्ल्यू डी. के अन्तर्गत है, इसकी जानकारी नहीं है या दुर्घटना नहीं होती इसकी जानकारी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सवाई माधोपुर कस्बे तक सड़क जाती है उसकी चौड़ाई कम है। यह कह सकते हैं, बारह फुट आम तौर पर बनाते हैं और इतनी चौड़ी वह भी है। और ज़्यादा चौड़ी की जावे यही आप चाहते हैं। तो इसको चौड़ा करने के लिये धन

Page No.3

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की आवश्यकता है और धन की कम हैं। रहा सवाल जानकारी का सो दुर्घटना की जानकारी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : हम तो चाहते हैं कि सड़क चौड़ी हो पर सरकार क्या चाहती है ? हम लोगों की भावनाओं को देखकर सरकार चौड़ी करना चाहती है या नहीं या फिर अर्थाभाव के कारण नहीं कर सकती या फिर इसकी जरूरत महसूस नहीं करती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूरत महसूस करने की बात करते हैं तो चौड़ी हो जायेगी तो अच्छा होगा, लेकिन उसको चौड़ा करने के लिए पैसे की कमी का सवाल है और जब पैसा अवेलेबल होगा तब कोशिश करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : इस पर करीब कितना एक्सपेन्डीचर आयेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ६० हज़ार रुपये के करीब।

प्रश्न संख्या १०७७

श्री सभापति : श्री पी.के. चौधरी।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : This question has lost its singificance.

प्रश्न संख्या १०७८

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७६

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०८०

श्री रूपाराम।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल।

पलौदड़ा से सराड़ा तक सड़क

१०८१. **श्री देवीलाल** (सारदा-सु) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) पलौदड़ा से सराड़ा, सेमारी, होकर कुरुडा व कल्याणपुर तक जाने वाली सड़क कुल कितने मील है ?

(ख) क्या यह सही है कि सराड़ा, सेमारी, कल्याणपुर तक सड़क पंचवर्षीय योजना में नहीं ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि यह सड़क हर साल वर्षा के दिनों में टूट जाने से जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) (क) ३७ मील।

(ख) अर्थाभाव के कारण।

(ग) जी नहीं। जब अधिक वर्षा के कारण पलौदड़ा, के जड़ व सेमारी के पास

Page No.4

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की नदियों में बाढ़ आ जाती है तब ही कुछ समय के लिए कठिनाई आती है अन्यथा पूरे वर्ष रास्ता चालू रहता है ।

श्रीसभापति : श्री रामेश्वर दयाल ।

बारां नगर में बिजली घर

१०८२. **श्री रामेश्वर दयाल,** (कोटा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बारां नगर में बिजलीघर का निर्माण समाप्त होने पर है ? यदि हां, तो एंजिन कब तक बारां पहुंचने वाले हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां । करीब ७० पर्सेन्ट काम समाप्त हो चुका है । एक इंजन ७५ किलोवाट का बारां पहुँच चुका है और दूसरा १०० किलोवाट सैट भेजने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री रामेश्वरदयाल : बिजली कब तक दी जाने लगेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब सैट लग जायेगा ।

श्री रामेश्वरदयाल : कितना समय लगेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : निश्चित तिथि तो मैं नहीं बता सकता ।

प्रश्न संख्या १०८३

श्री सभापति : श्री वली महोम्मद ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट इकलेरा में नाबालिक लड़की की फरारी का प्रार्थना-पत्र

१०८४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा—सु०) क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अकलेरा सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट की अदालत (ज़िला-झालावाड़) में नन्दी बाई नामकी एक महिला ने यह प्रार्थनापत्र पेश किया था कि मेरी धापू नाम की नाबालिग लड़की को कुछ व्यक्तियों की साजिस से एक लक्ष्मीनारायण नाम के व्यक्ति द्वारा स्थानीय अध्यापिका तारा देवी की मदद से फरार करके अहमदाबाद बेचने के लिए ले जाया गया है ?

(२) यदि हां, तो इस बारे में स्थानीय पुलिस ने क्या कदम उठाया ।

(३) क्या यह सही है कि इस लड़की को अहमदाबाद में बेचकर ३२००) रु० की रकम भी लक्ष्मीनारायण नाम के व्यक्ति ने ले ली है ?

(४) क्या पुलिस ने उस लड़की तथा मुलजिमों को साथ लेकर अहमदाबाद तक जाकर जांच की है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां ।

(२) पुलिस ने मुकदमा जेर दफा ३६६ आई०पी०सी० कायम किया और लक्ष्मीना-

Page No.5

(श्री रामकिशोर व्यास)

रायण, कन्हैयालाल; तारादेवी वा मांगीबाई का चालान किया।

(३) जी नहीं, यह सच नहीं है।

(४) जी हां।

प्रश्न संख्या १०८५

श्री सभापति : श्री तेजाराम गहलोत

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह।

आर० ए० सी० के टी० बी० से पीड़ित सिपाहियों को इलाज की सुविधा

१०८६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आर० ए० सी० के कितने सिपाही गत दो वर्षों में टी० बी० के रोग से पीड़ित हुए ?

(ख) उक्त रोग को रोकने के लिए क्या साधन और सुविधा तथा चिकित्सा की क्या क्या व्यवस्था की गई है ?

(ग) क्या पुलिस दल के लिए टी० बी० सेनोटोरियम में कोई विशेष व्यवस्था की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) आर० ए० सी० में गत दो वर्षों में ३२ कर्मचारियों पर टी० बी० का प्रभाव हुआ।

(ख) उनका मुफ्त इलाज किया गया और अस्पताल में प्राप्त दवाइयां दी गई।

(ग) अभी तक नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : सिपाहियों के अन्दर टी० बी० को रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है कि उनको टी० बी० नहीं हो ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब रोग होता है उसका इलाज करते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है आर० ए० सी० के सिपाहियों के खाने की अव्यवस्था है जिसके कारण इस रोग से ग्रसित होना पड़ता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : खाने की व्यवस्था खराब तो नहीं है लेकिन गरीब लोग हैं, यह मैंने बताया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आर० ए० सी० के सिहाहियों का इलाज कहां करवाया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो अलग अलग के लिए अलग अलग व्यवस्था करवाई थी।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार ने आर० ए० सी० के सिपाहियों के लिए सेनोटोरियम में कोई सुरक्षित व्यवस्था की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है ? हॉस्पीटल वाले रिजर्व ही नहीं करते हैं। वहां उनके यहां ही मरीजों की संख्या ज्यादा है। We are trying to do.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या मैडीकल विभाग को इस बात के लिए रिक्वेस्ट की है कि जिन आर० ए० सी० के सिपाहियों को टी० बी० हो उनके लिए पृथक व्यवस्था करें।

श्री रामकिशोर व्यास : हां, रिक्वेस्ट की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन लोगों को दवाइयों के लिए आर्थिक सहायता दी गई थी?

श्री रामकिशोर व्यास : उनको हॉस्पीटल से दवाइयां दी जाती हैं वह तो दी ही जाती हैं और जो दवाइयां अपने पास से वह खरीद कर लाते हैं तो उनका पेमेन्ट उनको हो जाता है।

डॉ० बहादुरसिंह : इसके सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग ने क्या जवाब दिया है?

श्री रामकिशोर व्यास : बातचीत चल रही है।

प्रश्न संख्या १०८७

श्री सभापति : श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०८८

श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात।

कोटड़ा और गोगुन्दा तहसीलों की सड़कों का निर्माण कार्य

१०८९. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर ज़िले के कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसीलों में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी सड़कें ली गई हैं? और किस किस पर कितनी कितनी रकम खर्च की जायेगी?

(ख) उदयपुर से गोगुन्दा होकर राणकपुर जाने वाली सड़क पर सन् '५१ से '५८ तक कितनी रकम खर्च की गई है?

(ग) क्या वहां के निवासियों की तरफ से सिर्फ १० मील के टुकड़े को पूरा करने के लिए कोई मांग आई थी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूचना संलग्न है।

(ख) १. उदयपुर गोगुन्दा रोड
५,६१,००० रु०

२. गोगुन्दा सायरा रोड
१,३८,००० रु०

(ग) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात : तीसरा प्रश्न जो है उसमें सायरा से राणकपुर रोड के लिए साफ नहीं बताया।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह राणकपुर तो बीच में आता है।

उदयपुर गोगुन्दा रोड़ ५,६१,००० रु०

गोगुन्दा सायरा रोड़ १,३८,००० रु०

श्री लक्ष्मण हीरात : यह बीच में नहीं आता है। बिलकुल अलग है। सायरा से राणकपुर रोड़ अलग से और उदयपुर से गोगुन्दा रोड़ अलग है।

श्री नाथूराम मिर्धा : There is a fair weather road between these 12 miles portion from Sayara to Raunakpur. There exists no provision for remaining portion of road from Udaipur to Rannakpur.

श्री सभापति : But that is not his question आपका प्रश्न अलग है।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या सरकार ने कोई एस्टीमेट बनाया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी उसके लिए सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में कोई प्रोविज़न नहीं है। वहां पर फेयरवैदर रोड़ बनी हुई है।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या सरकार का इरादा है इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तृतीय पंचवर्षीय योजना बनेगी फिर तो बहुत सी बातों पर विचार किया जायेगा और इस पर भी सोच लेंगे।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या सरकार का ध्यान है कि इस रोड के बन जाने से बहुत से मुसाफिरों को आसानी हो जायेगी इसलिए क्या सरकार इसे जल्दी कराने की कोशिश करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़क बनाने से सबको फायदा होता ही है।

प्रश्न संख्या १०६०

श्री सभापति : श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०६१

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह।

पंचायत विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का उनके जिले से बाहर ट्रान्सफ़र

१०६२. श्री **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पंचायत विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके ज़िलों के बाहर किये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो किस किस के, कहां से कहां किये गये हैं ?

Page No.8

(श्री मोहरसिंह)

(ग) यदि हां, तो क्या संचालक पंचायत विभाग ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की है ? यदि हां तो क्या उनके विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) (१) श्री बाघसिंह जोधपुर से नागौर

(२) श्री बुद्धिया जोधपुर से बाड़मेर

(३) श्री मगनीराम चित्तौड़ से पाली

(४) श्री पूनमचन्द उदयपुर से भीलवाड़ा

(५) श्री मूलचन्द बूंदी से टोंक

(६) श्री धर्मचन्द अजमेर से भरतपुर

(७) श्री मोहनलाल कोटा से झालावाड़

ये ७ कर्मचारी हैं ।

(ग) जी नहीं ।

प्रश्न संख्या १०६३

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला ।

जयपुर म्युनिसिपल क्षेत्र में कुओं को बिजली

१०६४ डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री, विद्युत विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत स्थित लाल कोठी, रामपुरा, गोपालपुरा, भोजपुरा, स्वेज़फार्म आदि क्षेत्र में कितने कुओं में बिजली के पम्प लगे हुए हैं ? क्षेत्रवार सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(२) इनमें से कितने पम्प २४ घंटे के लिए हैं और कितने सीमित घंटों में चलते हैं ? इनके चालू रखने का समय कब से कब तक का है ?

(३) क्या यह सच है कि जो समय पम्प चालू करने का निर्धारित है वह किसानों के लिए बड़ा असुविधाजनक है ?

(४) क्या सरकार किसानों की इन असुविधाओं को मिटा कर अनुकूल समय में पम्प चालू रखने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) सूची संलग्न है ।

(२) जिनके समय पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है सूची में उनका नाम अंकित कर दिया गया है ।

(३) परिस्थिति के अनुसार सुविधा व असुविधा का ध्यान रखकर ही इन लोगों ने

Page No.9

(श्री रामकिशोर व्यास)

सीमित घन्टों में बिजली लेना स्वीकार किया है।

(४) अभी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : क्या जब सीमित घंटों में बिजली के पम्प लगाये जा रहे थे उस समय आश्वासन दिया गया था कि बिजली २४ घंटे जल्दी ही मिलने लग जायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : आपने तीसरे के उत्तर में बताया कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता तो क्या यह किसानों की ओर से उत्पन्न नहीं होता या सरकार की ओर से उत्पन्न नहीं होता और नहीं होता तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि बिजली नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार किसानों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा प्रयत्न कर सकती है कि उनको किसी तरह से सुविधा हो जाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, सैट लगने के बाद खूब बिजली देंगे।

डॉ० चन्द्रकला : यह सैट कब तक लग जाने की उम्मीद है ?

श्री रामकिशोर व्यास : दो साल में।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या दो साल में २४ घंटे पम्पों को बिजली मिलने लग जायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : आज के दिन इस तरह का कोई कमिटमेंट तो नहीं किया जा सकता लेकिन कोशिश की जायेगी।

डॉ० चन्द्रकला : तो जयपुर शहर में बहुत सी ऐसी चक्कियां हैं जो कि रात को भी चल सकती हैं। इनका समय सीमित करके और रात को समय बचाकर दिन को समय दिया जाये तो इसके लिए सरकार क्या सोचती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : चक्की वालों को भी रात को देते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए।

प्रश्न संख्या १०६५

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल।

(अनुपस्थित)

सूरजपोल भरतपुर की जाटव बस्ती के विकास की योजना

१०६६. **श्री गोवरधनसिंह केन** (बयाना—सु० डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सूरजपोल की जाटव बस्ती में नगरपालिका भरतपुर ने सन् ५१ से आज तक उसके विकास की सुविधा के लिये कितना रुपया व्यय किया ? यदि नहीं, तो क्यों व क्या भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई योजना है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अब तक कोई रुपया व्यय नहीं किया गया है। अब सड़क बनवाई जा रही है। जो शीघ्र ही तैयार हो जावेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सन् ५१ से ५६ तक ८ वर्षों में बस्ती के अन्दर कोई कार्य नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपैलिटी बता सकती है। म्युनिसिपैलिटी की प्रोपर्टी है जैसी उनको सुविधा होती है उसके मुताबिक करते हैं।

वन विभाग के अधिकार में भूमि

१०६७. श्रीरामचन्द्र (डग सु०) : क्या मंत्री वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झालावाड़ ज़िले में तहसील वार कितनी कितनी भूमि वन विभाग के अधिकार में है जो बीड़ के नाम से सरकारी कागजों में दर्ज हैं अथवा जिस पर केवल घास और झाड़ियां उगती हैं ?

(२) इन भूमियों पर अब तक कितने क्षेत्रफल में नये जंगल उगाये गये हैं ?

(३) भविष्य में इन भूमियों के विकास हेतु सरकार की क्या नीति है ?

वनमंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) झालरापाटन, पंचपहाड़ और भवानी मंडी २६७५ एकड़, असनावर ११६६ एकड़, अकलेरा २४१४ एकड़, मनोहरथाना ३४६५ एकड़, बकानी २२७० एकड़, खान- पुर २७०० एकड़, पिड़ावा, चौमहला गंधार और डग २२४५ एकड़।

(२) ३०० एकड़।

(३) जहां संभव होगा प्लान्टेशन किया जावेगा और बाकी के क्षेत्र घास व चराई के लिये बने रहेंगे। उनमें रोटेशनल ग्रेज़िंग की स्कीम लागू की जावेगी।

श्री रामचन्द्र : सभापति महोदय, जितने जंगल काटे गये हैं उसकी अपेक्षा जंगल बहुत कम उगाया गया है। यदि यही हालत रही तो उस ज़िले के तमाम जंगल नष्ट हो जायेंगे, इसलिए क्या सरकार की आज नीति है कम जंगल उगाने की ? जंगल को बचाने के लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका सवाल था कि चराई के लिए बीड़ की ज़मीन कितनी है ? और झालावाड़ ज़िले में जंगल कितने काटे गये हैं यह पूछ रहे हैं। उसके आंकड़े मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ कि जंगल का कटिंग जो है वह एक वर्किंगप्लान के अनुसार होता है। वर्किंग प्लान के अनुसार जितना रीज़नेबल समझते हैं उतना कटवाते हैं। रहा नये प्लान्टेशन का सवाल। उस पर काफ़ी खर्चा पड़ता है। जितना जितना प्रोविज़न जिस जिस इलाके के लिए है उस प्रोविज़न का पूरा पूरा उपयोग करके प्लान्टेशन जरूर कराते हैं। झालावाड़ ज़िले में जितना प्लान्टेशन किया है वह बताया है।

श्री रामचन्द्र : जितने क्षेत्रफल का जंगल काटा गया और हर साल इसी तरह से जंगल काटा गया तो और जंगल उसकी

(श्री रामचन्द्र)

अपेक्षा में कम उगाया गया तो जंगल वहां के सारे नष्ट हो जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इस बात से निश्चिन्त रहें। सारा काम बराबर नियम से हो रहा है और जंगल काटने के सिद्धान्त के अनुसार हो रहा है।

श्री रामचन्द्र : ३०० एकड़ जंगल लगाया गया है उसके अपेक्षा हज़ारों एकड़ जंगल काट दिया गया है।

श्री सभापति : सिस्टेमैटिक फाल होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ३०० एकड़ के आंकड़े सिर्फ इस इलाके के लिखे हैं। दूसरे इलाके में और हैं।

श्री रामचन्द्र : मेरा प्रश्न अपने ज़िले के लिए है। मेरा निवेदन करना यह है कि झालावाड़ ज़िले में जंगल ज्यादा क्वान्टिटी में काटे जा रहे हैं उसकी अपेक्षा कम उगाया जा रहा है। इसलिए जंगल की दशा बिगड़ती जा रही है।

बांसवाड़ा ज़िले की सिंचाई योजनाएं

१०६८. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बांसवाड़ा ज़िले में सन् १९५६, ५७ व ५७, ५८ कितने सिंचाई के तालाब व लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत कराई गई, और कितनी नई योजनाएं व नये तालाब सिंचाई के लिये बनाये गये ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ख) इन तालाबों व लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे कब हुआ. उनसे कितनी भूमि की सिंचाई होगी और अब तक कितनी भूमि की सिंचाई हुई ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सिंचाई के तालाब व लघु सिंचाई की योजनाओं की मरम्मत कराई गई तथा नई योजनाओं तथा नये तालाब सिंचाई के लिये बनाये गये उसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) इन तालाबों व लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे कब हुआ, उनसे कितनी भूमि की सिंचाई होगी और अब तक कितनी भूमि की सिंचाई हुई ?

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

जोधपुर के सूरसागर व चांदपोल एरिया में पशु चिकित्सालय

१०६६. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु०) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि जोधपुर में सूरसागर व चांदपोल एरिया में अभी तक किसी भी किस्म का पशु चिकित्सालय नहीं है जब कि वहां दूसरे स्थानों से अधिक पशु हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही वहां पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): जी हां। किन्तु वहां पशु केवल बरसात में ही अधिक

(श्री नाथूराम)

पाये जाते हैं और फिर रातानाड़ा में स्थित पशु चिकित्सालय बहुत दूर भी नहीं है।

(ख) जी नहीं इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

प्रश्न संख्या ११००

श्रीसभापति : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सं० १०७२

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० १०७३

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० १०७४

श्री मोतीबाबा चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़

१०७५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५० से आज तक कौन कौन सी तारीख को सब–इन्सपेक्टर केडेट्स इनिशियल कोर्स,पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ में शुरू हुआ और कौन कौन सी तारीख को खत्म हुआ ?

(२) सन् १९५९ का सब इन्स्पेक्टर इनिशियल कोर्स कब शुरू हो रहा है ?

(३) पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कितने क्लास रूम है और कितनी क्लासेज़ इस वक्त चल रही हैं ?

(४) जनवरी १९५९ में कितनी क्लासें आई. पी. एस, आर. पी. एस. प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्स्पेक्टर, सब-इन्सपेक्टर्स रिफरेशर कोर्स और एस. आई. केडेट न्यू एन्ड ओल्ड की हो गई है ?

(५) क्या एस. आई. केडेट की आउट डोर ट्रेनिंग आर. पी. एस. के साथ चल रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	कब से	कब तक
१९५०	१.५.५०	१२.१.५१
१९५१	१.२.५१	२२.१२.५१
१९५२	२४.३.५२	२४.१.५३
१९५३	१.२.५३	३१.१२.५३
१९५४	१.१.५४	३१.१२.५४
१९५५	१.१.५५	३१.१२.५५
१९५६	१.१.५६	३१.१२.५६
१९५८	१.४.५८	३१.३.५९

Page No.13

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) यह जनवरी सन् १६५६ के पहले हफ्ते में शुरू हुआ ।

(३) पांच क्लास रूम हैं और पांच क्लासें चल रही हैं ।

(४) जनवरी १६५६ से निम्नलिखित पांच क्लासें चल रही हैं ।

सी. आई. व एस. आई का रिफरेशर कोर्स ।

सी. आई. का प्रारम्भिक कोर्स ।

पी. एस. आई. का प्रारम्भिक कोर्स ।

आई. पी. एस. ऑफिसर्स का आगे का कोर्स ।

आर. पी. एस. ऑफिसर्स का प्रारम्भिक कोर्स ।

(५) जी नहीं । दोनों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है ।

प्रश्न संख्या १०७७

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : १०८८ का जवाब दिलाया जाय ।

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया जाय ।

श्री सभापति : आप समय पर नहीं थे, खैर ।

ग्राम पंचायत जसरासर में बन रहे मिडिल स्कूल भवन की बाबत डायरेक्टर पंचायत के आदेश

१०७३. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या डाइरेक्टर, पंचायत विभाग द्वारा कोई आदेश नं० ४७८५६ दिनांक २१.११.५८ ई० को ग्राम पंचायत, जसरासर, तहसील नोखा (ज़िला बीकानेर) में बन रहे मिडिल स्कूल भवन के बाबत जारी किया गया था ? अगर हां, तो वह क्या था ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां, पंचायत द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवन के स्थान की उपयुक्तता के विषय में था ।

श्री गिरधारीलाल : उस ऑर्डर का पालन हुआ या नहीं ? ग्राम पंचायतों ने पालन किया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ग्राम पंचायत को इस संबंध में दुबारा लिखकर भेजा है । इससे मालूम होता है कि पालन नहीं हुआ है ।

श्री गिरधारीलाल : दुबारा कब लिख कर भेजा गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब उनके पास चिट्ठी पहुँची उसके बाद लिखकर भेजा है कि पहला स्थान ठीक था उस पर दुबारा विचार किया जाय ।

श्री गिरधारीलाल : दुबारा विचार क्या किया जा रहा है। आपने आदेश दिया है यह किस आधार पर आदेश दिया था और डाइरेक्टर ने जो आदेश दिया है वह किस आधार पर दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी शिकायत थी कि पंचायत ने पहले के स्थान पर बनाना स्थगित कर दिया था। उस पर दो हज़ार का खर्चा हो चुका था उसके बाद स्थान बदल दिया। जब स्कूल वगैरह के भवन बनाते हैं तो भवन बनाने के लिए गवर्नमेंट की सेन्क्शन लेनी चाहिए थी वह नहीं ली इसलिए रुकावट हुई।

श्री गिरधारीलाल : उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर पंचायत के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कार्यवाही के लिए मैंने निवेदन किया है कि दुबारा लिख कर दिया है कि पहले वाला ही स्थान उपयुक्त है इसलिए विचार किया जा रहा है। और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : किस जगह के लिए विचार कर रहे हैं और किस आधार पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुबारा रिपोर्ट आई है कि पहले का एलोकेशन है वह करेक्ट है तो उनको लिखा गया है कि दुबारा विचार करके उस पर आगे कार्यवाही की जाय।

श्री गिरधारीलाल : कब तक कर लिया जायगा। स्कूल भवन बन चुका है। पहले भी आधा बना हुआ पड़ा है। दूसरा बन चुका है। अब क्या विचार कर रहे हैं ? वह मकान का मामला था। कब तक विचार कर लिया जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही विचार हो जायगा।

प्रश्न संख्या १०७७

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७६

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

बीकानेर ज़िले के गांवों में गैर मकबूज़ा बंजड़ भूमि पर कब्ज़ा

१०८०. **श्री रूपाराम पंवार** (नोखा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर ज़िले के कितने गांव राजस्थान केनाल के अन्तर्गत आते हैं। कितनी एकड़ भूमि को इस योजना से लाभ पहुँचने की संभावना है ?

(ख) सम्वत् २०१२ से २०१४ तक उपरोक्त गांवों में कितना मकबूज़ा बंजड़ भूमि सरकारी थी ? सालवार बताया जाय और सं० २०१५ में कितनी बाकी रही ?

(ग) सम्वत् २०१५ तक गैर मकबूज़ा

(श्री रूपाराम पंवार)

बंजड़ पर कैसे कब्जा किया गया है ? और उसमें कितने काश्तकार पेशा हैं और कितने गैर काश्तकार हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखी जावे ।

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सभापति महोदय, इसकी सूचना एकत्रित करने में एक महीना लगेगा ।

बाड़मेर ज़िले में सस्ते धान की दुकानें

१०८३. श्री **वली मोहम्मद** (चोहटन) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाड़मेर ज़िले में सस्ते धान की कुल कितनी दुकानें हैं ?

(ख) क्या रूरल एरिया में भी कोई सस्ते धान की दुकानें हैं ?

(ग) क्या सरकार २ साल से कहतसाली वाले गांवों में भी कोई दुकान खोलेगी ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार की यह नीति है कि ५००० से कम आबादी वाले गांवों में कोई सस्ते धान की दुकान नहीं खोली जावे ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) बाड़मेर ज़िले में सस्ते अनाज़ की कुल ३४ दुकानें हैं ।

(ख) जी हां, सस्ते धान की दुकानें हैं ।

(ग) इन गांवों में अभी सस्ते धान की दुकानें खोलना संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से बहुत दूर पड़ते हैं । आवागमन के साधन सुलभ नहीं हैं ।

(घ) भारत सरकार से आया हुआ गेहूं इतना आया हुआ नहीं है कि गांवों में जिनकी आबादी ५००० से कम है दुकानें खोली जायं । दूसरी बात यह है कि गांव वाले मोटे अनाज़ पर निर्भर करते हैं । इस लिए यह संभव नहीं है ।

श्री वली मोहम्मद : जहां बहुत ज्यादा कहतसाली है वहां दुकानें क्यों नहीं खोली जाती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोर्स ग्रेन वहां काम में लिया जाता है । यदि आप कहें तो आज भी भिजवा दूं ।

श्री वली मोहम्मद : वहां पर सस्ते अनाज़ की दुकानें खोलने की काफी डिमान्ड है लेकिन कलेक्टर साहब खोल नहीं रहे हैं इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप बतलाइये जहां कमी हो वहां खुलवा दूं ।

'की' विलेज स्कीम

१०८५. श्री **तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या मंत्री पशु पालन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 'की' विलेज स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान में कहां कहां पर कार्य हो रहा है ?

(ख) उक्त स्कीम पर एक्सपर्ट्स की क्या राय रही है व किस २ एक्सपर्ट ने इस बारे में अपनी राय कब २ दी है ?

Page No.16

मंत्री पशु पालन विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) 'की' विलेज़ स्कीम के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर कार्य हो रहा है। अलवर, बस्सी, बीकानेर महाज़न, जोधपुर, सांचोर, अजमेर, केकड़ी, मसूदा, झालरापाटन और नागौर।

(ख) उक्त स्कीम पर विशेषज्ञों की अच्छी राय रही है व श्री टी. नारायण विशेषज्ञ ने अगस्त-सितम्बर, १९५७ और श्री महाज़न ने अगस्त '५८ में राय दी है।

श्री तेजाराम : क्या 'की' विलेज़ स्कीम में जयपुर शहर में कोई काम चल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ?

डिस्ट्रिक्ट वेटेरीनेरी हॉस्पिटल, पाली

१०८७. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर-सु०) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पाली डिस्ट्रिक्ट वैटेरीनेरी हॉस्पिटल में ताराचन्द नामक कोई व्यक्ति काम करता है ?

(२) क्या यह व्यक्ति दलित जाति का है, तथा बराबर मेहतर का काम करता है ?

(३) क्या वैटेरीनेरी हॉस्पिटल, पाली में फरवरी १९५९ में ड्रेसर की जगह ताराचन्द का हक होते हुए भी दूसरे को मुकर्रर कर दिया ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) श्री ताराचन्द ड्रेसर के पद के लिए अयोग्य होने की वज़ह से उसे ड्रेसर के पद का अवसर नहीं दिया गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : उसकी अयोग्यता में क्या यह भी शामिल था कि वह हरिज़न था और इसलिये नहीं रखा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो उसकी योग्यता थी। लेकिन असल बात यह थी कि वह पढ़ा लिखा नहीं था। नाम भी पढ़ना नहीं जानता था। जहां टिंचर लगाना हो वहां और दवाई लगा दे तो मुश्किल हो जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ड्रेसर की क्वालिफिकेशन क्या थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो कि हिन्दी अंग्रेजी के नाम पढ़ सके।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : दूसरे आदमी की योग्यता क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो है।

आबू तथा आबूरोड़ में बिजली की दरों में कमी

१०८८. **श्री दलपतसिंह** : (आबू-रावराजा श्री सरदारसिंह द्वारा पूछा गया)

Will the Minister for power be pleased to answer

Page No.17

(श्री दलपतसिंह)

(a) What steps does the Government propose to take to reduce the electric charges at Abu and Abu Road ?

(b) Is the Government aware that the electric charges at Abu are the highest in Rajasthan ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) According to the prescribed limit of profit under the Electricity (Supply) Act, 1948, the supply companies are to adjust their rates. Government can interfere only when there is any violation of the provision of the Act.

(b) Government are aware that these rates are not the highest in Rajasthan.

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सिरोही में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज लगते हैं उनमें और आबू में चार्जेज़ लगते हैं उनमें कुछ अन्तर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेन्ट की नहीं है ।

श्री रावराजा सरदारसिंह : प्राइवेट कंपनी की ही दूसरे स्थान पर कम रेट है तो आबू में ज्यादा रेट क्यों है ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेट्स हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अलग अलग रेट्स को रेशनेलाइज़ करने के बारे में आप सोच रहे हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग पॉवर हाउसेज़ है । खर्चे पर दारोमदार है ।

प्रश्न संख्या १०६०

श्री सभापति : श्री शिवचरणदास ।

(अनुपस्थित)

वन विभाग के फोरेस्टरों का फिक्सेशन

१०६१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा), (श्री भैरवलाल 'कालाबादल' द्वारा पूछा गया) : क्या मन्त्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या वन विभाग में फोरेस्टरों का फ़िक्सेशन हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या उक्त फिक्स्ड किये फोरेस्टर्स को उनका एरियर तथा वार्षिक इन्क्रीमेन्ट मिल चुका है ? यदि हां तो कितनों को ? यदि नहीं, तो अभी तक नहीं मिलने का क्या कारण है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, दिनांक ७-७-५६ को ।

(ज) जी हां । १६१ को मिल चुका है और ६६ को मिलना शेष है । इनको एरियर न मिलने की वजह यह है कि कुछ ने डिक्लेरेशन फार्म नहीं भरा, कुछ का रेकार्ड न मिलने से फिक्सेशन एप्रूव नहीं हुआ और कुछ का एरियर बिल प्रिऑडिट होने गये हैं ।

Page No.18

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : रेकॉर्ड नहीं मिला उसके लिये क्या क्या किया जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ढूंढ रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जब निर्णय हो चुका कि नहीं मिला तो फिर ढूंढेंगे कहां से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कागज ढूंढते ढूंढते कुछ तो मिल ही जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : जब नहीं मिल रहा है तो ढूंढूने से क्या होगा ?

श्री सभापति : शायद किसी दूसरी फायल में मिल जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं मिलेगा तो देखा जायगा। क्या प्रोसिजर निकालेंगे, यह फाइनेन्स का काम है।

प्रश्न संख्या १०६३

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०६५

श्री चुन्नीलाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११००

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न संख्या १०७२ इम्पोरटेन्ट प्रश्न है इसका उत्तर दिया जाय।

श्री सभापति : Yes

सोने का तस्कर व्यापार

१०७२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में इस वर्ष सोने का तस्कर व्यापार कहां कहां पकड़ा गया ?

(२) इसमें कुल कितना सोना बरामद किया गया ?

(३) कितने आदमी पकड़े गये, उनमें से किस किस को सज़ा हुई ?

(४) बीकानेर शहर में कितने आदमियों के नाम सोने के तस्कर व्यापारियों में दर्ज हैं ?

(५) क्या इन लोगों पर पुलिस निगरानी रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : पुलिस द्वारा सन् १६५८ में तस्कर सोना नहीं पकड़ा गया।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है

(४) यह कॉन्फिडेन्शियल रिकार्ड है और इसलिये जनहित में उनके नाम बतलाना जरूरी नहीं है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(५) जी हां, उनकी हलचल गुप्त रूप से देखी जाती है।।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ५६ की साल में एक भी तस्कर व्यापारी नहीं पकड़ा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ५६ में कोई नहीं पकड़ा गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : ५६ में सोने के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में नाना प्रकार की घटनाओं का वर्णन पत्रों में आया है, क्या वह सच नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ५८ में पकड़े गये हैं ५६ में नहीं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वर्ष ५८-५६ है या खाली ५६ है ?

श्री मुरलीधर व्यास : ५८-५६ के वर्ष से मेरा मतलब है ।

श्री रामकिशोर व्यास : ५८ की साल के फिगर्स बता सकता हूं जो इस प्रकार हैं : सन् ५८ में १७, ६१५ तोला ५ रत्ती सोना पकड़ा गया और २६१ स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह स्मगलिंग किस इलाके में हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिला जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, नागोर, बीकानेर और गंगानगर । ये आप ही के इलाके के बोर्डर्स हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर के कौन कौन स्मगलर्स हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डिविज्युअल्स कौन कौन हैं, मैं नहीं बता सकता । लेकिन गये साल ३ लाख रुपयों का सोना पकड़ा गया मोटे तरीके से बीकानेर में ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह बात सही है कि तस्कर व्यापारियों ने लगभग २।। करोड़ रु० का सोना जुलाई ५८ से अगस्त ५८ तक पोस्ट पार्सल से बाहर भेजा है ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये नोटिस चाहिये, बगैर जानकारी के क्या कहा जा सकता है ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : नं (३) के जवाब में आपने कहा कि कॉन्फिडेन्शियल है, इसमें क्या कॉन्फिडेन्शियल है, कितने आदमी पकड़े गये इनकी संख्या बता दीजिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : संख्या बता दी है, २६१.

श्री मुरलीधर व्यास : इनमें से सज़ा किस किस को हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अर्ज नहीं कर सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : फैसला किसी का नहीं हुआ क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह भी अर्ज नहीं कर सकता । यह कॉग्नीजेबल ओफेन्स नहीं है । पुलिस को जहां माल होने की इत्तला मिलती है वहां सीज कर लेते हैं और

(श्री रामकिशोर व्यास)

माल को और मुलजिम को लैंड कस्टम्स के हवाले करते हैं। वे उन पर मुकद्दमा चलाते हैं। इसलिये हमारे पास इसका रेकॉर्ड नहीं है जिससे बता सकें कि २६१ में से कितनों को सज़ा हुई।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जोधपुर में तस्कर व्यापारियों ने सेल्स टैक्स के फिक्टिशियस नम्बर ले रखे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बही पत्ते जब्त किये उनमें फिकटिशस नम्बर हैं।

श्री पी० के चौधरी : इसके लिये आपने क्या किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुकद्दमे बना रखे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई केस इस प्रकार का है, जितने सारे केसेज़ पकड़े गये उनमें से, जैसा आप कहते हैं कि १७००० तोला सोना इस प्रकार पकड़ा गया, उसमें ऐसा कुछ हुआ कि जब पकड़ा गया, तब सोना था, और जब निर्णय होने का मौका आया, तब पीतल बन गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी जादू की बात आई नहीं। आप अलग से प्रश्न पूछे तो मैं पूरी जानकारी करके बता दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बात निश्चित् है कि पहले सोना पकड़ा गया और बाद में पीतल करार दिया गया। यह बात निश्चित है कि इस प्रकार जो १७००० तोला सोना कहते हैं, वह पीतल हो गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप कह रहे हैं तो सच हो सकता है। वैसे यह सवाल से कनेक्टेड नहीं है।

(घंटी)

श्री पी० के० चौधरी : जो जोधपुर में बही खातों में जो फिक्टीशियस एन्टरीज मिली हैं, उसके लिये आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि मुकद्दमा बना रहे हैं, बही खातों को एग्ज़ामिन कर रहे हैं, जैसे केसेज़ कम्प्लीट किये जा रहे हैं, उन्हें हैंड ओवर किया जा रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने चालान किया है आज तक ?

श्री रामकिशोर व्यास: वे करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : कौन करेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कस्टम वाले।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि सेन्ट्रल एक्साइज़ विभाग ने कहा है कि आप केस चलाइये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह है कि जो केसेज़ हैं, उनको दे दिये जांय।

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that the Central Customs asked you that you should prosecute these men.

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात सही नहीं है, स्मगलिंग के मामले वे चलाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या १६५८ के बाद ऐसी घटना नहीं हुई या १६५८ के बाद केसेज़ पकड़े नहीं गये, क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पकडा नहीं गया, कोई घटना नहीं हुई। आज कल सोना आ नहीं रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : अधिकारियों की अयोग्यता है यह कारण ही हो सकता है।

(घंटी)

श्री रामकिशोर व्यास : पाकिस्तान से सोना आ नहीं रहा है।

१२. ५१ म० प०

सर्व श्री मुरलीधर व्यास, मोहरसिंह, सतीशचन्द्र अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री सभापति ; ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुरलीधर व्यास ने जो प्रिविलेज़ मोशन दिया था, वह ऑनूरेबल स्पीकर के विचाराधीन है। उसका बाद में निर्णय दिया जायेगा।

इसी तरह एडजोर्नमेंट मोशन श्री मुरलीधर व्यास का डेटेड १५-४-५६ का है, श्री मोहरसिंह का १५-४-५६ का है और श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का १६-४-५६ का है। इनके फेक्ट्स गवर्नमेंट से लिये जा रहे हैं। गवर्नमेंट से फेक्ट्स आने के बाद इन पर निर्णय दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का दूसरा एडजोर्नमेंट मोशन १६-४-५६ का है। इसके फेक्ट्स भी गवर्नमेंट से असर्टेन किये जा रहे हैं। फेक्ट्स प्राप्त होने पर निर्णय दिया जा सकेगा।

तीसरा एडजोर्नमेंट मोशन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का १६-४-५६ का है, गवर्नमेंट से फेक्ट्स असर्टेन किये जा रहे हैं। फेक्ट्स आने पर निर्णय दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : एड-जोर्नमेंट किस किस बात के हैं ?

श्री गिरधारीलाल : एक एडजोर्नमेंट मोशन मेरा था।

श्री सभापति : आप चाहें तो पढ़ कर कर सुनाऊ ?

डॉ० बहादुरसिंह : पढ़ कर सुनाना जरूरी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : सुना दीजिये, हाउस को पता लग जायेगा।

श्री गिरधारीलाल : मेरा एडजोर्नमेंट मोशन था।

डॉ० बहादुरसिंह : एडजोर्नमेंट मोशन्स पर निर्णय नहीं हो जाय तब तक नहीं पढ़े जायं।

श्री गिरधारीलाल : मेरा एडजोर्नमेंट मोशन था।

श्री सभापति : आपका था ?

डॉ० बहादुरसिंह : जब तक निर्णय न हो जाय, तब तक नहीं पढे जायं।

श्री भैरोंसिंह : चेयर ने तय कर दिया है कि उनको पढ़ कर सुना दिया जायेगा।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। मैं संक्षेप में बता दूं। पहला एडजोर्नमेंट मोशन श्री मुरलीधर व्यास का है, वह है with regard to press correspondents in Bikaner. दूसरा श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का १६-४-५९ का एडजोर्नमेंट मोशन है वह है regarding dispute between the Labour union and the managment of Man Industrial Corporation, तीसरा है श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का, वह है regarding Road accidents in Jaipur, traffic police arrangements. संक्षेप में मैंने निवेदन कर दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन खास कर पत्रकारों के अरेस्ट करने के सम्बन्ध में मूव किया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर एडजोर्नमेंट मोशन इसलिए मूव किया जाता है कि उसका जवाब हमको जल्दी मिल सके और जो असंतोष है वह दूर किया जा सके। जब कि पांच दिन की छुट्टी है, और एक दिन पहले मैं एडजोर्नमेंट मोशन मूव कर चुका हूँ, इस बीच में आसानी के साथ में जानकारी दी जा सकती थी। ऐसे मामले में, जब कि मन्त्री महोदय, को मालूम है कि पांच दिन की छुट्टी हैं, छुट्टी की जानकारी होते हुए भी इस प्रकार से इस बात को कहा जाता है, मैं समझता हूं यह अत्यन्त ही गलत परम्परा है और इस परम्परा को ठीक करने के लिए आप एक मात्र हमारे लिए सम्बन्धित व्यक्ति हैं, जिनके ज़रिये यह परम्परा ठीक की जा सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की जानकारी मन्त्री महोदय को है और वे बड़ी आसानी के साथ में सरकारी स्तर पर जवाब दे सकते हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी घटना····

(घंटी)

श्री सभापति : आप अपना स्थान ग्रहण करिये। जब तक फेक्ट्स सामने नहीं आ जायेंगे, यह तय नहीं किया जा सकता कि यह एडमिसिबल हो सकता है या नहीं। पूरी जानकारी स्पीकर महोदय को प्राप्त न हो उस वक्त तक निर्णय नहीं दिया जा सकता ...

श्री मुरलीधर व्यास : इसकी जानकारी····

(घंटी)

श्री सभापति : इसलिए जब तक पूरे फेक्ट्स सामने न आ जायं, उस वक्त तक निर्णय नहीं दिया जा सकता।

(श्री मुरलीधर व्यास के खड़े होने पर)

प्लीज। इसमें ऐसा है कि पांच दिन बाद ज्यों ही असेम्बली मिलेगी, उस वक्त इसे ले लिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें फेक्ट्स का सवाल नहीं है ....

(घंटी)

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं। वह यह करना चाहता हूं।

(घंटी)

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि इसका निर्णय पांच दिन बाद में होगा। मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए क्या कोशिश की गई।

(घंटी)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण कीजिये। इसमें ऐसा है कि जब तब फेक्ट्स सामने न आ जायं, स्पीकर अपना निर्णय न दे दे तब तक यह डिबेटेबल पाइन्ट नहीं हो सकता। मैं निवेदन कर चुका हूं .....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं।

(घंटी)

यह व्यवस्था दी है।

(करतल ध्वनि)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मुरलीधर व्यास : एक बात···

श्री सभापति : यू प्लीज़। आप स्थान ग्रहण कीजिये। मैं अपने ऑब्जर्वेशन दे चुका हूं फेक्ट्स गवर्नमेंट से असर्टेन करने हैं। अभी इस पर बहस करना मैं समझता हूं सदन का प्रेशियस टाइम लेना है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बहस की बात नहीं कहता हूँ, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस बात पर रोशनी डाल दीजिये। हम जिसे अप्रोच कर सकते हैं, कर दिया···

(घंटी)

डॉ० बहादुरसिंह : यह चेयर को चैलेंज है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानकरी चाहता हूं कि पांच दिन की छुट्टी है, अभी सरकार ने क्या कदम उठाये हैं इसके बारे में।

डॉ० बहादुरसिंह : यह चेयर को चैलेंज है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो बताया, उसे मान लिया···

(घंटी)

श्री सभापति : Please, please, I have given my observations.

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, ठीक बात है।

(हंसी)

अगर मन्त्री महोदय जवाब दे दें तो संतोष मिल सकता है।

श्री सभापति : I have given my observations please. There is no question of explanation by the Government. I have given my observations and now the chapter is closed.

Page No.24

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है कि पांच दिन की छुट्टी है, और पांच दिन छुट्टी होने के कारण ऐसी परम्परा डाल दी है....

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Member to maintain the decorum of ths House.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस बात पर वाक आउट करता हूं यह गलत है।

(थपिग)

(श्री मुरलीधर व्यास ने सदन से बर्हिगमन किया)

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सभापति महोदय, आप क्यों खड़े हो रहे हैं, जब वे वाक आउट कह गये हैं।

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह : अफसोस इस बात का है....

श्री श्रीभानसिंह : अफसोस जाहिर कर रहे हैं या आप भाषण कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir. सभापति महोदय....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : Sir, there can be no point of order on a walk out.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : He has no right to interfere Sir.

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble Members has no rigth to speak on it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He has.

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Member to maintain the decorum of the House.

श्री श्रीभानसिंह : But unless he raises a point of order which is pertinent...

श्री सभापति : But let us first hear him and then it can be decided whether it is pertinent or not.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, how can there be a point of order when an Hon'ble Member has walked out. If he had any point of order, he could have...

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) He can say on the spot.

श्री भैरोंसिंह : मैं सभापति महोदय की आज्ञा से....

श्री श्रीभानसिंह : वाक आउट करता हूं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : वाक आउट आप करें।

श्री सभापति : प्लीज। Hon'ble Members should have some patience to hear.

Page No.25

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने व्यवस्था दी उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है।

(घंटी)

श्री सभापति : But whether you have a right to speak...

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूं।..

श्री श्रीभानसिंह : आपने व्यवस्था दी है उसके बारे में नहीं कहना चाहते हैं।

(हंसी)

फिर क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आपने व्यवस्था दी है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है...

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of information, Sir. These adjournment motions have not been ruled out yet, but they have not been taken into consideration by the Chair. If the motion was ruled out, then the Hon'ble Member had a right of explanation, but when it has not been taken even under consideration, then how the Hon'ble. Member is going to discuss.the issue ? When the motion is not at all before the House, how can there be a discussion on the matter ?

श्री श्रीभानसिंह : Yes, very pertinent.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय....

श्री पी. के. चौधरी : On a point of information, Sir...

श्री सभापति : Please resume your seat. आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये जब तक कि आपका पाइन्ट ऑफ ऑर्डर स्पेसिफिक रूप में नहीं आये तब तक कुछ भी कैसे पता चल सकता है।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, sir.

श्री पी. के. चौधरी : On a point of information Sir...

श्री भैरोंसिंह : On a point of order is more important than point of information.

श्री सभापति: (श्री पी. के. चौधरी से) Please resume your seat.

श्री पी. के. चौधरी : I want a clarification from the Chair.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order sir.

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री पी. के. चौधरी : How can he speak...

श्री सभापति : Order please, order. When the Chair is on its legs, you should resume your seats.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is shameful for the Congress members to flout the ruling of the Chair like this.

Page No.26

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूँ कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रखने का मौका दिया जाय जब तक कि वह चीज़ सामने नहीं आ जाय, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। Let us hear him.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, the Hon'ble Member has cast an aspersion on the Chair that the hon'ble Member is flouting the Chair. What does he mean by this ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Exactly. They are flouting the Chair.

श्री श्रीभानसिंह : On a point fo order, Sir...मैं अर्ज कर रहा था....

श्री सभापति : Yes...

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूँ। अभी जो व्यवस्था दी गई उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। पर एड्जोर्नमेंट मोशन की क्या महत्ता और क्या आवश्यकता है, उसकी क्यों आवश्यकता रह जाती है यदि इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन अभी नहीं होता है तो एड्जोर्नमेंट मोशन अपने आप डिस्अलाउड हो जाता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिया हुआ है कि अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मेटर होना चाहिये। तो अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स के मेटर को फैक्ट फाइडिंग के नाम पर ४ दिन बाद लिया जाता है तो इसके माने यह हुए कि वह मामला अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का नहीं है, यदि अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का होता तो फौरन इसी समय लिया जाता, उसको ४ दिन बाद लिये जाने के माने हैं कि वह अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का नहीं है और इसलिए वह अपने आप डिस्अलाउड समझा जायगा ...

श्री सभापति Can you quote any rule over this ?

श्री भैरोंसिंह : Yes Sir, I can quote.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): टाइम की लिमिटेशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लिमिटेशन का सवाल नहीं है....

श्री सभापति : Which rule ?

श्री भैरोंसिंह : ८३।..."A motion for an adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker" ८३ के मातहत एड्जोर्नमेंट मोशन कौनसा हो सकता है, which relates to a definite matter of urgent public importance.

अब क्वेश्चन यह है कि अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मेटर कब रहता है, जब कि उसी वक्त हाउस को एड्जोर्न करने की आवश्यकता महसूस हो, कोई मामला इस माफ़िक अर्जेन्ट हो कि उस एड्जोर्नमेंट मोशन के रखते ही तुरन्त हाउस को एड्जोर्न कर के उस मामले को उसी वक्त डिस्कस किया जाय। चार दिनों के लिये उसे उठा कर ले जाते हैं तो इसके साफ़ माने यह हैं

(श्री भैरोंसिंह)

कि एड्जोर्नमेंट मोशन का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली डिनाइड है और इससे यही समझना चाहिये कि क्वेश्चन डिस्अलाउड कर दिया गया है, फिर स्टेटमेंट देने का क्वेश्चन पैदा नहीं होता । जब तक होम मिनिस्टर खड़े हो कर यह नहीं कहें कि मैं इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्स मालूम करने हैं । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ४ चार दिन के बाद डिस्कस करने का निर्णय हाउस ही नहीं, चेयर भी लेना चाहे कि इसको चार दिन बाद डिस्कस किया तो चार दिन बाद डिस्कस नहीं किया जा सकता । तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज ऐसे पोइन्ट को तय नहीं करने का मतलब यह है कि हाउस को एड्जोर्न करने का मोशन आया वह अपने आप डिस्अलाउड हो गया ।

इसलिये मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री खड़े हो कर कहें कि कुछ मालूमात करनी हैं, मालूमात करने के बाद में स्टेटमेंट दिया जायगा ।

श्री सभापति : रूल ८३ का आपने इन्टरप्रिटेशन दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, इसमें दिया हुआ है...."Motion for an adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker."

स्पीकर की कन्सेन्ट का जहां तक सवाल है, तमाम फैक्ट्स देख कर ही स्पीकर कन्सेन्ट दे सकता है । जब तक फैक्ट्स सामने नहीं हों तब तक कन्सेन्ट नहीं दे सकता । इसलिये फैक्ट्स गेदर किये जा रहे हैं । मैंने जो व्यवस्था दी है वह ठीक है ।

श्री भैरोंसिंह : On another point of order, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Member must be called to order now.

श्री भैरोंसिंह : I think the Speaker does not work under your guidance.

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order Sir. आपने यह कहा कि "I think the Speaker works under your guidance."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No, no. He said 'he does not work'

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जिस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं वह असंसदीय है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Members not to treat the proceedings of the House as a hotch potch. We should maintain decorum and sobriety and we should speak to the point only.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस तरह दूसरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है कि जो निर्णय सभापति

Page No.28

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय की अनुमति से हुआ और सब फैक्ट्स मालूम करने होंगे....

श्री पी. के. चौधरी : One point of order Sir.

श्री सभापति : No. Let him speak please. He is in possession of the floor of the House.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि रूल ८८ में लिखा है : "The right to move the adjournment of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions, namely:- "इसका मतलब यह है कि अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मेटर कि जिसमें एड्जोर्नमेंट मोशन एक, २, ३ और ४ की क्लासेज़ हैं, उनमें आने वाला एड्जोर्नमेंट मोशन होगा तो हाउस का एड्जोर्नमेंट कराया जायगा, पर जब तक कि सभापति महोदय इस बात का स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं दें कि यह ४ दिन बाद चल कर भी मामला अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का रहेगा, यह निर्णय जब तक नहीं दिया जाता है। तब तक आज का एड्जोर्नमेंट मोशन डिस्अलाउड कर दिया गया है, यही समझा जायगा।

श्री सभापति : डिबेट का तरीका यह है कि एक पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ किया जाय और जितने भी रूल्स की सहायता लेनी हैं, उनको एक साथ रखा जाय। यह नहीं कि एक दफ़ा ८३ कोट किया उसकी व्यवस्था दे दी तो अब ८८ कोट किया, उसकी व्यवस्था दे दी जाती है तो फिर दूसरा पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ कर दिया। इससे सही चीज़ सामने नहीं आ सकती। इसलिये जरूरी था कि जितने रूल्स कोट करने ज़रूरी थे, उन सबको कोट करना चाहिये था।

रूल ८८ का ताल्लुक आपने पोइन्ट ऑफ आर्डर से नहीं "with the consent of the Speaker" That is to be a judicial consent. कन्सेन्ट से फैसला होगा, आर्बिट्रेरी कन्सेन्ट है नहीं, स्पीकर के सामने फैक्ट्स नहीं होंगे तो वह he is not in a position to come to conclusion that the motion be moved or not मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूँ वह मोशन फेल नहीं हुआ है that is under consideration of the Speaker.

१. १० म. प.

सदस्य विधान सभा व तहसील पंचायतों व ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पुलिस कस्टडी में होने वाले व्यक्तियों पर निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार

(अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री सभापति : Further discussion on the following resolution moved by Shri Madan Singh of Danta...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What about Dowery Bill Sir ?

श्री सभापति : That will not be taken up today, since the hon'ble Member is not here to move it.

Page No.29

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : एजेन्डा में पहले दिया गया है ।

श्री सभापति : Anyway there is no such legality or discussion Now we shall hold further discussion on the resolution moved by Shri Madan-Singh of Danta.

श्री भैरोंसिंह : On a point of Order, Sir. एजेन्डा में जो कार्यवाही दी गई है उस कार्यवाही को यदि इस कारण से कि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उसको नहीं ली जाती है तो यह उचित नहीं है । यदि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो वह कार्यवाही ड्रोप कर देनी चाहिये उसको स्थगित करने की जरूरत नहीं है ।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित)

लैप्स हो गया ।

Then it lapses.

Now discussion on the resolution

of Shri Madan Singh.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : On a point of information Sir... What is your ruling about that ?

श्री सभापति : It has lapsed.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, कई संकल्प हैं । यदि इसके लिये कोई समय निश्चित हो जाय कि इतने समय तक बोला जाए तो उचित होगा क्योंकि दो दो दिनों का एक एक संकल्प में लग जाता है । इसलिये टाइम लिमिट हो जाए तो उचित होगा ।

श्री सभापति : यह तो सदन की सेन्स पर है । सदन चाहे तो ऐसा कर सकता है ।

एक माननीय सदस्य : There is no need,

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन, जो रेज़ोल्यूशन जनसंघ के माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि यह सदन भी इसका विरोध करेगा ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): यह समझौते का असर है ।

श्री श्रीभानसिंह (जारी) : यह समझौते का असर है या आपकी जो एप्लीकेशन पेन्डिंग है उसका असर है । यह तो नाथूरामजी बतावेंगे जो आपकी एप्लीकेशन पर कार्यवाही हो रही है ।

सभापति महोदय, यदि हम इस संकल्प को एनेलाइज करें, तो जैसा मैंने पहले कहा है कि इससे ज्यादा वेग संकल्प नहीं हो सकता । अगर इसको मान लिया जावे तो कोई इस रेज़ोल्यूशन से कोई नतीजा नहीं निकलनेवाला है । यह भी देखा जावे कि उन्होंने इसमें जो लिखा है उसमें से एक ही शब्द को लें कि पब्लिक कम्पलेन्ट करे तहसील पंचायतों व ग्राम पंचायतों के सर पंच या एम, एल. ए., ये सदस्य उनका निरीक्षण करें तो मेरी समझ में नहीं आता कि जहां तक पब्लिक का प्रश्न

(श्री श्रीभानसिंह)

है whether an individual is public or whether one Hon'ble Member of the Jana Sangha is the public... पब्लिक में कौन शुमार होंगे जो एक ही कास्ट, कॉम्युनिटी या लाख दो लाख की गणना में लोग होंगे और कौन इसमें शुमार होंगे । या तो यह होता कि इन्डिविजुअल लोग आवें या १०० व्यक्तियों की शिकायत पर निरीक्षण कर सकते हैं यह जरूर होना चाहिये या जनसंघ के आदमीं शिकायत करें तो जरूर निरीक्षण होना चाहिये । लेकिन वह कोई बात साफ नहीं है । पब्लिक की ऐसी वेग टर्म इसमें रख दी है । मैं जो एक व्यक्ति से करोड़ व्यक्ति या एक कास्ट और कम्युनिटी से लेकर काफ़ी लोग जा सकते हैं । यह जो पब्लिक का टर्म ओन दी वेरी वेसिस इतना वर्ग है कि इसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता । तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है । जहां मैं इस रेजोल्यूशन का विरोध करता हूं वहां मैं यह मानता हूं कि आज के युग में जो परिवर्तन, जो पुलिस कर्मचारियों में, खनकी पेन्टेलिटी और मैथड्स ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट में जैसा परिवर्तन होना चाहिये नहीं हुआ है । क्यों नहीं हुआ है ? यह दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जितना चेन्ज होना चाहिये नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है. इसका कारण दूसरा हो सकता हैं। लेकिन शायद मैं माननीय सदन के सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि आप आज भी प्रेमचन्द्र के नोवल्स उठा कर पढ़ लें तो आपको उसके अन्दर जो सिटी कोतवाल का हाल मिलेगा उसी तरह के कोतवाली में थानेदार और अधिकारियों का हाल मौजूद है । तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि पुलिस का किस प्रकार का रवैया है और पहले के रवैये में और अभी के रवैये में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है । इस संकल्प का विरोध करने का मतलब यह नहीं कि मैं पुलिस की एक्सेस हरकतों को सपोर्ट करता हूं । मैं उनकी एक्सेस हरकतों को सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जब हमने यहां पर देखा कि निरीक्षण करेंगे एग्जामिन करेंगे तो उस दृष्टिकोण को लेकर चलें तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आखिर वे क्या एग्ज़ामिन करेंगे ? एक एम. एल. ए. या ग्रामीण पंचायत का सरपंच या तहसील पंचायत का अधिकारी या कोई भी सदस्य उसको ले मैन की तरीके पर एग्ज़ामिन करेगा । वे आया उसको जुडिशियल पॉइन्ट ऑफ व्यू से या इन्जरीज वगैरा पुलिस कस्टडी में हुई हों उसको एग्ज़ामिन करेंगे । जिस तरह से मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होते हैं उस तरह से तो वे एग्ज़ामिन कर नहीं सकेंगे क्योंकि 'वह तो टैक्निकल चीज़' होती है यदि वे उसको यों ही एग्ज़ामिन करें तो मैं यह कहूंगा कि उनकी वही राय होगी जो एक ले मैन की राय होगी और उसको मैं उपयुक्त नहीं समझता और वह कहां तक वाजिब होगी उसकी कहां तक वैलिडिटी होगी । फिर भी हम यह मान कर चलें कि वे एग्ज़ामिन करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि हम अन नेसेसरीली एक एम. एल. ए. को विटनेस में उलझावेंगे जब कि उसको यह मालूम नहीं होगा कि वास्तव में काइम किया या नहीं । हम समझते हैं कि जब वे अपनी राय देते हैं कि उसको पुलिस ने किस तरह से गिरफ्तार किया या उसको सही तरीके से कस्टडी में रखा तो मैं समझता हूं कि उनको विटनेस बॉक्स में

Page No.31

(श्री श्रीमानसिंह)

एपीयर होना पड़ेगा। और जब विटनेस बॉक्स में एपीयर होना पड़ेगा तो एम. एल. ए. जिसको लेजिस्लेटिव पॉवर्स हैं उनको जुडिशियल और मेडीकल आदि पॉवर्स आपने आप महसूस करें, तो जो बातें वह अपने यहां प्रीच करता है कहीं उनको अच्छी तरह से प्रीच न कर सकेगा और अगर ऐसा करेंगे, तो उस व्यक्ति में वे सभी पॉवर सेन्ट्रेलाइज करेंगे। अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उनको जुडिशियल पॉवर्स की जरूरत होगी। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जुडिशियल पॉवर्स देना जनतन्त्र में डेन्जरस होगा। लेकिन उन्होंने यह रेजोल्यूशन क्यों रखा है इसका मतलब समझ में नहीं आया। हो सकता है कि इस प्रकार के कई पुलिस के इन्सटेन्सेज उनके सामने आये हो और वे उससे परेशान हों। मैं यह नहीं चाहता कि पुलिस किसी के साथ ज्यादती करे। एक्सेस करे। जिस तरह से भरतपुर में पुलिस ने विद्यार्थियों को पकड़ कर वहां से डीग ले गये और वहां पर उनको कन्फेस कराने के लिये उनको बिजली का करेन्ट लगाया गया। एक व्यक्ति को पुलिस कोटवाली में ले जाए और उसको कन्फेशन कराने के लिये शराब पिलाये या उसको मारपीट की जाए मैं इस प्रकार के मैथड्स काम में ले या किसी की मूंछे उखाड़ कर उससे कन्फेशन कराया जाय। अब तक इस युग में पुलिस या कोतवाली या थानेदार जो भी हैं उन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं बदला है। इसका कारण यह है कि वे किसी तरह लॉ और ऑर्डर को उलझन में डालते हैं। मैं खुद माननीय गृह मंत्री के साथ गया था। तो मुझे डी. आई. जी. रेन्ज हैं जो लॉ एन्ड ऑर्डर के गार्जियन हैं उन्होंने इतनी फ्रिवेलस बातें की। एक डकैत के लिये कि वह डकैत, जो हमारे यहां का डकैत नहीं है और अगर वह डकैत धौलपुर में रहता है तो हमें क्या नुकसान करता है। आखिर मेरे तो दिमाग में यह प्रश्न आया कि कल राजस्थान का कोई आदमी मर्डर करके यू. पी. में चला जाय और यू. पी. वाले यह एटीट्यूड लें कि हमारे यहां तो श्रीमानसिंह या किसी ने मर्डर नहीं किया तो राजस्थान को क्यों हैंड ओवर करें। जहां ऐसे फ्रिवेलस आन्सर्स डी. आई. जी. पी. दे सकता है वह पुलिस का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता। मुझे याद है मैं एक रोज एस. पी. से मिलने गया। वहां के डी. एस. पी. की यह इन्टरप्रिन्टेस है कि वह यह कहता है कि अपने यहां लेजिस्लेचर में जो बात होती है वह बकवास होती है। डिसिप्लिन की बात रखी कि पुलिस में डिसिप्लिन नहीं है, आजकल वह कहना नहीं मानती तो वे कहते हैं कि भरतपुर के कलेक्टर को किसी की वाइफ पसन्द आगई तो वे ले लेंगे। क्योंकि जिस हाऊस में कलेक्टर रहना चाहते थे उस हाऊस में वे स्वयम् रहते थे। जो डिसिप्लिन पुलिस में होना चाहिये, जो करेक्टर पुलिस में होना चाहिये वह नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है जनरली पुलिस इज़ बेड, जनरली पुलिस अच्छी है और उसको अच्छी होकर रहना पड़ेगा। इन्डिविजुअल केसेज़ ऐसे हैं जैसा कहा जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है। उसी तरह आगे जाकर सारी जगह इस प्रकार का इन्डिसिप्लिन नहीं कहीं फैल जाय। जो ह्यूमन डिगनिटी है, जो व्यक्ति के फन्डामेंटल राइट्स हैं और

Page No.32

(श्री श्रीभानसिंह)

जो गारेन्टेड हैं और पुलिस से होने चाहिये उनको क्रश करने में पुलिस ने कमी नहीं रखी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि एक इन्नोसेन्ट आदमी को लाकर उसकी मूंछे उखाड़ कर पूछना कि तुमने डकैती की। स्टुडेन्ट्स को ले जायें और उनके इलेक्ट्रिसिटी लगायें। इसलिए पुलिस को रीऑर्गेनाइज़ करना है और इस्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना है। हम यह कहते हैं कि जनतन्त्र में हमें एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेन्ट्रेलाइज़ करना है और यदि करना है तो आज जो पुलिस की मेन्टेलिटी है उसका डेमोक्रेटाइज़ करना पड़ेगा। आज भी विलायत में एक पुलिस मैन को फ्रेन्ड, फिलोसफर एन्ड गाइड माना जाता है। हमारे यहां जनतन्त्र को १० वर्ष हो गये लेकिन आज भी पुलिस मैन को जनता नफरत की दृष्टि से देखती है। जनता पुलिस वालों को सहयोग देना चाहती है किन्तु जब पुलिस की मेन्टेलिटी को देखती है, उसके व्यवहार को देखती है तो जनता रिपल्स होती है। रिपल्स होती है तो लॉ एन्ड ऑर्डर की पॉलिसीज़ जिस पुलिस को जनता हेट करती है उसके जरिये से मेन्टेन करना चाहते हैं वे नहीं कर सकेंगे। मैं इस तरह से नहीं कहना चाहता कि मैं सर्विसेज़ को डिस्करेज़ करना चाहता हूं फिर भी ऐसे इन्डिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं जिनके कारण पुलिस में इस प्रकार का इन्डिसिप्लिन है। करोड़ों रुपया धौलपुर में खर्च हो रहा है लेकिन एक ऐसा अजीबो-गरीब तमाशा है कि माननीय मन्त्री महोदय खुद वहां पहुँचे डी. आई. जी. पी. एस. पी. पहुँचे दो एस्कोर्ट के साथ में, लाखों रुपया वहां पर खर्च करने पर भी धौलपुर के आदमी अपने को सिक्योर नहीं समझते। स्कूल न हो, डवेलपमेन्ट का काम न हो माननीय मंत्री महोदय को दस गालियां सुनायेंगे। लेकिन दस बच्चों को गांव से किडनेप किया जाता है, पुलिस के डाइरेक्ट ऑफिसर्स वहां मौजूद थे। लेकिन उनको डकैतों का इतना डर है कि एक आदमी तो क्या २५ आदमी से भी शहादत चाहें तो कोई शहादत देने के लिए तैयार नहीं होता। इतने ऑफिसर्स वहां होते हुए भी जनता अपने आपको सिक्योर नहीं मानती। एन्टी डेकोइटी फोर्स रखा है। पर्पज यह है कि सिक्योरिटी, लोग फील करेंगे। लिबरटी, सिक्योरिटी फन्डामेन्टल राइट्स ग्रान्ट किये हैं और यह पुलिस की ड्युटी है कि जो फ्रीडम, राइट्स जनता को दिये गये हैं उनको मेन्टेन करने में पुलिस मदद करे। वह आज कहां पुलिस मेन्टेन करती है। बहुत जगह तो अराजकता है, लॉ-लैसनेस है। यह मैं इन्डिविजुअल केसेज़ के लिए कह रहा हूं। आपका यहां रेजोल्यूशन आता है वह एक सेन्टीमेंटल है, वेग है। इन्डिविजुअल का जो बिहेवियर है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्य ने यह रिजोल्यूशन रखा है, ठीक है, जिस तरह का यह वेग है, हेफहेजर्ड है और यह कॉम्पलीसिटी पैदा करेगा और इसको एडोप्ट करने से भी यह मीनिंग लैस रहेगा। उन्होंने इसको दूसरे पॉइन्ट ऑफ व्यू से रखा है और वह यह था कि पुलिस कस्टडी में या किसी में क्रिमिनल होता है उसके साथ ट्रीटमेंट ऐसा न हो कि पनिशमेंट मिलने से पहले ही उसको लैस किया जाय, टार्चर किया जाय, मारपीट की जाय और इसको ठीक करने के लिए रखा

(श्री श्रीभानसिंह)

है। इस रिजोल्यूशन को इस दृष्टिकोण से रखा है कि पुलिस की जो मेंटेलीटी है उसको मंत्री महोदय या उच्चाधिकारी डिमोक्रेटाइज़ करें। वह इस मकसद से रखा है कि मैथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। उनमें साइन्टिफिक तरीके लाना है। हम मारपीट का तरीका, ब्रूटली टोर्चर करना, अनडिग्नीफाइड मैथड्स काम में लावे वह इस जनतन्त्र में चल नहीं सकते। रिसर्च लेबोरेट्रीज़ करिये। जिस तरह से पुलिस के डिफरेन्ट डिपार्टमेंट हैं और वह इसमें डिवाइडेड हैं। जैसे स्काटलैंड में स्कवड्स होते हैं, होमीसाइड स्केव्ड्स हैं, वहां पुलिस को स्पेशेलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। आज हमारे यहां एक आर. ए. सी. में भी उसी को भेजा जाता है, एन्टी करप्शन में भी वही। कभी वह सिविल में आता है, प्रोसिक्यूशन ला? लान्य बनता है, कभी विटनेसेज़ में क्रिमिनल बनता है। डिफरेन्ट रोल्स में एक पुलिस वाला जाता है। तो एफिशियेन्ट नहीं रहता है और न ही रह सकता है? उसको मौका नहीं मिलता स्पेशेलाइज़ करने का। एक नीति पुलिस के अन्दर करनी है, पुलिस के अन्दर स्पेसेलाइज़ करना है और डिपार्टमेंट को अलग-अलग करके इस तरस से कर सकते हैं।

अन्त में मेरा निवेदन है कि व्यक्ति पुलिस में खराब हो सकते हैं लेकिन लॉ एन्ड ऑर्डर को रखना है, पुलिस सर्विसेज़ को एन्करेज़ करना है एक इन्डिविजुअल को लेकर बिलकुल उनके साथ में ऐसा माने कि पुलिस फोर्स ही खराब है, यह उचित नहीं होगा। व्यक्ति खराब हो सकते हैं लेकिन सारे पुलिस के सिपाही खराब नहीं हैं। यदि इस प्रकार क्रिटिसाइज हुए तो यह तो याद रखना पड़ेगा कि पुलिस के चाहे ऑफिसर्स हों, सिपाही हों इस कन्ट्री के सिटिजन हैं। उनको भी कई हद तक राइट्स हैं। आखिर दिमाग अलग अलग हैं, सोचने का तरीका अलग अलग है एप्रोच भी अलग हो सकता है। उनका दृष्टिकोण रखना चाहिए, स्वतन्त्रता होनी चाहिये और देना चाहिये। मगर ओपोज़िशन हो, जो क्रिटिसिज्म होता है जनरल रेफरेन्स में कहूँ कि हाईकोर्ट आन्दोलन में सप्रेस किया गया। जनता की सिविल लिबरटीज़ को पुलिस ने नहीं सप्रेस किया किन्तु उसके लिए मिनिस्टर रेस्पोन्सिबल है। क्रिटिसाइज़ उसके लिए हम होम मिनिस्टर को करेंगे। पुलिस एग्जीक्युटिव ऑथोरिटी है, उनको उसके लिए बुरा बता कर काम नहीं चल सकता क्योंकि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कल जन संघ की होगी, तो जिस तरह के डाइरेक्शन या ऑर्डर्स आप देंगे पुलिस उनको एग्जीक्युट करेगी। एग्जीक्युटिव को इसके लिए बुरा बतायें यह ठीक बात नहीं होगी। जो जनता की सिविल लिबरटीज़ हैं, आन्दोलन में उसको पुलिस क्रश करती हैं, जो जनता के फन्डामेंटल राइट्स हैं उनको क्रश करती हैं तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है किन्तु उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर पर है, एम्बोडीड होम मिनिस्टर उसके जिम्मेदार है। होम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ करके आप सिविल लेबरटीज़ को कायम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए पुलिस एग्ज़ीक्युट करने वाली को नहीं। यदि करते हैं तो इस दिशा में लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं कर सकते। लॉ एन्ड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सके, ओर्डनरी हियुमन बीइंग्स की डिग्निटी, प्रिविलेज-राइट्स को डिफेन्ड नहीं किया तो एनार्की

(श्री श्रीमानसिंह)

और केऑस होना लॉ एन्ड ऑर्डर के केसेज़ डिसक्लोज़ होंगे और इस तरह से इसमें इन-एफीशियेन्सी आयगी न आप जिस तरह से ह्युमैन राइट्स की लिबरटीज़ गारन्टीड है वह नहीं रहने वाली है। लॉ एन्ड ऑर्डर के लिए जो जिम्मेदार है। उनको डिसकरेज नहीं करना है हमको उनको एन्करेज करना चाहिए। हमें देश के अन्दर ऐसा वातावरण बनाना चाहिये कि जिससे जनता में पुलिस के अन्दर कॉन्फिडेन्स हो। आज हम देखते हैं जनता का पुलिस के अन्दर कॉन्फीडेन्स नहीं है। जनता में पुलिस के प्रति कॉन्फी-डेन्स पैदा करने का जितना फर्ज रूलिंग पार्टीज़ का है उतना ही अपोजीशन पार्टीज का भी है। दोनों म्युचुअल एग्रीमेंट रखें ताकि हमको इन एजेन्सी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। हम इन्डिवीज्युअल को पिक-अप करके उनके एक्शन्स को जनता और सदन में रख सकते हैं। इस तरह के म्युचुअल अन्डरस्टेंडिंग पर चलेंगे तभी इस चीज़ को एन्करेजमेंट मिलेगा। आज जनरल एडमि-निस्ट्रेशन खराब है, तो हम उसको लेकर सारे सेक्रेटरीज, तहसीलदार, एस. डी. ओ. और चपरासी को कहदें ये सब खराब हैं यह उचित नहीं है। जहां तक पुलिस अधि-कारियों के क्रिटिसिज्म का सवाल है जब हम सामुहिक रूप से इस तरह से उनको क्रिटिसाइज करने लग जायेंगे। तो उनको एक एक प्रकार से डिस्करेजमेंट होगा। हमारी पुलिस के ब्रेवरी के भी इन्स्टान्सेज़ हैं। पुलिस ने काफी सेकरीफाइसेज़ भी किये हैं कई डाकुओं को रूट डाउन किया है। लेकिन इतना करने पर भी पुलिस की तारीफ नहीं की गई जितनी होनी चाहिये। कुछ बातें जरूर की गई किन्तु जितनी तारीफ होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। जहां तक पुलिस के डाकुओं के साथ एनकाउन्टर होता है उस हालत में उनकी तारीफ होनी चाहिए लेकिन वह सदन से मिलती नहीं हायर ऑथोरिटिज़ द्वारा उनको एन्करेजमेंट मिलता नहीं। जब कोई गलती करता है उसके सम्बन्ध में तो सुनने को मिल जाता है किन्तु जहां बहादुरी के कार्य उनके द्वारा होते हैं। उनके लिए जो प्रेज के शब्द इस्तेमाल होने चाहिए वे उनको नहीं मिलते। हमको भी अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए पोलि-टीकल पार्टीज को भी दृष्टिकोण बदलना है। जब किसी का क्रिटिसिज्म करें तो सामुहिक रूप से नहीं बल्कि इन्डीविज्युअल को लेकर होना चाहिये। इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है इसको विथड्रा कर लें यह उनके हित में राजस्थान के हित में और उनको पार्टीज के हित में होगा जनता और जनतन्त्र के हित में भी यह बहुत अच्छा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस संकल्प का विरोध किया और वह विरोध करते समय जहां तक इस प्रस्ताव की भावनाओं का प्रश्न है और पुलिस की ज्यादतियों का सवाल है उन्होंने उसका भी विरोध किया है। लेकिन समझ में नहीं आता उनके सारे भाषण में इस प्रकार का यह पेरोडोक्स एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ इस संकल्प का विरोध, पुलिस की ज्यादतियों का विरोध। उन्होंने यह माना कि राजस्थान के अन्दर पुलिस के अधिकार कितनी ज्यादतियां करते हैं। लेकिन कुछ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऐसा लगता है वे इन सारी बातों को मन में मानते हुए भी कुछ गुप्त भाव मनमें इस प्रकार के होते हुए भी इस प्रकार का अन्कन्डीशनल सपोर्ट दूसरे शब्दों में अनकन्डीशनल जो सरेन्डर किया है । उसकी हम दाद देते हैं । इसके लिये मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अब तो उनको उप गृह मंत्री जरूर बना लेना चाहिये । मैं समझता हूँ जैसा कि उन्होंने कहा भैरोंसिंहजी की एप्लीकेशन नाथूरामजी के पास पेन्डिग है उनकी तो नहीं लेकिन माननीय बयाना से आने वाले सदस्य की अर्जी जरूर पेन्डिग है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I am already a member of the party.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज आपने यह अपील की कि राजनैतिक पार्टियोंको अपना दृष्टिकोण बदल देना चाहिए और मैं समझता हूं इसकी शुरूआत माननीय सदस्य ने अपने दृष्टिकोण को बदल कर प्रारम्भ करदी । जो हमेशा इस सदन में बैठ कर सरकार की उन ज्यादतियों, पुलिस के अत्याचारों का बखान किया करते थे और यह मांग करते थे कि इस प्रकार का कोई एक्शन सामने आयगा । इस प्रकार का कोई रेजोल्यूशन सामने आयगा तो वे उसको सपोर्ट करेंगे । जिस संकल्प के द्वारा सरकार पर अंकुश लगाया जा सके पुलिस के कर्मचारियों पर अंकुश लगाया जा सके, हमेशा उसका समर्थन करेंगे । उन्होंने एक तरफ तो यह कहा कि इनडिविजुअल का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिये व्यक्तिगत रूप से आप आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री श्रीभानसिंह : चेयरमैन महोदय, मैंने यह नहीं कहा था इनडिविज्युअल क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिये । मैंने कहा था इनडिविज्युअल खराब हो सकते हैं उनको क्रिटीसाइज़ किया जाय आप कलेक्टिव कन्डम नहीं कर सकते । प्रश्न यह खड़ा होता है यह तो जनसंघ का एप्रोच है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रलाल : उनका यह कहना कि इनडिविजुअल को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं । इनडिविज्युअल ज्यादती करता है, उसको कहा जा सकता है उन्होंने भी डी० आई० जी० के बारे में बात बतायी हो सकता है यह उनको नागवार गुजरी हो । माननीय सभापति महोदय, यह तो वैसी बात हुई जब देश का विभाजन हुआ । इस देश में उधर से लाखों भाई अपना घर बार छोडकर यहां आये उसमें कई मां बहनों की इज्ज़त लूटी गई, ये सब बातें सरकार के सामने रक्खीं । पं० जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे आपको शान्ति रखनी चाहिये धैर्य रखना चाहिये, संयम रखना चाहिये, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं बतानी चाहिये प्रतिहिंसा नहीं दिखानी चाहिये एक बार ऐसा हुआ पं० नेहरू श्रीमती इन्दिरा गांधी को साथ लेकर किसी शरणार्थी केम्प में गये वहां किसी शरणार्थी ने इन्दिरा गांधी की साड़ी का पल्ला पकड़ लिया । इस पर नेहरू जी बहुत लाल पीले हुए और गुस्से में हो गये । मैं यह इस लिये कह रहा हूं जहां आप दूसरों को धैर्य रखने के लिये कहते हैं...

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Is he narrating a fact here or is a story which he is narrating ? Is it to his personal knowledge or based simply on rumors ?

Page No.36

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने किसी अखबार में पढ़ा है या पर्सनल नॉलेज के आधार पर कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ज्यादती जुल्म अपने ऊपर होता है तब जाकर दिल पर ठेस पहुंचती है।

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'-ble Member is forcing words in my mouth. मैंने यह कहा था कि जो डाकू धौलपुर में डाके का काम नहीं करता। यू० पी० की पुलिस में चला जाय यू० पी० वाले उसको हैन्डओवर नहीं करते। हमारे यहां मर्डर नहीं किया इसकी कोई इम्परटिनेन्ट नहीं यह मैंने कहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो कुछ आप कह रहे हैं सही है। आपने जो कुछ कहा मैंने सुना और सदन ने सुना। दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने यह शब्द यूज किया था इम्परटिनेन्ट।

श्री श्रीभानसिंह : Yes, I have Said this word but not for the D. I. G.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और फिर पूछा क्या जाय, रह क्या गया ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Look up the proecedings I never said Sir. I said that the logic is impertinent and not that the D. I. G. is impertinent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : That means ons and the same thing.

श्री श्रीभानसिंह : I will not allow yon to put words in my mouth.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा है कि आपने इन्डिविजुअल क्रिटिसिज्म के मुतल्लिक कहा था। अब क्या कहा था, क्या नहीं कहा था वह तो तमाम रिकॉर्ड हो चुका है। वह सब प्रोसीडिंग्स में है। इसलिये इन्डिविजुअल क्रिटिसिज्म के बारे में आपने कहा था। इम्परटीनेन्स शब्द आपने यूज किया था। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप अपना भाषण आरम्भ रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं निवेदन कर रहा था। माननीय सभापति महोदय, हमारे साथ जब कोई बात गुजरती है तो हम उसे इम्पर्टिनेन्ट कह कर चलते हैं। हमें वह किसी तरह से नागवार गुजरती है। इसलिये वह सदन के सामने रख रहा हूं। जो ज्यादतियां पुलिस की हैं, जो उसका कटु अनुभव है जो बातें उनके सामने आई हैं, वे बातें व्यक्तिगत है, आक्षेप की तारीफ में आती हैं वे बातें व्यक्तिगत हैं, फिर भी अगर आक्षेप की तारीफ में आती हैं तो उतनी ही जरुरी है यहां रखना जितनी उन्होंने रक्खी चाहे डी. वाई. एस. की हों, किसी की हों। इसके बारे में कुछ नहीं कहना है किसी को। अपने विचार रखते हुए विशेष आक्षेप जो थे। वे यह थे कि आखिर पब्लिक शब्द का क्या अर्थ रहेगा। इसमें एक आदमी भी आ सकता है. एक हजार भी आ सकते हैं और एक लाख भी आ सकते हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रश्न इसका है मैं समझता हूँ कि मैंने इस संकल्प के बारे में जितनी बहस सुनी है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी ने इसकी भावना का विरोध नहीं किया, जिन्होंने विरोध भी किया है तो भाषा का विरोध किया होगा, पर जहां तक भावना का प्रश्न खड़ा होता है, मैं समझता हूँ, मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि अभी तक जिन माननीय सदस्यों ने पक्ष या विपक्ष ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, सब ने इसकी भावना का जोरदार समर्थन किया है, हो सकता है शब्दों में कम्प्लीकेशन हो, लीगल इम्प्लीकेशन्स इसके कुछ और हो सकते हैं, हो सकता है यह समस्या पैदा हो कि क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड में किस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, इस प्रकार का संशोधन लाया जा सकता है या नहीं। यह अलग बात है। एडमिनिस्ट्रेटर आज्ञा निकाल कर ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, सरकार किस तरह क्या कर सकती है इस बारे में, यह अलग सवाल हो सकता है। पर यह सदन कई बातों के बारे में अपने विचार प्रकट करता है, संकल्प के द्वारा भी करता है, प्रश्न के द्वारा भी हो सकता है, बिल के द्वारा भी हो सकता है, कई रास्ते हैं। ऐसी बात भी वे कह सकते हैं जो सदन के जूरिस्डिक्शन में न हो। पर इस सब के बावजूद भी अगर सदन के माननीय सदस्य कोई बात महसूस करते हैं। यह महसूस करते हैं कि राजस्थान में ऐसा होना चाहिये, ऐसी व्यवस्था सरकार की होनी चाहिये, तो सरकार इस प्रकार को व्यवस्था कर सकती हैं। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेन्डेटरी प्रोविजन्स हैं। इसके अन्तर्गत कोई यह जरुरी नही कि स्टेट के आधार पर काम करना ही नहीं चाहिये वे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं। नैतिकता के आधार पर मानना चाहिये। यह संकल्प की भावना है। ये विचार माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार के सामने रखने की कोशिश की है। वह भावना केवल इतनी है कि पुलिस के द्वारा जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको पुलिस थाने में लाकर उनके साथ दुर्व्यवहार न हो सके, उनके साथ अनैतिक काम न होसके, ज्यादती न की जा सके, उनका हैरेसमेन्ट नियमानुसार न हो सके इस प्रकार का एक इन्तजाम राजस्थान की हुकूमत करे, यह इसकी मंशा है।

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वहां विद्यार्थीओं के साथ कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिये भरतपुर से डीग ले जाया गया, उनके इलेक्ट्रिक करन्ट लगाया गया। मैं समझता हूं जहां एक ओर हमारे सामने ये घटनाएं हो सकती हैं कि कन्फेशन रिकॉर्ड कराने के लिये जितने नाजायज़ तरीके हो सकते हैं, वे सारे हथकंडे किये जाते हैं, दूसरी ओर यह भी बताया कि व्यक्तियों को दबाने के लिये, हैरेसमेन्ट के लिये मुछें उखाड़ ली जाती हैं, ये भी घटनाए ताजा हैं, बताने की आवश्यकता नहीं जयपुर में और राजस्थान के भागों में घटी हैं, माचे पर चढ़ाया जाता है, उल्टा लटका दिया जाता है बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। इन बातों से अनेकों सदस्य अवगत हैं उन सब बातों को दुबारा रखने की आवश्यकता नहीं। अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस के लाक-अप में निर्मम तौर से पिटाई की जाती है लोगों को मिलने नहीं दिया गया, नहीं तो और ज्यादा इविडेन्स आ सकती थी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अवस्था है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह हो सकता है उस सारी स्थिति में लीगल सैंक्शन क्या दें। यह अलग प्रश्न है ।

यह तो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल का सवाल है। आखिर आये दिन हाई कोर्ट के मामले में, और दूसरे मामलों में हमारे यहां झगड़े हो जाते हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि यह नित्य प्रति का मामला है। एक नागरिक आता है कहता है मेरे फलाने भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। लॉक अप में बन्द कर रक्खा है और पुलिस उसे पीट रही है। हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह जाकर मजिस्ट्रेट के यहां जमानत की दरख्वास्त दो। वह आदमी हमारे पास इस आशा से आता है कि दुनियां में उसका कोई रखवाला नहीं। आज हम होम मिनिस्टर के पास जा नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते क्योंकि पहले तो वे शहर के अन्दर रहते थे उस कौने पर, पर अब तीन मील दूर गांधीनगर में चले गये हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएन्सी के सारे लोग जो पहले उनके पास एम.एल.ए. की हैसियत से जाते थे किसी को कुछ काम होता था, किसी को किसी बात का सर्टिफिकेट लेना होता है। तो आज एक एम.एल.ए. की हैसियत से उनका वह काम मुझे करना पड़ता है। तो इसके बारे में वे उनको कोई एप्रोच नहीं कर सकते उनके पास जा नहीं सकते। उनके सामने पुकार नहीं सकते। तो हमारे पास आते हैं तो इस आशा से आते हैं कि आखिर में कहां जावें ? कहते हैं पुलिस के अधिकारी मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। उच्चाधिकारियों के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता। और इसलिये दुनियां भर मे निराश हो जाते हैं। मैंने सदन के सामने एक मामला रक्खा था एक औरत को उड़ा ले गये लोग। उसके पति ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने उसको रिकवर किया और इसके बाद उसे बुलाया नहीं गया और उल्टा चार बच्चे के बाप के साथ उसकी शादी कर दी। वह दुनियां भर में परेशान हुआ घूमा। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने विधान सभा के सदस्य और वह भी विरोधी दल के सदस्य को एप्रोच किया किसी ने उसको ऐसा समझाया कि विरोधी दल के सदस्य को एप्रोच करना चाहिये। पहले यह भी आशा थी कि कांग्रेस में भी विरोधी दल हैं, पर वह भी आज तो चला गया। उनको एल्योरमेंट दिया जा रहा है। तो यह सेक्शन भी अब उनके लिये एप्रोचेबल नहीं रहा। इस सेक्शन के पास इस आशा से एप्रोच करते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार पुलिस ने किया है, आप किसी तरह से हमारी मदद करो। पर हमारी इस समय यह सेक्शन भी कोई मदद नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट के पास में जावें तो आज मजिस्ट्रेट के बारे में भी कहना ठीक नहीं है। पुलिस ने उनको भी ओवरपॉवर किया हुआ है। उन पर भी पुलिस ने अपना हव्वा बिठा रक्खा है। वे वही करते हैं जो पुलिस उनको आदेश देती है। जुडिसियल रिमान्ड का ऑर्डर उसने नहीं दिया। अब पुलिस अगर उनको यह भी कहे कि बैक डेट में रिमान्ड के लिये लिख दो तो वह भी दस्तखत करना पड़ता है उनको बैक डेट में भी। ऐसी परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के यहां भी क्या चारा है। कहां जावें। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप से इतनी तो आशा रख सकते हैं। अब विरोधी दल का जहां तक सम्बन्ध हैं हम उनको नौकरी नहीं दिला सकते, पर्मिट नहीं दिला सकते, बसों का पास नहीं दिला सकते, बिजली पानी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं लगवा सकते, इस तरह का कोई काम नहीं करवा सकते । केवल योजनाओं की विकास कार्यों का जहां तक सवाल है वे करा नहीं सकते, उनके बारे में सदन में प्रश्न जरूर रख सकते हैं । कट मोशन रख सकते हैं । यहां किसी प्रकार की अपनी बात रख सकते हैं । जो ज्यादती और जुल्म होते हैं । उनको यहां रख सकते हैं और सरकार से कह सकते हैं कि आप अपनी आंखों उन्हें देख लीजिये । कोई ऐसा न हो कि आप कहें कि ये सब बातें झूठ हैं । इसलिये वह व्यक्ति इतनी आशा रखता है कि आप मेरे साथ आइये और देखिये और इसलिये कोई जन प्रतिनिधि उसको देखने के लिये जाना चाहे, देखने जाना आवश्यक समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे तो वह जावेगा और देखेगा, अपना समय खराब करके देखेगा । फिर उसको जरूरत होने पर विटनैस बॉक्स में आना पड़ेगा । यह तो उसके देखने की बात है । अगर शहादत में नहीं आना है, अगर आपको नहीं आना है, मुसीबत से बचना है, विधान सभा का अधिवेशन चलेगा । उसे छोड़कर जा नहीं सकते, कई प्रकार का नुकसान हो सकता है वह विचार आपके सामने हो सकते हैं । पर विरोधी दल अपनी जिम्मेदारी समझता है । उनके पास जनता का इस तरह का आफत का मारा कोई भी व्यक्ति आवेगा तो जन प्रतिनिधि होने नाते उनका जाने का फर्ज है । जनता कम से कम हमसे इतनी आशा तो रखती है और अगर विटनैस बाक्स में जाना पड़े तो वहां भी जाना अपना फर्ज समझता है । ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी आवश्यक है । अब सवाल खड़ा यह होता है कि माननीय सदस्य उधर के विचार सकते हैं, सरकार के लोग सोच सकते हैं कि अगर यह व्यवस्था हो गई और इन लोगों को निरीक्षण करने दिया गया तो मामला जब कोर्ट में आवेगा तो इनकी एविडेन्स और बढ़ जावेगी । इनकी एविडेन्स को कोर्ट ज्यादा रिलायेबल समझेगी । इससे ज्यादा वेट पड़ेगा । इसलिये ज्यादा वेट ज्यादा रिलायेबल एविडेन्स पैदा हो जावे इस प्रकार का न्याय मिल सकेगा । इसलिये ऐसी व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है ।

अब माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी शायद यह कहेंगे कि ऐसी बहुत थोड़ी घटनायें होती हैं । मैं इन घटनाओं के बारे में कोई ज्यादा नहीं बताना चाहता । पर इस सदन में प्रश्नोत्तर के काल में और वादविवाद के समय अनेकानेक पुलिस के बारे में घटनायें बताई गई कि किस प्रकार से लोगों के साथ व्यभिचार किया जाता है और अनैतिक काम किये जाते हैं । मैं समझता हूं कि उनको मैं दोहराना नहीं चाहता । हमारे गृह मन्त्री जी राजधानी में रहते और वह घटनायें राजधानी के बाहर होती हैं तो भी उनकी जवाबदारी आपके ऊपर है । परन्तु जो घटनायें आपके नीचे हो, जो घटनायें आपके जयपुर में घटें, राजधानी में घटें और राजधानी में भी किसी दूरस्थ थाने में नहीं बल्कि कोने में सेन्टर में राजधानी के मध्य में, विधान सभा के नज़दीक किसी थाने में घटें और वह आपके नोटिस में लाई जावें कि यह हरसमेंट की घटनायें हैं आप क्या कदम उठाते हैं उनके बारे में ? माननीय सभापति महोदय, मैं एक घटना हैरसमेंट की माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूँगा । वह माननीय गृह मन्त्री जी

Page No.40

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को भी ज्ञात होगी। सभापति महोदय, जयपुर में एक व्यक्ति है जो व्यक्ति सोना बनाता है और वह व्यक्ति एल० कैमिस्ट है वह पारे को जमाकर चांदी बनाता है और चांदी से फिर सोना बनाता है और ऐसा कहते हैं कि वह सोना एक तोला सोना १० रुपये की कास्ट का पड़ता है। उस व्यक्ति ने जयपुर में यह धन्धा शायद पिछले दो तीन साल से शुरू किया और उसने यह सोना और चांदी बनाने का काम यहां पर प्रारम्भ किया। वह लोगों से चांदी लेता, सोना बनता और सोना बनाने के बाद १० रुपये की कीमत का सोना १०८ रुपये या जो भी भाव हो उस भाव से बिकता था। वह लोगों के बहीखातों में इन्द-राज होता और उसकी कोई पकड़ नहीं होती। वह आदमी कोई गली कूंचे में सोना बनता हो, ऐसी बात भी नहीं है। माननीय गृह मन्त्री जी को जानकारी होगी। मैं यह नहीं कहता कि उस व्यक्ति ने उनके घर पर उनके लिए सोना बनाया है लेकिन उनकी जानकारी में है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका काम चांदी से सोना बनाने का है....

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : मेरी जानकारी में इतना है कि जो सोना बनाता था उसका कोर्ट से चालान हो हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जारी) : मैं सारी स्थिति आपके सामने रख रहा हूं। मुझे खुशी है कि वह जानकारी आपने सदन के सामने रख दी, क्योंकि वह छुप नहीं सकती। उस व्यक्ति ने सोना कोई रामगंज चौकड़ी में किसी धाभाई के खुर्रे में बैठकर नहीं बनाया। उसका तो मुझे जब मालूम हुआ जब मैं एक बार अजमेर से जयपुर आ रहा था। तो उसने सारा किस्सा कि पुलिस उसको किस तरह से हरेस कर रही है। बयान किया वह उस हरेसमेन्ट से इतना घबराया हुआ था कि वह जयपुर स्टेशन पर भी नहीं उतरा और सीधा दिल्ली चला गया। तो मैं कह रहा था कि उसने सोना कोई रामजंज की चौकड़ी में धाभाई के खुर्रे में नहीं बनाया उसने यह सारा प्रयोग राजस्थान के मुख्य मन्त्री के बंगले पर बैठकर लोगों को सोना बनाकर बताया। उसने बताया कि हम सोना प्रयोगों से इस प्रकार बनाते हैं, लेकिन उसने वह प्रयोग नहीं बताये। उस समय मिस्टर गोडगोले, डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ थे उनकी रिपोर्ट मौजूद है और आप राजस्थान के सेक्रेटेरियट में देख लें! मैं उस फाइल के बारे में आगे की नहीं कहता, लेकिन आज दिन वह फाइल चांदी की फाइल के नाम से सेक्रे-रियट में पड़ी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस फाइल का नम्बर भी बता दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद माननीय सभापति महोदय, वह व्यक्ति यह काम करता है और इतना ही नहीं राजस्थान के बड़े बड़े सज्जन, बड़े बड़े व्यक्ति उससे सोना बनवाते रहे। यह धन्धा सालों तक चला और धन्धा चलने के बाद में लोगों ने यह कोशिश की कि यह राज़ जानना चाहिए कि वह किस प्रयोग से सोना बनाता है। क्या जरूरत है दुकानदारी करने की और वकालात करने की यह राज़ जानना चाहिए कि सोना किस तरह से बनाता है। मिनिस्ट्री से छुट्टी हो गई इसलिए उन्होंने सोचा कि यह प्रयोग जानना चाहिए और इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और बड़े बड़े आदमी जिन्होंने राजस्थान के करोड़ों रुपयों के फाइनेन्स को हैंन्डल किया है, उन्होंने प्रयोग जानने की कोशिश की। पूछा कि कैसे बनता है। उससे कहा कि बताओ सोना किस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तरह से बनाते हो। उसने कहा कि मैं सोना बना दूंगा लेकिन प्रयोग नहीं बताऊंगा। और माननीय सभापति महोदय फिर क्या हुआ? रास्ता और क्या था कि किसी आदमी से कोई चीज़ मालूम करनी हो तो आदमी सही ढंग से नहीं बताये तो जैसा अभी एक सदस्य ने कहा कि माचे पर चढ़ा दो, तंग करो और इलेक्ट्रिक का करेन्ट लगा दो। इसलिए उस व्यक्ति को मानकचौक के थाने में बुलाया गया और थाने में लॉक-अप में बन्द कर दिया और लॉक-अप में बन्द करने के बाद में उससे पूछा कि जान की खैर चाहते हो तो बताओ कैसे बनाते हो? उसने कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा, बना दूंगा। आपके सामने बना दूंगा लेकिन प्रयोग नहीं बताऊंगा। माननीय सभापति महोदय, उस व्यक्ति का एक ट्रक था। उस ट्रक को मंगाकर उसको बेचा, उससे सेल डीड वहीं लिखवाई और एक प्रोनोट लिखवाया और उस व्यक्ति से बहुत से ऐसे स्टेटमेन्ट्स लिए। बाद में उस व्यक्ति की ज़मानत हुई और उसने कोर्ट में एक स्टेटमेन्ट्स दिया। उस व्यक्ति ने राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय को एक पत्र लिखा और उसकी प्रतिलिपि उन्होंने माननीय गृह मन्त्री जी को भी दी और उसने यह मांग की, मैं नहीं समझता कि उस सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री जी ने क्या कार्यवाही की, यह तो माननीय मन्त्री महोदय अपने प्रत्युत्तर में बतायेंगे। लेकिन जो उन्होंने गृह मन्त्री जी को लेटर की कापी भेजी है उसमें लिखा है :

To
The Chief Minister,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

From,

Murari Lal Attar of Jaipur

Sawan Ashram, Gurmandi, Delhi—6.

Sub: Request to stop harrassment and arrest of the applicant on false and fabricated cases framed by S. H. O. ManakChowk Thana Shri Dalchand at the instigation of 'Roop Narain Yadava, Anandilal Bhatta etc.

Sir,

The undersigned begs to bring to your kind ontice.

1. I am an alchemist who can turn base metals into silver. Your honour I think, remember the experiment I had given at your residence in 1956 along with Baba Govind Dass with mercury. I had also satisfied Dr. Godbole the Industrial Advisor to your Govt. with my art of alchemy and he had submitted his report to your entire satisfaction.

2. That a group of unscrupulous people with the intention of harassing and humiliating me have started registering false reports against me at the Manak Chowik Thana. S. H. O. ManakChowk Thana Shri Dalchand is helping them in their evil designs.

3. That Roop Narain Yadava, Mahendra Bhubu, Sharma, Anandi Lal Bhatt, Sheetal Prasad tailor etc. persuaded one Amer Singh of Booran

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

to lodge a complaint against me under section 406 I. P. C. on 18.10 1958 I was summoned by S. H. O. Thana Mank Chowk. The S. H. O. harrassed me and compelled me to seel my loading truck no. R.G.L. 5012 at the Thana for Rs. 3000/— that had Cost me Rs. 9000/— secondly I was forced to write in a pronote of Rs. 1830/- in favour of Boorsu Thakur. The S. H. O. neither gave me a receipt for the money nor a copy of the pronote.

4. In connection with the above false case I was twice arrested and my houses were searched in vain. I had to furnish two securities of Rs. 10,000/- each and a personal bond of Rs. 20,000/-.

5. Again AnandiLal Bhatt of the same group is reported to have lodged a report in the same thana under 420 against me with the intention of arresting me again on 13-2-59 when I will appear for the 1st case.

6. For the fear of above people I have shifted to Delhi though my family property and business are at Jaipur.

I, therefore, request your honour that my skin and honour may be spared from the clutches of these people and the S. H. O. Mank Chowk Thana who is bent upon to ruin me with harrassment and humilstation under police custody. It would be improper if I again request your honour that it is the direct result of experiment I had given to your honour. These people asked me many a times to work for them but I had refused them including their ring leader. C. M. of Rajasthan.

Yours faithfuly
(MurariLal Attar)

This was sent registered acknowledge due and copies have been sent to home Minister, Government of Rajsthan, I. G. P., Jaipur, D. I. G. Ajmer, S. P. Jaipur, I. G. P. Anti Corruption, Jaipur S. P., C. I. D. Jaipur, Anti Corruption Centre, Governor of Rajasthan.

श्री सभापति : Will the Hon'ble Minister enlighten the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : With great pleasure, I will place it on the table of the House.

श्री सभापति : One thing more, whether this case is sub-judice, or pending in court of law ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not referring the case itself.

श्री रामकिशोर व्यास : I think it is sub-judice.

श्री सभापति : Under what section ?

Page No.43

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन कौन सा है पता नहीं लेकिन सोना बनाने के सम्बन्ध में है।

श्री सभापति : सोना बनाने के संबंध में है।

श्री भैरोंसिंह : सोना बनाने का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हैरेसमेंट हुआ है उसका जिक्र कर रहे For that harrassment no case is pending in the Court.

२ म. प.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have got nothing to do so far as the allegations are concerned, but I am addressing before the House those facts which tend to show that there has been a gross harrassment with this man. तो माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस सम्बन्ध में इस व्यक्ति के साथ पुलिस लॉक-अप के अन्दर ज्यादती की गई है, जिस व्यक्ति का ट्रंक बिकाया जाय, प्रोनोट लॉक-अप में लिखाया जाय और उसकी रसीद नहीं दी जाय, वह व्यक्ति राजस्थान और जयपुर छोड़ने के लिए मज़बूर हो जाय। अनट्रेसेबल (?) बेल उस तरीके से हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया है। उसने लिखा है कि मैं सोना बनाता हूं। अगर विधान सभा को विश्वास नहीं हो तो उसको पुलिस की सुरक्षा के साथ बुलाया जाय ताकि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करे। सिर्फ माणकचौक से विधान सभा तक उसको सुरक्षा के साथ बुला लें तो विधान सभा के सदस्यों के सामने प्रयोग कर सकता हूँ कि किस प्रकार सोना चान्दी से बनाता हूं। क्या जरूरत है जगह जगह से लोन लेने की? क्या जरूरत है इन्टरनेशनल बैंक के सामने झोली फैलाने की, दुनियां के सामने भीख मांगने की। वह शख्श राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सोने का ढेर लगा सकता है और उस सोने को आप दुनियां के अन्दर बेचकर पैसा ले आयें।

श्री सभापति : There should be more sense of legislation.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह जानता हूं कि...

श्री श्रीभानसिंह : Don't you increase Jan Sangh funds from it?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You have been directly making aspirations...and will talk you afterwards. I don't tolerate....माननीय सभापति महोदय अच्छा तो यह था कि राजस्थान सरकार के सामने मसला खड़ा हुआ तो राजस्थान सरकार हिम्मत से यह कहे, और उनके सामने जब यह प्रश्न था कि कौन आदमी है जो सोना बनाता है, चांदी बनाता है तो कागजात सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दें। वह मिसल से सेक्रेटेरियेट में पड़ी हुई है। राजस्थान सरकार नहीं चाहती है कि इस प्रकार के व्यक्तियों से फायदा उठाया जाय। मैं अब उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति के विषय में। उसने जो पत्र माननीय मुख्य मन्त्रीजी को लिखा है और उसकी प्रतिलिपि माननीय गृहमंत्रीजी को दी है वह सदन की मेज़ पर रख देता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं और मैं सदन के सामने सर्टिफाइड कापी उसके स्टेटमेंट की है, वह भी मैं सदन की मेज़ पर रखने को तैयार हूं। कोर्ट में जो उसने बयान दिया, अदालत में बयान दिया है उसमें उसने कहा कि मैं अपना बयान लिखित में पेश कर दूँ। वह लिखित बयान इस प्रकार से है:—

"मैं अपना बयान लिखित पेश करूंगा। गवाहान इस्तगासा और श्री बृजसुन्दरजी मेरे साथ थे सन् ५६ जुलाई से। पारे से मैं चांदी बनाया करता था और यह लोग बाज़ार में सप्लाई किया करते थे। १० तोला चांदी में मैं एक तोला सोना निकालता था और यह लोग इस सोना को बाज़ार में बेचा करते थे। मैंने जुलाई सन् ५८ को यह काम बन्द कर दिया..." तो झगड़ा शुरू हो गया।

"उसके बाद इन लोगों ने मुझे इस फॉर्मूले को देने के लिए कहा मैंने इनकार कर दिया। १८. १०. ५८. को मुझे थाने पर बुलाया गया और नाजायज़ दबाव देकर एक ट्रक नम्बर ५०१२ थाने पर ३००० रु० में बिकाया गया और एक प्रोनोट १८३५०) का अमरसिंह के हक में लिखाया गया। बाकी बयान लिखित में पेश करूंगा।"

यह सर्टिफाइड कापी है इस स्टेटमेंट की और रेलेवेन्ट है। बाकी सारी बातों के बारे में कि वह सोना बृजसुन्दरजी बेचते थे या मोलद मूषगाजी बेचते थे मुझे कुछ नहीं कहना है। सवाल यह है आज हमारे सामने कि ऐसे व्यक्तियों को पुलिस के थाने में बुलाते हैं और बुलाकर इसलिए मारपीट होती है, इसलिए हैरेसमेंट होता है क्योंकि वह एक्सपेरीमेंट। वह प्रयोग, वह जानना चाहते है और वह नहीं बताता है। वह नहीं बताता है तो इस प्रकार से उसको हैरेस किया जाय। यह संकल्प स्वीकृत किया गया होता पहले तो सदन के सदस्यों को अधिकार होता तो मैं समझता हूँ शायद पुलिस के थाने में जा सकता था और पूछ सकता था कि इस आदमी के साथ में हैरेसमेंट क्यों किया जा रहा है। अदालत सामने है। अदालत से न्याय न जाने कब मिलेगा, कितनी देर से मिलेगा, लेकिन आज वह व्यक्ति बेघरबार हो गया। उसके बच्चे औरतें रोते फिरते हैं। जयपुर स्टेशन पर वह उतर नहीं सकता। गाड़ी में बैठा बैठा सीधा चला जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह फाइव इयर प्लान का सारा रुपया दे सकता है तो बरबाद कैसा होगया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) पैसों से बीबी बच्चों का प्यार नहीं मिल सकता है। आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि बीबी बच्चों के सामने पैसे की कीमत ज्यादा रखते हैं। वह बीबी बच्चों के प्यार को ज्यादा कीमत देता है और पैसों को ठुकराता है। उसके सामने दृष्टिकोण दूसरा है। पैसा ही आदमी की आत्मा को संतोष नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की हालत कर दी है कि एक आदमी को घरबार छोड़ने को मज़बूर कर दिया। पुलिस लॉक-अप में फिर धर दिया जाय और मज़बूर किया जाय, माननीय सभापति महोदय, जयपुर आने पर, इसलिए वह

Page No.45

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डरता है और वह कहता है कि जयपुर कैसे आऊं। कहीं आ गया तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, मारेगी और माचे पर चढ़ायेगी। माचे पर खड़ा करेंगे। इलेक्ट्रिक करेंन्ट लगायेंगे कि फार्मूला बताओ। पुलिस का भय आज उसके दिमाग में छाया हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार का संकल्प स्वीकार करेंगे तो एम. एल. ए. तहसील पंचायत के सरपंच को अधिकार हो कि पुलिस के लॉक-अप, कस्टडी में किसी व्यक्ति के साथ में हैरसमेंट किया जाय, ज्यादती की जाय तो जाकर देख सके। जिसको विटनेस बॉक्स में आना होगा वह आयेगा, जिसको नहीं जाना होगा वह नहीं नहीं जायेगा। अनविलिंगनेस विटनेस बनने के बारे में प्रश्न नहीं होता है और मैं समझता हूं कि कोई लीगल कम्प्लीकेशन्स नहीं होते हैं। आज भी ऐसी व्यवस्था राजस्थान सरकार कर सकती है। इसको डाइरेक्ट भेज सकती है, एक सरक्यूलर निकाल सकती है, पुलिस के अधिकारियों को डाइरेक्शन दिया जा सकता है कि कोई एम. एल, ए. या एम. पी. पुलिस के लॉक-अप को देखना चाहे तो देखने दे। आखिर आज भी कई बार जिस किसी विधान की सही ढंग से, नियमित रूप से जानकारी करना चाहे तो विभाग के अधिकारी देते है। प्रश्नों के रूप में जानकारी ले सकते है। यह कोई केवल जानकारी लेने का सवाल नहीं है। पुलिस के कर्मचारियों पर अंकुश बैठाकर रखेंगे और उनको डर रहेगा कि कहीं ज्यादती न हो जाय क्योंकि एम. एल. ए. या जनता के प्रतिनिधि यहां आकर तहकीकात करेंगे, चैक करेंगे, देखेंगे और सरकार के पास रिपोर्ट करेंगे और विधान सभा में सवाल खड़ा करेंगे और कोर्ट के सामने यदि आवश्यक हुआ तो एज़ विटनेस आकर स्टेटमेंट देंगे और अदालत उनके स्टेटमेंट पर गौर करेगी। इसी भावना के साथ संकल्प रखा गया है। हो सकता है कि संकल्प की भाषा ठीक नहीं हो जैसा कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य और बयाना से आने वाले सदस्य ने जो कि भाषा विशेषज्ञ हैं इसमें व्याकरण सम्बन्धी आपत्तियां उठाई है। उनको मुझे स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि जिस प्रकार के वर्डिंग्स चाहिये थे वह नहीं आ सके, उस शब्दावली का प्रयोग नहीं हो सका, लेकिन यह भावना का प्रश्न है। वह पक्ष में बोलें, विपक्ष में बोलें, लेकिन भावना का सबने आदर किया है। पुलिस की ज्यादतियों को सब ने स्वीकार किया हैं। पुलिस की ज्यादतियों पर अंकुश रखने की सब की मांग है और सब की मांग है इसलिए मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस संकल्प की भावनाओं का आदर करते हुए, संकल्प की भावना को सही रूप में समझते हुए संकल्प को स्वीकार करेंगे और पारित करेंगे।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, यह जो संकल्प हमारे सामने है मैं इसका विरोध करता हूं। जो संकल्प यहां लाया गया है मैं समझता हूं इसको यदि सदन में पारित करेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि जिन चीजों की रेमेडी के लिये माननीय सदस्य इस संकल्प को यहां लाये हैं उस मकसद को तो वे हासिल नहीं करेंगे लेकिन इससे काफी ज्यादा नुकसान उनको हो सकता है। जिस चीज़ को उन्होंने रेमेडी के रूप में रखा

(श्री पी. के. चौधरी)

है वह वर्स्ट देन डिज़ीज इट सेल्फ हो सकता है, इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। इसका विरोध करने का अर्थ यह नहीं है कि संकल्प प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्यों ने जो फेक्ट्स रखे हैं वे गलत हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं। फेक्टस सही हो सकते हैं लेकिन इन फेक्टस को ठीक करने के लिये उन्होंने जो सुझाव रखा है, इन्स्टान्स रखी है वह कहीं ऐसा न हो कि ऐसा वातावरण बनादे जो उल्टा पड़े। इसके लिये संकल्प की जरूरत नहीं है। इस संकल्प को पास करने से सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप क्रम्बल डाउन हो जाता है। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। सभापति महोदय, इस संकल्प में कहा गया है कि एम. एल. एज., सरपंच, ग्राम पंचायत या तहसील पंचायत जाकर पुलिस कस्टडी में लोगों का निरीक्षण करें। सभापति महोदय, आज हमने डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है और देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इस देश का काम तीन भागों में विभाजित किया है। एक एग्जीक्यूटिव विंग रखा है दूसरा लेजिस्लेटिव विंग रखा है और तीसरा जुडिशियल विंग रखा है। जो एग्जीक्यूटिव विंग है उसमें पुलिस आती है, गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स आते हैं। और लेजिस्लेटिव विंग लेजिस्लेशन बनाता है पॉलिसी ले डाउन करता है जिसका इम्पलीमेन्टेशन एग्जीक्यूटिव करती है। अब जो एग्ज़ीक्यूटिव उन चीजों को जो पॉलिसी लेजिस्लेचर ले डाउन करता है या जो भी बातें लेजिस्लेचर एग्ज़ीक्यूटिव के सामने रखता है उसको यदि एग्ज़ीक्यूटिव राइट स्प्रिट में अमल में नहीं लाती है, मिस इन्टरप्रिटेशन करती है तो उसका फैसला करने के लिये जुडिशियरी को रखा है। इल्लीगल या गैर कानूनी इन्टेन्शन को मालूम करने के लिये जुडिशियरी को रखा है ताकि एग्ज़ीक्यूटिव लेजिस्लेचर का जो इन्टेन्शन है उसके अनुसार काम कर सके। यह जो रिजोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट करें इसका मतलब यह होता है कि हम हमारे कॉस्टिट्यूशन को चेलेन्ज करने जा रहे हैं। उसको चेलेंज इसके जरिये से इस तरह से कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों के सरपंचों को वहां जाने का पॉवर दे रहे है। सभापति महोदय, राजस्थान में १ करोड़ ६० लाख आदमी बसते हैं और यहां पर ज़िला परिषदों के निर्माण का कानून यहां पर पेश होगा उसके अनुसार एक हजार से डेढ़ हजार तक की आबादी के पीछे एक एक पंचायत होगी तो एक पुलिस स्टेशन के अन्दर कितने सरपंच, तहसील सरपंच और ग्राम पंचायतों के सरपंच होंगे आप अन्दाज लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति को पुलिस ने एरेस्ट किया है या कस्टडी में रखा है तो उसका इन्सपेक्शन करने के लिये एक एक तहसील में सौ सौ व्यक्ति हाज़िर हो जायेंगे जो अगर आप अधिकार देते हैं उनको निरीक्षण का। अब किस काम के लिये निरीक्षण करना चाहते हैं इसका जिक्र प्रस्ताव में नहीं है। वे किसी भी काम के लिये निरीक्षण कर सकते हैं यह अधिकार उनको देंगे तो जो लेजिस्लेचर्स, एम. एल. एज़ हैं उनका यह फंक्शन नहीं है। लेकिन उनको आज कोई मुमानियत नहीं है कि वे पुलिस स्टेशन पर नहीं जा सकते। मैं कहना चाहता हूं कि जो एम. एल. एज अपनी स्टेटस को बनाये रखना चाहते हैं उनको पुलिस स्टेशन पर जाकर निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है बल्कि वे अगर पुलिस सब

(श्री पी. के. चौधरी)

इन्सपेक्टर को जाकर पूछ लें तो पुलिस अधिकारियों की हिम्मत नहीं होगी कि वे गलत काम कर सकें।

उन्होंने मिसाल दी एलकेमिस्ट की। हो सकता है एलकेमिस्ट की मिसाल सही हो लेकिन उन्होंने एलकेमिस्ट की इतनी तारीफ की कि समझ में नहीं आया कि क्या जरूरत थी इतनी तारीफ करने की ? आज जब कि साइन्स की स्टडि इस तरह से हो रही है, एलकेमिस्ट लोग जिस काम की तलाश में रहते हैं और एलकेमिस्ट चेलेंज करते हैं कि चांदी से सोना बना सकते हैं लेकिन आज तक किसी ने चांदी से सोना नहीं बनाया और न बना सकते हैं क्योंकि यदि वे बना सकते तो बड़े बड़े साइन्टिस्ट भी जरूर इसकी तलाश करते और बहुत आगे बढ़ते। आपने कहा कि एलकेमिस्ट पुलिस के डर से मारे मारे फिरते हैं, पुलिस के डर से मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं पड़ती।

दूसरी बात आपने यह कही कि १०० तोला चांदी से १ तोला सोना बनाया गया। मैं कहता हूं कि वह आदमी बेवकूफ होगा जो १०० तोला चांदी से १ तोला सोना बनवायेगा क्योंकि सन् ५६ में १०० तोला चांदी की रेट १ तोला सोने की रेट से ज्यादा थी। यह भी कहा गया कि बृजसुन्दर ने बाजार में उसको बेचा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात कही जाय उसके पीछे लोजिक होनी चाहिये और वह ऐसी होनी चाहिये जो साधारण कॉमनसेन्स के आदमी के दिमाग में आ सके। कौन ऐसा रिस्क लेगा जो १०० तोला चांदी से एक तोला सोना बनवायेगा और उसको बाजार में बेचता है तो मुझे सारा का सारा मनगढंत सा किस्सा लगता है।

दूसरी बात यह कही गई कि कन्फेशन में टोरचर करते हैं। यह सही बात है। लेकिन इसको रोकने का तरीका यह नहीं है कि संरपच वहां जाकर एग्ज़ामिन करे। इसका तरीका यह है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टोन अप करें। हमने कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर किया है। एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन्स के लिये मशीनरी सेट अप की है। अब यदि हमारी मशीनरी प्रोपर्ली फंक्शन नहीं करे तो उसके लिये दो तरीके हो सकते हैं, जो मशीनरी स्ट्रक्चर इस देश की शासन व्यवस्था और राज्य को चलाने के लिये हमने खड़ा किया है या तो वह स्ट्रक्चर डिफेक्टिव है। एग्ज़ीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के अलग अलग फंक्शन्स रखे हैं क्या वह गलत है ? और जैसा कि माननीय सदस्य के रिजोल्यूशन का मतलब होता है सारा का सारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन्स एक ही आदमी को दे दिये जायं तो युनिफाइड पॉवर हो जाय। लेजिस्लेचर, एग्ज़ीक्यूटिव एण्ड जुडिशियरी 'ऑल मे बि युनिफाइड इन वन' इसका नतीजा यह निकलता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद नहीं है। अब सवाल दूसरा आता है यदि लेजिस्लेचर को भी एग्ज़ीक्यूटिव के फंक्शन्स दे दिये जांय तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट को चैलेंज करते हैं। यह नहीं हो सकता। दूसरी बात यह हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर टीक नहीं है तो उसको टोन-अप करने की जरूरत है और उसको टोन अप करने का दूसरा तरीका है। हम विधान सभा में उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पब्लिक ओपिनि-

(श्री पी. के. चौधरी)

यन को उसके खिलाफ मोबेलाइज़ कर सकते हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ़ जनमत तैयार कर सकते हैं और इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम बदल भी सकते हैं। जो एग्ज़ीक्यूटिव है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हम मानते हैं कि पब्लिक गुड के लिए काम नहीं करता है तो उसको बदलने का हमारा अधिकार है। माननीय सदस्य को इस रिजोल्यूशन को लाने से पहले इसके बारे में अपने दिमाग में क्लीयर हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि आज हमारा जो ढांचा है, एग्ज़ीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो फन्क्शन हैं, वे अलग अलग रहें या उनमें कन्फ्यूज़न कर दें, इन्टरमिंगल्ड कर दें ? वे यह चाहते हैं कि हमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए ? अगर यह नहीं चाहते हैं और उनका मतलब यह है कि हमारी एग्जीक्यूटिव की जो मशीनरी है, वह बराबर काम नहीं करती है, उसको टोन-अप करना जरूरी है तो उसका जरिया हमारे पास है, विधान सभा है, पार्लियामेंट है, जहां बैठकर बहस करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसका असर होता है। उसके बाद न्यूज पेपर में प्रचार करते हैं, जनमत क्रियेट करते हैं, उसका असर होता है। वह असर, इतना होता है कि हम उनको बदल भी सकते हैं लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जिन माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को रखा है it is a product of a frustrated mind. उनको यह महसूस हो गया है कि पब्लिक ओपिनियन क्रियेट करके या विधान सभा में भाषण देकर असर चाहते हैं, उसका असर नहीं पड़ता है। जो वे कहते हैं उसका असर नहीं पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में और जनमत को क्रियेट कर के उसको बदल नहीं सकते हैं, ऐसा महसूस हो गया है, तब जाकर वे इस रिज़ोल्यूशन को लाये हैं। इस रिज़ोल्यूशन के पीछे जो भावना है, मैं समझता हूं कि यह भावना इतना कन्फ्यूजन क्रियेट कर देगी कि अगर उसको मंजूर करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लॉ एन्ड ऑर्डर है, वह इस प्रान्त में कम से कम खत्म हो जायगा। अब किसी गवर्नमेंट को खत्म करना है, किसी देश के शासन को खत्म करना है तो उसका जो लॉ एण्ड ऑर्डर है, उसका जो मैनेजमेंट है, हम उसको खोखला बना दें, उसको कमजोर बना दें, उसकी नींव हम तोड़ दें तो जो सरकार है या देश है, वह गिर जाता है। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, मैं नहीं समझता हूं कि ये सारी बातें वे नहीं सोचते हैं। बल्कि मैं मानता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया है, सदन में वे जो बातचीत करते हैं, वे काफी क्विकविटेड होती हैं, उनकी बुद्धि काफी तेज है। I give compliments to him. ऐसा क्विक-विटेड व्यक्ति, इन्टेलीजेन्ट व्यक्ति ने यह प्रस्ताव रखा है, जो बिल्कुल इम्प्रेक्टिकेबल है, जो किसी दुनियां में, किसी देश में····

श्री चन्दनम वैद : This is bye-product of the Hon'ble Member.

श्री पी० के० चौधरी : This I am trying to say.

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इस रिज़ोल्यूशन को नहीं देखा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। माननीय सदस्य ने

Page No.49

(श्री पी. के. चौधरी)

कहा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रतिबन्ध इसमें नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे इस सदन में इस प्रस्ताव को पेश न कर सकें। मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कहा, उसके पीछे की भावना को देखना चाहिए। मैं उस भावना को देखने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रतिबन्ध.

२. १०. म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति पदासीन)

नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की भावना के खिलाफ़ यह जाता है। मैंने इस रिजोल्यूशन के पीछे की भावना को देखने के लिए कहा है, उसको देखने की कोशिश कर रहा था,....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मिली नहीं ?

श्री पी० के० चौधरी : वह यहां मिल गई है कि यह फ्रस्ट्रेटेड माइन्ड का प्रोडक्ट है....

श्री चन्दनमल वैद : बाई प्रोडक्ट है....

श्री पी० के० चौधरी : प्रोडक्ट कहिये, बाई प्रोडक्ट कहिये। यह फ्रस्ट्रेटेड माइन्ड का प्रोडक्ट है। यह समझ में आ गया है कि चूंकि वे सदन में हों या बाहर हों, उनके भाषणों का लोगों पर असर नहीं होता है कि जिससे पब्लिक ओपिनियन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बन जाय, खराब एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने के लिए प्रचार हो। उनके भाषणों से लोगों ने नहीं समझा है कि वे अच्छे हैं और सरकार खराब है। ऐसा फ्रस्ट्रेशन उनके माइन्ड में आया, तब वे यह रिज़ोल्यूशन लाये। इसका असली मकसद एक कन्फ्यूजन पैदा करना है। जिस पार्टी को वे माननीय सदस्य बिलोंग करते हैं, इस पार्टी के रोल को पहले भी देखा है, आज़ादी से पहले भी देखा है और आज भी देखा है। आज इस सदन में सिंह गर्जना होती है, लेकिन आज़ादी से पहले they were like mice. सरकार के खिलाफ़ एक शब्द नहीं कहते थे, आज सिंह गर्जना होती है जनसंघ की तरफ से और जनता के लिए, पब्लिक के लिए, गरीब जनता के लिए उनके दिल का खून बहता है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी पार्टी की जांच करनी है तो उसकी बिल से जांच होती है लेकिन उसकी जो पर्सनलटीज हैं, इस पार्टी में कौनसे आदमी हैं, कौन कन्ट्रोल करता है, उनकी नेक नीयती और उनके करेक्टर से जांच की जाती है। आज हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जनसंघ के कौनसे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं। आज सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, सोशलिज्म की तरफ गवर्नमेंट ने, प्लानिंग कमीशन ने, कांग्रेस ने पहला कदम, एफेक्टिव कदम उठाया, वह कोऑपरेटिव फार्मिंग का है, आज जनसंघ उसका डट कर विरोध करता है। आज स्टेट ट्रेडिंग की बात करते हैं, आज व्यापार के ऊपर कन्ट्रोल रखने की बात करते हैं, तो इनका जनसंघ विरोध करता है। एक तरफ मीठी मीठी बातें करते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीज़न होते हैं, कोई प्रोग्रेसिव स्टेप होता है, तो उसका विरोध करते हैं। इसलिए इसका

(श्री पी. के. चौधरी)

जो इतिहास देखेंगे तो ऐसा लगेगा। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि उनकी तरफ से जो रिजोल्यूशन आया है, उसको किसी गुड इन्टेन्शन से लाया गया है, जो पुलिस की ज्यादती है, उसको रोकने के लिए लाया गया है। पुलिस की ज्यादती ऐसे नहीं रोक सकते हैं। यह हाईपोथेटिकली मान कर नहीं चल सकते, ऐसी कौनसी परिस्थितियां हैं, यह एक्सपेरीमेन्ट करके क्या देख लिया है? आप पुलिस के एक सब स्टेशन को लेकर एक्सपेरीमेंट करें तो आप देखेंगे कि यह टोटली फेल होगा। इसका नतीजा यह होगा कि लॉ एन्ड ऑर्डर उस एरिया में नहीं रह सकता है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव है, उसकी इन्टेन्शन सिर्फ इतनी है कि कन्फ्यूजन क्रीयेट करना है और कन्फ्यूजन क्रीयेट करके उसका जो भी फायदा होगा, उस बेनिफिट को आप लोग उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं सदन के तमाम माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह रिजोल्यूशन है, उसको मंजूर नहीं किया जाय। यह जो पुलिस के टोरचर्स की बात है, उसके लिए, उसको रोकने के लिए हमें होम मिनिस्टर की टाइटन करना चाहिए, we can remove him. उस पर दबाव डाल सकते हैं। इसका तरीका यह नहीं है कि किसी ने कहा कि सिर दर्द हो गया है, हैडेक हो गया हैडेक की रेमेडी यह नहीं that cut off his head लेकिन हैडेक क्यों हुआ What is the cause of it? उसको देखना चाहिए, कब्जियत की वजह से हैडेक है, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से हैडेक होता है, उसके लिए जुलाब देते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कॉज एन्ड अफेक्ट। इसका मतलब यह होता है कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं, उसका री-एक्शन क्या होता है? यह जो रिजोल्यूशन है, उसके कॉज एन्ड अफेक्ट को देख कर फिर हमको इस प्रस्ताव पर अपना मत देना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए। जो एक्शन हम लेंगे, उसका क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा यह निकलेगा कि सारे का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वह कॉलेप्स कर जायगा। इस एडमिनिस्ट्रेशन को कॉलेप्स करने से, इसे गिराने से माननीय सदस्य का, किसी सदस्य का कोई मकसद पूरा होता हो, पर्पज सर्व होता हो, वैसे मैं तो नहीं मानता हूं कि यह पर्पज इस रिजोल्यूशन को हाउस के अन्दर पेश करने के समय, हाउस के सामने प्रस्तुत करते वक्त, प्रस्तुत कर्ता ने बिल्कुल नहीं कहा है कि हम इस प्रान्त के एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एन्ड ऑर्डर को बिल्कुल कॉलेप्स करना चाहते हैं, उसको गिराना चाहते हैं। यह कहा गया है कि उसे सुधारना चाहते हैं, जो हैरेसमेंट होता है, उसको रोकना चाहते हैं लेकिन इसको हम एक्शन में लायेंगे तो नतीजा यह निकलेगा कि लॉ एन्ड ऑर्डर के ढांचे को हम डेटेरियोरेट करेंगे, कॉलेप्स करेंगे It is most impracticable suggestion a man can ever think of और आज तक किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इस बात को कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं that this resolution should not be given more importance than it deserves, and they should reject it.

श्री सभापति : श्रीसोहनलाल भटनागर।

Page No.51

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक का....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : विधेयक नहीं संकल्प ।

श्री सोहनलाल भटनागर : संकल्प का मैं विरोध करता हूं । मैं मान लेता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है उनकी भावना ठीक हो सकती है पर प्रेक्टिकल पोइन्ट ऑफ व्यू से इसे सोचें तो यह कभी प्रेक्टिकल हो नही सकता ।

मैं मानता हूं पुलिस जो हमें मिली है वह पुरानी पुलिस विरासत में हमें मिली है, अंग्रेजों और राजाओं के जमाने की विरासत में मिली है, उस पुलिस के पास साइन्टिफिक मैथड्स नहीं हैं इसलिये एक्यूज़्ड और क्रिमिनल्स के साथ ज्यादती करनी पड़ती है । एक तरफ यदि पुलिस ऑफिसर्स ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, बरामदगी नहीं करें, रिकवरी नहीं करें, डिस्कवरी नहीं करें, तो जनता में उनके विरुद्ध भर्त्सना फैलती है । दूसरी तरफ जब कि साइन्टिफिक मैथड्स नहीं होते है तो जो पुराने क्रूअल मैथड्स हैं, उनको ही अपनाना पड़ता है पर डेमोक्रेसी में ऐसे क्रुअल मैथड्स काम में लाने की आवश्यकता नहीं, सरकार को चाहिये कि दूसरे देशों में जो साइन्टिफिक मैथड्स अपनाये जाते हैं वे अपने यहां भी, अपनाते जायं । पर इस संकल्प के पीछे जो यह भावना है कि असेम्बली के मेम्बर और तहसीलों के जो सरपंच हैं उनको यह अधिकार दिया जाय कि वे पुलिस कस्टडी में जा कर मुल्जिम को देखें तो इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ माननीय चेयरमैन महोदय कि एक तरफ यह आवाज उठाई जाती है जैसा कि स्पष्ट है कि असेम्बली में आने वाले सदस्य और तहसीलों के सरपंच, इनका सम्बन्ध राजनैतिक पार्टी से रहता है । एक तरफ कोई पब्लिक इम्पोर्टेन्स का प्रश्न आता है तो यह कहते हैं कि राजनैतिक व्यक्ति इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसका सर्वेक्षण नहीं करें और दूसरी तरफ यह संकल्प रखते हैं कि राजनैतिक काम करने वाले व्यक्ति इसमें इन्वेस्टिगेशन करें ।

कोई भी एक्युज्ड गिरफ्तार होता है तो २४ घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उसे लाना पड़ता है, मजिस्ट्रेट जो कि एक जुडिशियरी व्यक्ति है, उसके सामने एक्युज्ड को लाया जाय तो उसके सामने मौका होता है कि बेल पर एन्लार्ज करें या मियाद और बढ़ाये । तो ऐसी सूरत में हम कैसे कहें कि मजिस्ट्रेट का अख्तियार, एक जुडिशियरी व्यक्ति का अधिकार तहसील पंचायत के सरपंच को या विधान सभा के सदस्य को दे सकते है । इस संकल्प को यदि क्रियान्वित किया गया तो बड़ी भारी अशान्ति फैलने वाली है, तहसील पंचायत के सरपंच या विधान सभा के सदस्य मजिस्ट्रेट का काम किस प्रकार ठीक तरह से कर सकते है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि मजिस्ट्रेट की हालत यह है कि पुलिस से डरते हैं, जैसा कि सदन में कह दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एन्ड एग्जीक्युटिव शीघ्र ही किया जायगा । ३६ जगह मुंशिफ मजिस्टेट्स हो गये और बापना कमेटी ने जैसा कि निर्देश दिया है, उस प्रकार का राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है ।

श्री सभापति : May I know from the Hon'ble Member. ....

(श्री सभापति)

बापना कमेटी का क्या निर्णय है ?

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या साहब ?

श्री सभापति : Is the Hon'ble. Member aware of the recommendations of the Bapna Committee...

आपने अभी फरमाया कि बापना कमेटी ने जैसा कि निर्देश दिया है वैसा ही राजस्थान सरकार करेगी तो....

श्री सोहनलाल भटनागर : वह पेपर में निकला था ....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या आप पेपर के आधार पर सदन में बात कहते हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर : आप तो अफवाहों के आधार पर भी कहते हैं, मैं तो पेपर के आधार पर कह रहा हूं।

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय चेयरमैन महोदय, जो यह संकल्प है कि मजिस्ट्रेट को जो पॉवर दिये हैं वे राजनैतिक व्यक्तियों को दिये जांय तो यह अनुचित और अव्यवहार है। एक व्यक्ति जनसंघ को बिलोंग करता है और कांग्रेस वालों के पास चला गया या कांग्रेस को बिलोंग करता है और जनसंघ वालों के पास चला गया तो वे आगे जाकर कुछ कार्यवाही नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संकल्प से कुछ नहीं होने वाला है, मजिस्ट्रेट के सामने एक्युज्ड जाता है, २४ घंटे के बाद या तो पुलिस कस्टडी से हटा दिया जाता है या रिमान्ड पर फिर दे दिया जाता है। किसी लेजिस्लेचर या तहसील पंचायत के सरपंच के पास शिकायत चली गई और मान लीजिये उसके सामने उस एक्युज्ड को ले जाया जाता है तो वह लेजिस्लेटर या सरपंच के सामने टार्चर के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि सरपंच या लेजिस्लेचर तो जाने वाला है और उसे पुलिस की कस्टडी में रहना है, उसको इस प्रकार का भय बना रहेगा और वह टार्चर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकेगा। तो यह आशा करना कि वह सारी बातें कह देगा, ऐसी कोई बात समझ में नहीं आती।

दूसरे इसकी इम्प्रेक्टिबेलिटी के बारे में निवेदन करूंगा। मान लीजिये वे चले भी गये तो कुछ नहीं होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट किये बगैर यह संकल्प कभी कामयाब नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन के मैथड्स को ठीक किया जाय तभी माननीय सदस्य की इस संकल्प के पीछे जो भावना है उसमें कामयाबी मिल सकती है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। इसमें दृष्टिकोण का मतभेद हो सकता है, कोई इस संकल्प को किसी भावना से

(श्री मोहरसिंह)

विचार करें, कोई इस संकल्प पर दूसरी भावना से विचार करे, परन्तु वास्तव में इसे देखने से और इसके शब्दों को पढ़ने से जो इसमें भावना निहित हैं, इसको गम्भीरता से देखें तो वर्तमान पुलिस का जो रवैया है, उसको सुधारने में इसमें मदद मिलती है।

सभापति महोदय, वास्तव में आज की पुलिस के रवैये में और एकतन्त्रवाद के जमाने में, राजाओं, अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिस थी उसके रवैये में कोई फर्क नहीं है। यह जो प्रस्तुत किया गया है, यह पुलिस के दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया गया है। आज क्या थाने के अन्दर और क्या थाने के बाहर कहीं भी हम पुलिस की कार्यवाहियों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि आज पुलिस की ओर से ऐसी कार्यवाहियां की जाती हैं जो कि प्रजातन्त्र के ढंग की नहीं हैं लोगों को सुख सुविधा पहुँचाने वाली नहीं है। काम है पुलिस का शान्ति सुरक्षा बनाये रखने का पर पुलिस आज जितनी इस जिम्मेदारी को निभा रही है, यह सबको अच्छी तरह से मालूम है। है। जिस तरह के यहां दो तीन रोज से प्रश्नों के उत्तरों को सुनता हूं तो महसूस करता हूं कि किस तरह पुलिस तस्कर व्यापारियों के काम में दिलचस्पी लेती है। २६१ तस्कर व्यापारियों के नाम लिए गए कि २६१ तस्कर व्यापारियों को पकड़ा गया। कितना लम्बा चौड़ा इलाका पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। करीब चार पांच महीने से फर्क पड़ा है, इसलिए नहीं कि पुलिस अच्छी तरह हिम्मत से काम कर रही है, पर इसके दूसरे ही कारण हैं। पुलिस खुद बखुद मिल कर तस्कर व्यापार को बढ़ावा दे रही है।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

श्री मोहरसिंह : इस प्रकार से तस्कर व्यापार में बढ़ावा देने वाले अधिकारियों को बढ़ावा दिया जाता है और उसमें रूकावट डालनेवाले अच्छे पुलिस ऑफिसर को आज परेशान किया जा रहा है। जिस डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने इस प्रकार के कामों में भाग लेनेवाले थानेदार को पकड़ा उस डी. एस. पी. का उस जगह से तबादला कर दिया गया बजाय उस थानेदार के प्रति किसी प्रकार का एक्शन लेने के। इससे जनता का मोरल कितना डाउन होता है यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। वास्तव में रिश्वतखोरों को रोकनेवाला और तस्कर व्यापार को रोकनेवाला जो अधिकारी था आज वास्तव में वह दुःखी सा हो रहा है वास्तव में इन सारी घटनाओं से मालूम होता है कि पुलिस उनको प्रोत्साहन देती है। इसी का यह परिणाम है कि पिछली ४ तारीख को थानें में आदमियों की मृत्यु होती है। बीकानेर के थाने में आदमी की मृत्यु हुई। मैं उसको अच्छी तरह से जानता था उसका नाम कुम्भाराम था वह बीकानेर में तांगे चलाने का काम करता था। मेरे गांव से कुछ ही मील दूर रहता था। किसी तरह से उसको बीकानेर के थाने में बुलाया जाता है और उसकी पिटाई होती है और वह खत्म हो जाता है। इस प्रकार की कई घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। मैं समझता हूं कि वास्तव में जो पुलिस का कर्तव्य है वह वास्तव में प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के खिलाफ़ है और आज

(श्री मोहरसिंह)

वह उसी प्रकार का है जो राजाओं और अंग्रेजों की हकूमत के समय में था। पुलिस अपने आप को शासक समझती है न कि जनता की सहयोगी। वास्तव में उनको जनता के हर कार्य में सहयोग देना चाहिये मगर इसके विपरीत वे आचरण करते हैं। आज यदि कोई प्रगतिशील जनसमाज किसी के लिये आंदोलन करता है तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। एक एम. एल. ए. का कल हो प्रश्न आया उसको किस प्रकार हथकड़ियें डाल कर फिराया गया। इस प्रकार के कई केसेज़ (घटनाएं) हैं जो हमें मालूम हैं जो सेक्शन १०७, १०९ और ११० सी. आर. पी. सी. के जरिये पुलिस लोगों को तंग करती है और इन धाराओं का दुरुपयोग किया जाता है जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ़ कुछ भी कहते हैं और आन्दोलन करते हैं। किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी अपराध के बेकार ही थाने में ले जाकर ठूंस दिया जाता है। इन सारी बातों को विचारने के बाद मैं कह सकता हूं कि पुलिस के काम करने का जो तरीका है उसको बदल दिया जाय। अगर आपको समाजवादी ढांचा और कल्याणकारी राज्य लाना है तो पुलिस के रवैये को जनतन्त्र के ढांचे में ढालना होगा। पुलिस को आचार संगत बनाना चाहिये और इसके लिये एक कमेटी बनाई जानी चाहिये जिससे पुलिस जनता के लिये सहयोगिक सिद्ध हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह कहना चाहता हूं कि संकल्प की जो भावना है वह सीधी है और इससे पुलिस द्वारा होनेवाले अत्याचार बन्द होंगे और प्रजातन्त्र फलेगा फूलेगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, यह संकल्प जो रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। कारण कि आज हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं उसके अन्दर किसी कर्मचारी के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वह डिपार्टमेंट अपने मामले को जिसमें वह नौकर है, उसकी जांच होती है इसलिये यह संकल्प उचित है क्योंकि आज पब्लिक के कर्मचारी नीचे से ऊपर तक सम्बन्ध रखते हैं और ये लोग जैसे पब्लिक के प्रतिनिधि और सेवक माने जाते हैं उनकी रक्षा के लिये, अपने देश की समृद्धि लाने के लिये, आगे बढ़ाने के लिये, हर तरह की चीज भी कर सकते हैं। जिनकी डिपार्टमेंट सम्बन्धी जांच की जा सकती है उसी तरह से एम. एल. ए. और पंच आदि जनता के प्रतिनिधि हैं। चाहे नगरपालिका के सभापति हो चाहे ग्रामपंचायत या तहसील पंचायत या एम. एल. ए. परन्तु जनता के अगुवानी माने हुए प्रतिनिधि हैं इसलिये वाकई में उनके द्वारा होने वाला भ्रष्टाचार या मारपीट की जांच जो पुलिस में की जाए, की जानी चाहिये या किसी को पुलिस कस्टडी में ले गये हों तो उसकी जांच होगी तो वाजिब होगा। मैं इस तरह से एम. एल. ए. या सरपंच आदि से इस प्रकार की जांच होने में किसी प्रकार की बुराई नहीं समझता हूं। कई माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है लेकिन मैं यह समझता हूं कि उन्होंने इसका विरोध अपनी विरोध करने की आदत के अनुसार ही किया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमको देश में सत्यता लानी चाहिये। इस प्रकार की पुलिस से देश में कल्याण करने से हम मजबूर हैं। हमको सत्यता लानी चाहिये और हमारे यहां पर पुलिस की बातें करके, पैसा कमाने की बात करके, हम लोगों की बातें नहीं होगी। हमें सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करें और

Page No.55

(श्री मोहरसिंह)

हम दुनियां के साथ चलने की बातें बताते हैं और वास्तव में उसके अनुसार चलते नहीं हैं तो धोखेबाजी करते हैं । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह उचित संकल्प है इसको मंजूर किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों को अधिकारी प्रोत्साहन देते हैं जहां तक मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री भी उनको आड़ में रख कर उनके साथ भ्रष्टाचार करवाते हैं । मैं आपको एक बात बताता हूं । आज हमारे यहां पर एक सोशियलिस्ट पार्टी ने किसी चीज को लेकर अपनी आलोचना छेड़ी तो उन्होंने आन्दोलन छेड़ा और उसमें उन्होंने न तो किसी को गाली दी न किसी का कुछ कपड़ा पकड़ा या लाठी लकड़ी की, महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर हमारा आन्दोलन चला रहे हैं । यह आन्दोलन हमारे रोटी की व्यवस्था के लिये है । इसके लिये कागज़ चल रहे हैं । हम अपने आन्दोलन द्वारा सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाना चाहते हैं और हमारी मांग की पूर्ति करने के लिये हमारा आन्दोलन चला रहे हैं कोई किसी के विरोध में नहीं था न कोई राजनैतिक ध्येय था । मगर फिर भी पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की और इतना अत्याचार किया गया जितना किसी डाका डालनेवालों के साथ अत्याचार नहीं कर सकते । उन लोगों को बुरी तरह से पीटा गया । जंगलों में ले जाकर और पुलिस में ले जाकर पीटा गया और पीट पीट कर जंगलों में उनको छोड़ दिया गया । क्या यह न्याय की मांग है जिसकी रिपोर्ट हमने गृह मंत्री के पास भेजी थी । उसका कोई जवाब नहीं दिया और गोलमाल जवाब देती रही । वहां पर एक वकील ने यह कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं । वह जनसंघ का वकील श्री पतिजी थे उनको पुलिस पेरोकार ने कहा कि उनको पीटने करने की कोई जरूरत नहीं है यदि इन्होंने कुछ कसूर किया है तो इनको सज़ा कर दी जावे । मगर उसके साथ भी बहुत अच्छा सलूक नहीं किया गया । अगर कोई अपनी मांग के लिये लड़ाई करता है तो उसको अच्छी तरह से मार मार कर भगा दिया जाता है । अगर कोई ५ दिन का भूखा है और रोटी मांगने जाता है उसको बुरी तरह से पीटा जाता है । उसके लिए वकील साहब ने बात कही । ज्यादा कुछ नहीं कहा । पुलिस पैरोकार, सरकारी वकील माना जाता है, उसने अचानक उस वकील को मारना शुरु कर दिया, चपरासी को बुलाया, कारतूस वगैरह इधर उधर लेकर, तीन चार घंटे तक सजा के मुताबिक उसको वहां रख छोड़ा । जो लोग न्याय के साथ बोलते हैं उनको इस तरह से कुचला जाता है, पछाड़ा जाता है, फिर उस पर सरकार कहती है कि पुलिस का व्यवहार अच्छा है । ऐसी बातें हैं और यदि माननीय गृह मंत्री जी को इस विभाग को सम्हालने की हिम्मत नहीं है या व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, मुझे कहना तो नहीं था लेकिन कहता हूं कि नहीं सम्हाल सकते तो उनको इससे स्तीफा दे देना चाहिये । गरीब जनता बेरहमी से पीटी जा रही है और आप मोटर और हवाई जहाजों में हवा खा रहे हैं, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता, जन माल की व्यवस्था करते, वे तो मोटर, हवाई जहाज़ों में हवा खाते हैं, पंखों के नीचे हवा खाते हैं और उधर गरीबों पर अत्याचार हो रहे है उसके लिए मंत्रीजी की कोई दृष्टि नहीं । ऊपर वाले भी मिले हुए हैं, जैसे एक सवार

(श्री मोहरसिंह)

घोड़े पर बैठता है, लगाम पकड़ने वाला गलती करता है यदि घोड़ा गलत रास्ते पर जाता है, खड्डे में जा रहा है, कांटों में जाता है। घोड़ा हो सकता है बदमाश है, बेईमान है, लेकिन सवार को सम्हालकर चलाना चाहिये ताकि उसको इधर उधर न जाने देवे। इधर उधर जाकर पेड़ तोड़ देता है, लोगों को फुसला देता है, दंड का भागी है घोड़े पर बैठने वाला सवार। इतने अत्याचार आज पुलिस द्वारा हो रहे हैं कि समय समय पर उनकी विधान सभा में चर्चा होती है, देश की शिकायतें आ रही है, होम मिनिस्टर के घर पर पांच दस आदमी बैठ कर शिकायतें सुना देते हैं, हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं। एक दिन भी मैं होम मिनिस्टर का बंगला खाली नहीं देखता हूं कि जब पांच चार आदमी शिकायतें लेकर न जावें, ज़रूर मिलेंगे और जाते हैं। मंत्री महोदय ध्यान नहीं रखते। हमेशा किसी हालत में जनता को काबू में और अपना गुलाम बना कर रखने के लिए पुलिस वालों को यह छूट दे रखी है। यदि ऐसा नहीं होता तो एक आध केस में तो पुलिस वालों को सजा दिलाई होती, हजारों में से एक तो सही होगा, मान लीजिये हम तो झूंठ कहते हैं, लेकिन एक भी केस में पुलिस वालों को पकड़ कर सजा नहीं दिलाई। सजा दिलाई तो जेल में नम्बरदार बुलाकर लोगों को पीट देते हैं। जेलों में भरा तो वहां उनको पीटा जा रहा है। पुलिस थानेदार है वहां भी वह अत्याचार कर रहा है। पुलिस वालों ने यह स्थिति देख रखी है। मैं तो ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, साधारण और पिछड़ी जाति का लड़का हूं। देश का अनुभव नहीं है। लेकिन कान से सुनता हूं कि पुलिस वाले इतने अत्याचार करते हैं। हमारे साथ इतना किया वह बाद में कहूंगा। इतना देश में हो रहा है, मैं सुनता हूं कि गृह मंत्रीजी बागडोर लेकर बैठे हैं आपको मालूम नहीं होगा ये अत्याचार मैं नहीं मानता। अंग्रेजों के जमाने जैसा रिकॉर्ड लेकर बैठे हैं और वैसे ही अत्याचार आज किये जा रहे हैं।

पुलिस वाले भ्रष्टाचार करते हैं उसके विषय में जानकारी दूंगा। एक गांव मोखनपुरा, कुशलगढ़, पाटन का थानेदार मिल कर कुशल...मध्यप्रदेश की सरहद में गांव है, वहां डाका डाल कर सैकड़ों मवेशी ले आये, कुशलगढ़ में एक दो लाये होंगे सैकड़ों लाये, सरकार को पैसा दिया, सौ रुपये की मवेशी पचास रुपया में दे दी गई। सैकड़ों मवेशी लाकर वे बेच कर खा गये। उसकी शिकायत गृह मंत्रालय में नहीं आयी होगी यह मैं नहीं समझता। सैकड़ों मवेशी लाकर पुलिस वाले बेच कर खा गये। ईमानदार होते तो मुल्जिम को लाकर अदालत में पेश किया जाता और सजा देने के बाद मालिक को मवेशी सुपुर्द की जाती। लेकिन उनको पुलिस वाले बेच कर खा गये। या तो सरकार को, उनको बेच कर खजाने में पैसा जमा कराते। सरकार के पुलिस वाले कमाऊ बैठे हैं ये कमाते हैं और हमको खाने को मिलता है। आपको पब्लिक जल्दी ही उखाड़ देगी। बुराइयों को देख देख कर जनता परेशान हो चुकी है, आपको तत्काल उखाड़ देगी। इस तरह से आज जनता की पुलिस रक्षा कर रही है। दुनिया की कहावत है कि पुलिस जनता के जान माल की रक्षक है, हमारे राजस्थान के अधिकार उसके लिए निश्चित हैं कि पुलिस उनकी रक्षा करने वाली है। उनकी रक्षा

Page No.57

(श्री हीराभाई)

करने वाली तो हो भले ही लेकिन जनता की रक्षा करने वाली नहीं है। जनता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि मिनिस्टर साहब नहीं सुनते। इस तरह का धन्धा बना रखा है कि किसी तरह से जनता को नोचे, खसोटे और जनता को लूट कर नीच तरीके बनाये रखे। ग्राम अरथुना में पुराना मंदिर था, वहां पर पुराना धन गड़ा हुआ था बागीदोरो के पुलिस वालों ने एस. पी. चड्ढा साहब ने धन रातों रात निकाल कर अहमदाबाद में लेजा कर बेच दिया उनके हाथ में हुकूमत है। कई साथियों ने कहा कि ऐसा हुआ। पुलिस वालों का राज है, उनसे लड़ेंगे तो हजारों रुपया खर्च होगा और उसका नतीजा साइफर होगा। ऊपर के काम करने वाले हैं वे क्या करेंगे। सब बनी बनाई चीजें होती हैं। ज्यादा तो अपन यह करें कि इस सरकार को ही खत्म करो। पुलिस वाले मिले मिलाये हैं। जैसे मैंने घोड़ा और सवार की बात कही। हम क्यों उनसे भीख मांगे, उनके हाथ जोड़ें। कभी नहीं जोड़ेंगे। आजादी का जमाना है, स्वतन्त्रता सब के लिए है। जब रक्षा की मांग करते हैं तो पीटे जाते हैं, हमारे पर गोला छोड़ा जाता है, कई साथियों को बन्दूकों के कुन्दे मारे, दांत तोड़े दिये। पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने जांच नहीं की और सर्टिफिकेट नहीं दिये। पुलिस वालों ने बलात्कार किया। शिकायतें करते हैं तो १ दिसम्बर से लगा कर आज तक जांच पड़ताल नहीं हुई। जिनके हाथ में पुलिस की बागडोर है, उनके पुलिस मैन को वे नहीं रोकते। जब पुलिस के भ्रष्टाचार को रखते हैं सदन में तो कोई जांच नहीं होती। हम उन हाथ जोड़ने वालों में नहीं है। गांधीजी ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते पर चलने वाले हैं।

३.म०प०

हम कोई भिखमंगे या कंगाल थोड़े ही हैं जो उनके आगे हाथ जोड़ें, पांव पड़ें। जो सच्ची बात के लिये आगे आता है तो उसके लिये आज के समय में डन्डा है जो उन पुलिस वालों को हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं उनके लिये तो पुलिस वालों का आशिर्वाद है। गांधीजी के बताये हुए रास्ते पर जो चलते हुए सही मार्ग बताना चाहते हैं। उनको तो दन्ड मिलता है। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर वह गांधीजी के रास्ते पर नहीं चलेगी तो वह सरकार खत्म हो जायगी। फिर कहा जाता है कि पुलिस ईमानदार है तो जो संकल्प लाया गया है ग्राम पंचायतों के पंचों और सरपंचों को पुलिस की हिरासत में जो आदमी है उसको देखने से मना क्यों किया जाता है। आप यह कहते हैं कि पुलिस ईमानदार है वैसी हालत में तो आपको इसे स्वीकार करने में आनाकानी नहीं होनी चाहिये। लेकिन आप इसको मन्जूर नहीं करते यह हम विरोधियों के लिये बहुत अच्छा है। इसका उपयोग विरोधी दल द्वारा सभाओं में हो सकेगा। हरिजनों के लिये म्युनिसिपल बिल में बातें हुई उस विषय में मुझे भी कहा गया कि मैं भी बोलूं लेकिन मैं इस विषय में नहीं बोलूंगा।

ऐसी हालत में सभापति महोदय बागीडोरा में डाबर कांड हुआ २५ लाख का डाबर कांड हुआ यह सरकार की चोरी हुई इस पर भी पुलिस वालों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। यह पुलिस वालों की मिली भगत थी, जिसको

Page No.58

(श्री हीराभाई)

मालियत की रक्षा के लिये रखा गया है वहां पर पुलिस सरकारी सम्पत्ति की भी रक्षा नहीं कर सकती पुलिस वालों ने जांच नहीं की। यह नीचे से लेकर ऊपर तक इसला है माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करूं सरकार तो सुनेगी नहीं, आज तो छाछ दूध पानी तीनों का मिलान हो गया है। ऐसी हालत में यह जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका दूर होना मुश्किल है इसी कारण डाबर कांड हुआ। इसमें वहां के कांग्रेस के चैयरमैन लूनलाल का भी हाथ था, उन्हीं के कारण ये सारी कार गुजारियां हुई। फिर क्योंकि वे कांग्रेस के आदमी थे इसी कारण हमारे मन्त्री महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया....

(घंटी)

सभापति महोदय, एक दो मिनिट और बोलूंगा। सभापति महोदय, अगर हमारे यहां इसी प्रकार की स्थिति रही तो मिनिस्टर साहब इन पुलिस वालों के भरोसे रहे, तो मैं उनको कह देना चाहता हूं कि जो हालत इंगलैंड पाकिस्तान में हुई वह हालत हमारे यहां भी होने वाली है। यहां पुलिस वालों का राज हो जावेगा। अगर सरकार अपने को जनता के प्रति जबाब दार नहीं समझेगी तो वह दिन दूर नहीं जब पुलिस वालों का राज होने वाला है। आपको जनता के प्रति जिम्मेदार समझना चाहिये और जनता के प्रतिनिधि जो पुलिस कस्टडी में व्यक्ति हैं उसको देखने का अधिकार रहे। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वे आदमी जनता के सेवक की स्थिति में जांच करेंगे। आज यह मन्जूर होने वाला नहीं क्योंकि आज तो भ्रष्टाचार भरा हुआ है और भ्रष्टाचारी पुलिस की हकूमत है इस बारे में भी मिसाल दे सकता हूं। ग्राम पंचायतों में....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री मान सभापति जी दो मिनिट और बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : No No समय काफी दिया है।

डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): माननीय सभापति महोदय, यह जो संकल्प सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है मैं उसका विरोध करती हूं। न तो इस संकल्प की भाषा साफ है और न भाव ही स्पष्ट है। इसको बराबर पढ़ने पर भी मेरी समझ में नही आया कि हमारे माननीय सदस्य आखिरकार इस प्रस्ताव द्वारा कहना क्या चाहते हैं? लेकिन इसके समर्थन में जो विचार प्रगट किये गये उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूं कि हमारी पुलिस की कस्टडी में रहने वाले जो लोग हैं। उनके साथ जो ज्यादती की जाती है वह अखरने वाली है उसको दूर किया जाना चाहिये, संकल्प की अगर यह भावना है तो मैं समझती हूं इसका समर्थन सभी करेंगे। और मैं समझती हूं हमारे गृह मन्त्री महोदय भी इससे असहमत नहीं होंगे कि पुलिस द्वारा जो ज्यादती हवालात की हालत में किसी भी व्यक्ति पर न हो। इस संकल्प में उसके लिये जो उपाय बताये गये हैं मैं नहीं समझती वह इसका सही इलाज हो सकता है। ग्राम पंचायतों के सरपंच और तहसील पंचायतों के सरपंचों को निरीक्षण का अधिकार मात्र

(डॉ० चन्द्रकला)

देने से मैं नहीं समझती ये ज्यादतियां बन्द हो सकती हैं । अच्छा होता माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई रचनात्मक सुझाव देते । तब निश्चय ही सदन उस रचनात्मक सुझाव का स्वागत करता । केवल वहां जाकर देख लेने से सभापति महोदय, उन पर होने वाली ज्यादतियों का निराकरण नहीं हो सकता । हम सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच और तहसील पंचायत पंचों और विधान सभा के सदस्यों का क्या क्या कार्यक्षेत्र है, क्या उन्हें अधिकार हैं और कहां तक वे काम कर सकते हैं । मैं इस संकल्प के बारे में इसके वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार नहीं करना चाहती । इस बात का समर्थन करते हुए कि कस्टडी में होने वाले व्यक्तियों पर अन्याय नहीं होना चाहिये, इस बात का समर्थन करते हुए मैं अवश्य चाहती हूं कि इस बारे में कोई न कोई सुझाव दिया जाय हमको आजादी मिले बहुत साल हो गये जब कि हम जनतन्त्रात्मक सरकार होने का दावा करते हैं । हमें बड़ी नम्रता के साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज भी पुलिस का जो ढंग है, पुलिस का जो तरीका है वह उतना ही पुराना है । यह जानते हुए भी आज कल बहुत से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके निकल रहे हैं । अपराधी की खोज करना समाज की सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिये आवश्यक है । लेकिन हम आज भी इस क्षेत्र में पुराने तरीके ही अपना रहे हैं । इसमें शक नहीं । अपराध जिन लोगों ने किया है वे इस तरीके से अपराध कबूल कर लेते हैं किन्तु हमें ये पुराने तरीके छोड़ कर आधुनिक तरीके इसके लिये अपनाने पड़ेंगे ।

मैं समझती हूं कि हमारी सरकार भी इसको स्वीकार करती होगी । तो जहां तक हमारे माननीय सदस्य की इस भावना का सवाल है इसका सदन आदर करता है और इसको स्वीकार करता है । लेकिन इसके आगे बढ़कर जब हम यह देखते हैं कि केवल केवल निरीक्षण का अधिकार दे दिया जावे तो इससे क्या मिलने वाला है । हम सभी जानते हैं कि हमें बहुत जगह निरीक्षण के अधिकार मिले हुए हैं । चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में मिले हुए हैं और और जगह मिले हुए हैं । पर इससे क्या परिणाम निकलता है ? पुलिस में होने वाले कार्यों को उसके अत्याचारों को सभी देखते हैं, गांव के पंच सरपंच भी देखते हैं, तहसील सरपंच भी देखते हैं, विधान सभाई भी देखते हैं और शायद हमारे गृह मन्त्री भी देखते हैं और यही नहीं, हमारी सरकार के हमारे इस सदन के एक एक सदस्य देखते हैं । पर फिर भी वह निरीक्षण और परीक्षण हमें मदद नहीं करता ।

हम जानते हैं कि पुलिस हमारी रक्षक है । पर फिर भी हम उससे आतंकित होते रहते हैं । लाल पगड़ी का जैसा रौब पहले परतन्त्रता के दिनों में था उसमें किसी भी अंश में कोई परिवर्तन आज भी नहीं आया है । आज भी यह लाल पगड़ी भय का कारण जनता के लिये बनी हुई है । आज भी मजिस्ट्रेट स्वयं पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं कह लिख सकता । किसी एक आध की बात छोड़ दीजिये हालांकि उसका भी परिणाम उसको मिलता है । तो आज भी पुलिस से सुरक्षा की आशा नहीं कर सकते हैं । तो पुलिस को जिस तरह की आशा और विश्वास का केन्द्र और सहारा जनता का बनना चाहिये । स्वतन्त्र देश में उसका

(डॉ० चन्द्रकला)

आज भी नितान्त अभाव हमको हमारी पुलिस में दिखाई पड़ता है। तो आवश्यकता तो आज इस बात की है कि पुलिस सच्चे अर्थों में रक्षक बने। पर आज वह रक्षक नहीं है, यह हम महसूस करते हैं और यदि इस दृष्टि से इस संकल्प में ज़रा सी भी भावना है तो इसकी कदर हमको करनी चाहिये। पर इसका भी रास्ता दूसरा है। पुलिस के अत्याचार तो नहीं कहना चाहती पर यह जरूर कहना चाहती हूं कि पुलिस से जनता आतंकित है। आतंकित करने वाले आततायी जमात के रूप में जनता पुलिस को देखती है।

दूर की बात जाने दीजिये लेकिन जयपुर शहर के बारे में मैं कई बार कह चुकी हूं कि जो राजधानी है, जहां हमारे गृह मंत्री महोदय निवास करते हैं, यहां पुलिस का हैडक्वार्टर है, जहां पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी रहते हैं वहां भी पुलिस से रक्षा नहीं मिलती, न कस्टड़ी वालों को न जनता को, यहां भी पुलिस से जनता अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती है। न केवल असुरक्षित ही हैं बल्कि उनकी रक्षा को खतरा ही पुलिस वाले पहुचाया करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जयपुर शहर में आधी आधी रात तक लोग फीचर का सट्टा खेलते हैं और इसमें उनकी हमारी पुलिस वालों से मिली भगत होती है। उनकी बन्धी हुई राशि बराबर थाने पर अमुक तारीख को पहुँच जाया करती है और नतीजा क्या होता है। जनता दुःखी रहती है पर किसी तरह का कोई असर उन पर नहीं होता है। कुछ दिन पहले नाथूसिंह हवलदार की कहानी हमारे जयपुर शहर में बिलकुल खज़ाने वालों के रास्ते में घटी, इसकी बराबर सूचना पुलिस अधिकारियों को और थाने को दी गई पर नाथूसिंह पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्यों नहीं होती है कोई कार्यवाही? क्योंकि पुलिस ही पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने वाली है। होना तो यह चाहिये कि पुलिस इतनी कर्त्तव्य परायण हो, उसमें अपने कर्त्तव्य की इतनी भावना हो कि कोई भी व्यक्ति क्यों न हो उसको अगर वह अपराध करता है। तो उसी प्रकार अपराधी मानकर दन्ड दिया जाय जितना किसी भी अपराधी को दिया जाना चाहिये। फिर चाहे वह पुलिस का ही आदमी क्यों न हो, कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। इसके बजाय आज तो पुलिस उनको संरक्षण देती है। छोटी मोटी बात हो तो भी कोई हर्ज नहीं, उनकी तो बात जाने दें पर बड़े से बड़े मामले को, बड़े बड़े अपराध को बड़ी से बड़ी बात को यदि कहीं से उनके नोटिस में लाया जाया या उसके ध्यान में आ जाय तो पुलिस उस को दबाने की कोशिश करती है, उसको प्रकट में लाकर दण्ड देने की नहीं। इसलिये मेरा यह ख्याल है कि हमारी सरकार आज अपराधों को खोजने के लिये वैज्ञानिक तरीकों को, मनोवैज्ञानिक रास्तों को खोजने की, उन्हें अपनाने और विकसित करने की फिकर नहीं करती है। क्योंकि इसकी आवश्यकता उसे नहीं महसूस होती। आज पुलिस का सिपाही हमारे लिये बिलकुल रक्षक के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा।

तो मैं यह कहूँगी कि जहां तक संकल्प की भावना का सवाल है इसका समर्थन करना चाहिये पर साथ ही अपनी सरकार से निवेदन करूंगी कि इस पुलिस को सच्चे अर्थों में जनतन्त्रीय सरकार की पुलिस का रूप दें और न केवल और न केवल कस्टडी में आने

(डॉ० चन्द्रकला)

वाले लोगों को बल्कि जन जीवन को पूरी पूरी सुरक्षा और शान्ती रक्षा के लिये आश्वस्त बनावें ।

निश्चय ही कस्टडी में रहने वाले लोगों पर होने वाले अत्याचारों की बातें रोमांचक होती हैं, वहां शारीरिक जितनी भी यातनाएं दी जाती हैं जहां तक इनको रोकने का सवाल है । मैं और मेरे साथ ही सारा सदन इससे सहमत है । पर इस संकल्प द्वारा उस उद्देश्य को रंच मात्र भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसी मुझे आशा नहीं बनती है । इसलिये मैं जहां तक पुलिस को सच्चे अर्थों में पुलिस बनाने का सवाल है । इसका तो समर्थन करती हूँ न केवल समर्थन बल्कि पुरजोर शब्दों में प्रस्ताव करती हूं कि इसके लिये सरकार को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये । लेकिन क्योंकि इस संकल्प से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नही होती है इसलिये इसका विरोध करती हूं ।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : सभापति महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का प्रश्न है जैसे अभी माननीय सदस्या ने कहा कि इसकी भावना स्पष्ट नहीं है, आशय स्पष्ट नही है, इस पर दो शब्दों में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भावना बिल्कुल स्पष्ट है, जहां तक मैं समझ पाया हूं । अगर पुलिस की एट्रोसिटीज़ के बारे में कहा जाय तो सदन का कोई भी सैशन या कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं बचता, जिस दिन उसका जिक्र सदन में नहीं होता और जो कुछ जिक्र यहां किया जाता है । वह भी पुलिस की एट्रोसिटीज के खिलाफ इसलिए नहीं कहा जाता कि यहां पर सदस्य लोग इस भावना को लेकर बैठे हैं कि चोर डकैत या इस तरह के लोगों के साथ कोई ज्यादती होती है और ये सब मेम्बर उनको डिफेन्ड करने को बैठे हों । जहां तक मेरा निजी प्रश्न है । किसी हद तक इन लोगों के साथ अगर एट्रोसिटीज होती हैं, पुलिस कस्टडी में तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि बदमाशों को ठीक करने के लिये कुछ तरीके छोटे अपनाने पड़ेंगे जैसे कि पुरानी कहावत है To catch a thif, set a thief. ऐसी स्थिति में जो पुलिस के खिलाफ आवाज उठती है वह चोरों और डकैतों को दुरुस्त करने के जो वे तरीके अपनाते हैं उनके खिलाफ नहीं है ।

यह जो प्रस्ताव आया है मेरा जहां तक विचार है वह इस भावना को लेकर आया है कि पुलिस इन चोर और डकैतों की आड़ के पीछे भले आदमियों को भी तंग करती है और उन भले आदमियों को तंग करने के बहाने चोरों और डकैतों से मिलना होता है । खास तौर से मैं यह कह सकता हूँ कि इस भावना के पीछे पुलिस वाले कई आदमी आखिर आप और हम जैसे ही हैं । लेकिन उन्हें भी किसी दबाव में किसी तरक्की की चाह में, किसी को खुश करने के लिए करना पड़ता है । बहुत से राजनैतिक बन्दी होते हैं उनको भी तंग करते हैं । वहां न उनको बरामदगी करनी होती है न आइडेन्टीफिकेशन का प्रश्न वहां आता है लेकिन उनको भी तंग किया करती हैं पुलिस । आप कहेंगे कि ऐसी बात तो आम तौर से विरोधी पक्ष की तरफ से सुनते हैं । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, अभी हाल का किस्सा है कि एक कम्यूनिस्ट मेम्बर को जेल के अन्दर मारा गया, काफी बुरे तरीके से मारा गया । मारने के बाद में इन्सपेक्शन के

Page No.62

(श्री होतीलाल)

लिए वहां एस. डी. एम. पहुँचे । उसने वहां चिल्ला कर जैसा भी तरीका वह अख्तियार कर सकता था किया । उसने उनको जेलवाले मिलने देना चाहते नहीं थे, पर उसने चिल्लाकर एस. डी. एम. का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया । एस. डी. एम. पहुँचे । उसने कहा कि मेरे पर कौनसी ऐसी चीज़ जो कि भावना पुलिस तक ही थी । वह यहां जेल में भी पहुँच गई है । उसने यह कहा कि मुझे यहां बुरी तरह पीटा गया है, मेरा डॉक्टरी मुआयना कराया जाय । अब यह कस्टडी चाहे पुलिस की हो, चाहे जेल की हो । सब के लिये इस प्रस्ताव को लागू किया जावे तो बुरा नहीं होगा । अब उसको सबके सामने डॉक्टरी मुआयना कराना पड़ा । इसके बाद जब वह बाहर आया तो डॉक्टरी मुआयने की नकल लेकर कानूनी कार्यवाही करने का इरादा किया उसने । पर उसे डॉक्टरी मुआयने की नकल फीस देने पर भी नहीं मिल सकी । मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे उसको वह डॉक्टरी मुआयने का सर्टिफिकेट दिलवा दें । उस एस. डी. एम. ने कहा कि उसने सब कागज सिटी मजिस्ट्रेट को भेज दिये । सिटी मजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि हमारे यहां कागजात नहीं हैं । कहने का मतलब साफ है जेल ऑथोरिटी फाल्ट पर है । डॉक्टरी मुआयने की नकल उसको देते हैं तो उन अधिकारियों पर आंच आती है । इसलिए अब यह तरीका वे अपना रहे हैं कि नकल उसको न मिल सके और जिससे कि वह कानूनी कार्यवाही कर सके । तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे इस प्रस्ताव की भावना बनी है ।

इसके अलावा दूसरी ओर भी चीजें हैं जिससे जनता को और विरोधी की एक तरह की जो पुलिस में निष्ठा होनी चाहिए वह उठती चली जा रही है ।

अब जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसका कोई रचनात्मक सुझाव होता तो बड़ा अच्छा होता । मैं पूछता हूं रचनात्मक सुझाव विरोधी पक्ष से यहां न आकर सत्ता ग्रुप से आया होता तो आप एम. एल. एज. को और सरपंच को यह पॉवर देना उचित मान लेते । पर आज चूंकि विरोधी पक्ष से आया है इसलिए कहते हैं एम. एल. एज. को या सरपंच को पॉवर देने से क्या फायदा ? ये तो सारे अधिकार सी. आर. पी. में दिये हुए हैं । एस. डी. एम. को लिख सकते हैं, एस. डी. एम. की अदालत में जा सकते हैं वहां जमानत की दर्ख्वास्त दे सकते हैं, वहां शिकायत की जा सकती है पर एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इस राजस्थान की सरकार और इसकी मशीनरी पर से यह भावना लोगों में घर करती चली जा रही है कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, मजिस्ट्रेट लोग भी जो हैं वे उन लोगों से जो पार्टी पॉवर में दबाये जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जो एस. डी. एम. को अख्तियारात हैं । उनमें भी विश्वास नहीं रह गया है लोगों को । मैं तो यह कहूँगा कि जब एक पार्टी के लोगों को इतने अख्तियार मिले हुए हैं । फिर दूसरी बात यह भी है कि आधा तो यह रेज्योल्यूशन इम्पलीमेंट है । सिर्फ विरोधी पक्ष की वजह से डर लगता है । वरना कांग्रेस वाले किस थानेदार को एप्रोच नहीं करते, किस एस० पी० को एप्रोच नहीं करते, उनके लिए तो रेज्योल्यूशन फोर्स में पहले से ही है । पर वह

(श्री होतीलाल)

चाहते हैं कि यह मोनोपोली उन्हीं को रहे, इसको कानूनी रूप न दिया जाये। मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब को चेलेन्ज करूंगा कि उनकी नालेज में यह फैक्ट है कि एस० पी० भरतपुर को ८-३-५६ को, बाबू राजबहादुर एक जिम्मेदार आदमी हैं, मिनिस्टर हैं अपनी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir. The Hon'ble. Member who is raising this issue, has he given notice that he will raise this issue in the House?

श्री सभापति : There is no need of it.

श्री श्रीभानसिंह : It is very relevant. The Chair has given a ruling already that Hon'ble. Members must give previous notice whenever they wish to raise any matter against a person who is not a member of this House.

श्री होतीलाल : Let the Minister refuse it. I am saying a correct thing.

श्री श्रीभानसिंह : You never said correct things.

श्री होतीलाल : I think I am not in the habit of saying wrong things. तो मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री श्रीभानसिंह : I have raised a point of order. तो आपका निवेदन तक जारी रहेगा जब कि चेयर से कोई रूलिंग हो जाये।

श्री भैरोंसिंह : जिन माननीय सदस्य के बारे में जिक्र करना चाहते हैं, वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए उनको प्रियोर नोटिस देने की जरूरत नहीं है और ऐसा रूल्स में भी कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा जिक्र वह कर सकते हैं और इसके अन्दर किसी प्रकार की नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : चेयर की तरफ से इसी हाउस में रूलिंग भी हो गई है कि जो यहां के सदस्य नहीं हैं। उनके बारे में कोई टोपिक रेज़ नहीं किया जाये और अगर रेज़ किया जाये तो पहले नोटिस दिया जाये....

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि आज तक ऐसा रूलिंग नहीं हुआ है कि सदन के बाहर कोई व्यक्ति हैं। उसको पहले नोटिस दिया जाये और फिर यहां पर जिक्र किया जाये। रेवेन्यू मिनिस्टर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : The Rule is 233. "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose or reply"

The Hon'ble Member is making

Page No.64

(श्री सभापति)

certain allegations, I don't know whether they are defamatory or incriminatory. Only after I hear them, can I make up my mind.

श्री श्रीभानसिंह : Your honour, after an Hon'ble Member has already said a thing then the Chair makes up the mind, then what will be the position.

श्री सभापति : If it is defamatory, then the Chair can check him.

श्री होतीलाल : बहुत अदब और इज्ज़त के साथ मैं उन मंत्री महोदय के बारे में निवेदन करूंगा और मैं सभापति महोदय को आश्वासन देता हूं कि मैं डिफेमेट्री कोई चीज़ नहीं कहूँगा और जो इन्सीडेन्ट फैक्ट है उसके बारे में कहूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : Even if the incident is factually taken, I believe the Hon'ble. Member, though the Hon'ble Member has given me no opportunity, that even though it is factual, how is it relevant ? So I say that the point raised by the Hon'ble Member is absolutely and totally irrelevant.

श्री होतीलाल : मेरा जहां तक ख्याल है कुछ माननीय सदस्य को नाराज़गी है। यह इन्सीडेन्ड लोकल जगह का है, मैं वहां का हूँ, माननीय सदस्य भी वही के हैं और जिन मिनिस्टर साहब के बारे में बोलना चाहता हूं वह भी वहीं के हैं....

श्री सभापति : घर का ही झगड़ा मालूम होता है। आप (श्री होतीलाल) तो भाषा के सम्बन्ध में विशेष सावधानी रखें।

श्री होतीलाल : जहां तक रिलेवेन्सी का सवाल है। सदस्यों के दिमाग में इस रेज़ोल्यूशन को पेश करने की नौबत क्यों आई ? इसलिए मैं इसके बारे में अर्ज कर रहा था कि आधे लोग तो इस रेज़ोल्यूशन की भावना में काम करते ही हैं और इससे भी दस कदम आगे बढ़कर काम करते हैं। इस रेज़ोल्यूशन के द्वारा तो हमने यही मांग की है कि निरीक्षण कर सकें लेकिन वह तो... ,

श्री श्रीभानसिंह : Does this mean that the Hon'ble rable Member is frequently seen at the residence of the Kotwal. Bharatpur ?

श्री होतीलाल : बड़ी खुशी की बात है अगर आपको कोई कानक्रीट एग्ज़ाम्पल मिले तो मैं निवेदन करूंगा कि बड़ी खुशी के साथ इस सदन के सामने चीजें रखें मैं बर्दाश्त करूंगा और अगर गलती पर होऊंगा तो हाउस के सामने मैं जवाब दूँगा। पर इस तरह से जब कोई बोल रहा हो तो, बीच में बोलना कोई उचित बात नहीं है। but the incident I am referring, if in the same manner if he can say and he has full liberty to say in that way तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि वह स्टेशन पर मिलते हैं एस. पी. से....

श्री श्रीभानसिंह : I again rise. How is it relevant to the resolution in question ?

श्री भैरोंसिंह : रिलेवेन्ट है या नहीं यह तो कहने से ही मालूम होगा। स्टेशन पर कौन सी चीज़ हुई हैं जिससे कुछ चीज़ मालूम हुई है ! कौन सी बात डिफेमेट्री है यह तो सब तभी मालूम होगा जब कि कोई बात हमारे सामने आयेगी।

श्री होतीलाल : रिलेवेन्सी का सिर्फ इमेजीनेशन में ही ख्याल आ गया मेरी बात तो सुनते नहीं....

श्री श्रीभानसिंह : वह रेजोल्यूशन पढ़ दिया जाये। माननीय सदस्य का रेजोल्यूशन तो पढ़ा हुआ नहीं है क्योंकि एक महिने पहले आया था उस कन्टेक्स्ट में माननीय सदस्य यह बतायें कि यह कैसे रिलेवेशन है उससे।

श्री होतीलाल : I know the resolution well. तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि स्टेशन पर जब वह मिलते हैं तो एस. पी. को कहते हैं .

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, यह रेजोल्यूशन निरीक्षण का है। मिलने की बात तो स्टेशन पर कहीं पर भी नहीं है।

श्री होतीलाल : सुनते क्यों नहीं हैं, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री सभापति : The Hon'ble Member should not feel excited.

श्री होतीलाल : तो उन्होंने एस. पी. से कहा मिस्टर एस. पी.....

श्री श्रीभानसिंह : पुलिस कस्टेडी का रेजोल्यूशन है। स्टेशन पर बात हुई तो यह रेज्योल्यूशन से कहां तक सम्बन्ध रखता है। जो पॉइन्ट आप रिलेट कर रहे हैं वह इससे कोई मतलब नहीं रखता है। स्टेशन पर यह कहा या एट होम में यह कहा। अगर पुलिस कस्टेडी में यह कहा है तो, तो रिलेवेन्ट है अगर पुलिस कस्टेडी में कोई आदमी है तो ठीक हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : इसकी रिलेवेन्सी के बारे में ही बात रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य विरोध में इसलिए जा रहे हैं कि उनको इस प्रकार की घटनायें महसूस नहीं होती और वह महसूस इसलिए नहीं होती कि उसका इलेस्ट्रेशन सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपकी ओर से सरकारी काम में किस प्रकार से इन्टरफीयर किया जाता है और आपके साथ जो ज्यादती होती है वह नहीं हो....

श्री श्रीभानसिंह : उस रेज्योल्यूशन में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की तरफ से हस्तक्षेप होता है। जो रेज्योल्यूशन है वह यह है कि पुलिस कस्टेडी में निरीक्षण की पॉवर्स चाहे सरकारी पक्ष का एम. एल. ए. हो या विरोधी पक्ष का हो पंचायतों के पंच और सरपंचों को निरीक्षण की पॉवर्स दी जाये। उसमें न तो स्टेशन का प्रश्न आता है और न एट होम का प्रश्न आता है। उससे जो रेलेवेन्ट बात है उसका हवाला दे सकते हैं और स्टेशन वगैरह की बात बिल्कुल यहां इर्रेलेवेन्ट है वह यहां पर न कहें।

श्री होतीराम : तो मैं यह निवेदन कर दूं...

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री श्रीभानसिंह जी ने जो आपत्ति उठाई है वह इर्रलेवेन्सी के बारे में है । लेकिन जब तक यह चीज मेरे सामने नहीं आवे कि वे कहां तक क्या बोलना चाहते हैं । तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कहां तक इर्रलेवेन्ट है । लेकिन यदि कोई ऐसी बात कहेंगे तो मैं सावधानी रखूंगा और वे खुद मंत्री महोदय, के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगावें जो यहां नहीं हैं । जो बात रखें वह संयत शब्दों में रखेंगे यह आशा करूंगा ।

श्री होतीलाल : मैं निवेदन कर रहा था कि स्टेशन पर वे मिले और कहा मिस्टर एस. पी.

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, sir. उन्होंने जो कुछ कहा उनसे यह प्रूव करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने ओफिस का इन्फ्ल्यूएन्स काम में लिया ।

श्री होतीलाल : कहा. .

श्री श्रीभानसिंह : इसका मतलब यह होता है कि माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं । यदि आरोप को सोचते हैं तो रिजोल्यूशन से मतलब नहीं रहता ।

श्री होतीलाल : पहले उनसे नहीं मिले थे जब मिले तो कहा मिस्टर एस. पी....

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order sir, the Hon'ble. Member is again referring to that very incident on which I have raised an objecton...

(थप थपाहट)

श्री सभापति : I rule out that point of objection at this stage.

(थप थपाहट)

श्री श्रीभानसिंह : I will again submit Sir, that there is no relevancy to the resolution...

(विरोधी पक्ष द्वारा थप थपाहट)

श्री भैरोंसिंह : एक दफा चेयर से रूलिंग हो गया है तो इन्टरफियेरेन्स को रोका जाय ।

श्री सभापति : Hon'ble Member is saying something which may be irrelevant and then we can cheeck him, but at this stage how can we decide whether he is going to say anything relevent or irrelevent ?

श्री श्रीभानसिंह : I will submit Sir. . .

(विरोधी पक्ष द्वारा थपथपाहट)

श्री श्रीभानसिंह : I will not sit down I have my right . . .

(विरोधी पक्ष द्वारा थपथपाहट)

श्री सभापति : Let him speak.

श्री श्रीभानसिंह : It is for the Chair to request the Hon'ble Members to allow me . .

Page No.67

श्री सभापति : Let him speak...

श्री भैरोंसिह् : एक दफा रूलिंग हो चुका है तो कोई सेन्स नहीं है।

श्री श्रीभानसिह् : I was saying Sir..

(विरोधी पक्ष द्वारा थपथपाहट)

श्री सभापति : Order, Order please.

श्री श्रीभानसिह् : I have my right Sir ...

(विरोधी पक्ष द्वारा थपथपाहट).

श्री सभापति : I will request the hon'ble Member from Bayana to please listen to the hon'ble Member coming from Bharatpur. So far as any allegations are concerned, I would take proper care and due attention to it that no defamatory allegations are made against the Hon'ble Minister of the Centre, but so far as relevancy or irrelevancy is concerned, the hon'ble Members speak in the House and somethings may be relevant and the others not relevant but that does no t give rise to a point of order. Yo may know something of a matter but the House does not know it.

श्री नरोत्तम लाल जोशी : I may be permitted to say something. Every Member in this House is free to say and free to express his views but then this freedom of expression implies a restriction of decency and if an hon'ble Member makes an allegation against a person who is not present on the floor of the House and who is not able to explain the things which may be alleged gainst him,then it will be proper to allow that hon'ble Member to say those things

Now it is for the Chair to see that in the contect of the speech which the hon'ble Member is giving whether he is going to say anything against the Union Minister which might need explanation and whether it contaions allegatins. I think the Chair shonld take notice of these things.

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : क्या भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो कुछ कहेंगे सोच विचार करके कहेंगे, डेफिनेट इन्फरमेशन के आधार पर विचार के साथ कहेंगे। जैसा कि कहा गया है। हमें कोई बात ऐसे माननीय सदस्य के विरुद्ध नहीं कहनी चाहिये जो सदन में नहीं हैं and I hop the honble Member coming from Bhartpur will take due care of it.

श्री होतीलाल : जहां तक उक्त सदस्य के यहां न होने का प्रश्न है मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर जितने भी इन्स्टान्सेज रेफर किये जाते हैं या कहे जाते हैं। ज्यादातर सदन के बाहर के लोगों के बारे में ज्यादा कहे जाते हैं और यदि इस चीज को स्ट्रिक्टली फोलो किया जायगा तो बात दूसरी हो जायगी और वे बातें यहां नहीं कही जा सकेंगी।

(श्री होतीलाल)

अब प्रश्न यह है कि जिस इन्सटान्स के बारे में निवेदन कर रहा था वह गलत है क्या ? यदि यह गलत है तो मैं जानता हूं, गलत कहने की कॉन्सीक्वेन्सेज को बर्दाश्त कर सकता हूं । लेकिन यह कहना कि एक सदस्य यहां नहीं है इसलिए उनके बारे में यहां कोई बात नहीं कही जाय, ठीक नहीं है । यहां कोई आदमी नहीं रहता, राजस्थान में जितनी घटनाएं होती हैं, पब्लिक ऑफिन्सेज राजनैतिक नेताओं के बारे में होते हैं । ये यहां नहीं रहते तो क्या हम उनके बारे में कोई बात नहीं कह सकते ?

मैं जो बात निवेदन कर रहा था वह यह थी कि उन्होंने एस. पी. से बात की वह पुलिस कस्टोडी में रहने वाले के और न रहने वालों के बारे में बात की, मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि इसकी रिलेवेन्सी इस रिज़ोल्यूशन से है । उन्होंने कहा कि आपके यहां इतनी चोरियां होती हैं उनमें आप सही आदमियों को नहीं पकड़ते, गलत आदमियों को पकड़ते हैं । मैं नहीं समझता कि मुझे बगैर सुने ही माननीय सदस्य कैसे कहते हैं कि मैं गलत बात कहूंगा । सभापति महोदय, यह इन्सटान्स मेरी नोलेज में है और आप के भी....

श्री श्रीमानसिंह : सभापति महोदय की नोलेज में है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति की नोलेज़ में होने के बारे में नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी नोलेज में होने की बात कह रहे हैं ।

श्री श्रीमानसिंह : Certainly what is in the knowledge of the Hon,ble Member is not in my knowleege.

श्री होतीलाल : मैं निवेदन कर रहा था कि एस. पी. ने कहा कि आप अर्ज क्या करेंगे, सिटीजनों की बात है, आप मिनिस्टर हैं, हुक्म दीजिये उसकी तामील करेंगे फिर उन्होंने कहा कि इस तरह की बात हो रही है, भले आदमियों को तंग करते हैं, इसके उत्तर में एस. पी. ने कहा कि आपने जो तरीका बनाया है उसी के आधार पर काम करते हैं, दो आदमियों को बुलाते हैं उनसे पूछते हैं, हम कोई ज्योतिषि तो हैं नहीं । इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है । अगर गलती मालूम होती है तो छोड़ देते है । आप पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, लेजिस्लेचर हैं, आप लॉ में अमेन्डमेंट कर दीजिये हम उसकी तामील करने लगेंगे । इस पर उन्होंने कहा कि आप की पुलिस में कोई सुनवाई होती नहीं, तकलीफ़ की राहत नहीं मिलती । आप देखिये मैं दरख्वास्त देता हूं, दरख्वास्त देने पर भी कुछ नहीं होता । दरख्वास्त देने वाला भी वहां पर था । मिनिस्टर साहब को सी ऑफ़ करने के लिये बहुत से लोग आये थे । दरख्वास्त देखने के बाद एस. पी. ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम थाने पर भी गये थे । दरख्वास्त लेकर तो उसने कहा कि थाने पर तो नहीं गया । ऑटोमेटिकली इस पर उनको फील हुआ, और होना ही था, वह थाने पर गया ही नहीं था, वे झुंझलाये क्योंकि प्लेटफार्म पर मिनिस्टर साहब ने उनको डाटा था । चीज रिकॉर्ड की है । वह यदि गलत चीज़ होगी तो होम मिनिस्टर साहब, हो सकता है आज उनकी नोलेज़ में नहीं लेकिन वे इसको फाइन्ड आउट कर सकते है अगर यह गलत बात है

(श्री होतीलाल)

तो वे इसको कांट्राडिक्ट करदें। सेन्टर के इतने बड़े आदमी एस. पी. को स्टेशन पर ओपनली सैंकड़ों आदमियों के सामने कहते हैं...

और इसके बाद रियुमर चलती है, एस. पी. का ट्रान्सफर हो गया, एस. पी. ट्रान्सफर हो गया। तो मैं कहता हूँ कि इस रिजोल्यूशन का आधा हिस्सा कैसे पास नहीं हो रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? मैं तो निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार से कि अगर सेन्टर का आदमी इस तरह इन्टरफियरेन्स करता है, जो उसके काबू के बाहर की चीज़ है, उसके जुरिसडिक्शन के बाहर की चीज़ है, उसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एप्रोच करना चाहिए। अगर यह चीज कन्टीन्यू रही, इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया तो मैं कह सकता हूं कि प्रजातंत्रवाद खतरे में है, आपका लॉ एन्ड ऑर्डर वैसे ही खराब है और खराब हो जायगा।

(करतल ध्वनि)

श्री श्रीभानसिंह : Democracy is in danger because independent members come.

श्री होतीलाल : खैर, आपको ऐसा ही नजर आयेगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यह पुरानी कहावत है। आपने अच्छे दिन गुजारे हैं, और गुजार रहे हैं, आपको ऐसा ही दिखाई देता है....

श्री श्रीभानसिंह : Your applicatiou is pending for coming in the party.

श्री होतीलाल : I think Sir it is a totally wrong allegation which he is making.

श्री सभापति : Order, please.

श्री होतीलाल : and, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि बातें सुनने की उन्हें आदत नहीं है और जो कुछ कहते हैं, वे गलत कहते हैं, इसलिए गलत, गलती हैं। मैं कह सकता हूं कि जो एलीगेशन उन्होंने लगाया वह सिर से पैर तक गलत है...

श्री श्रीभानसिंह : Ask your leader of the opposition, Raja man Singh and then say these things.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चार्ज लगाया है कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, उन्होंने इस बात का मोटिव इम्प्यूट किया है, कांग्रेस जोइन करने की बात कही है। मैं समझता हूँ कि यह मेम्बर पर चार्ज नहीं है फुलेरा को क्रोस करने के लिए चार्ज नहीं हो सकता, मगर पोलिटिकल मेम्बर के लिए जबरदस्त चार्ज है, और जो जबरदस्त चार्ज लगाया है, उसे या तो साबित करें या हाउस में विथड्रा करें।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि हर चीज़ को माननीय सदस्य गम्भीरता से न लें।

श्री भैरोंसिंह : If it is not a charge then he should take it back.

श्री श्रीभानसिंह : I come here to say things and not to withdraw things.

श्री भैरोंसिंह : झूंठ बोलते हैं, उनको झूंठ बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री होतीलाल : But does the Hon'ble. Member come here to say wrong thing.

श्री श्रीभानसिंह : Prove wrong.

श्री भैरोंसिंह : प्रूव करें। प्रूव करें, जिन्होंने कहा है। कोई तमाशा है।

श्री होतीलाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने कहा कि लीडर से पूछू। मेरा अपने लीडर में पूरा विश्वास है, और मेरे लीडर का मेरे में विश्वास है। यह प्रिविलेज़ आपने पाया है न आपका लीडर में विश्वास है और न लीडर को आप में विश्वास है।

(करतल ध्वनि)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब इस तरह की चीज होती है, जब एक पार्टी को प्रिविलेज मिलता हुआ नज़र आता है। तब विरोधी पक्ष के सदस्यों के दिमाग में यह चीज़ आई कि आखिर इस तरह की चीज़ कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को यह प्रिविलेज रहे, इसके साथ हमें भी प्रिविजन रहे तो क्या हर्ज है। अब मैं इस पर आना चाहता हूं कि सरकार इसका विरोध क्यों करती है। सिर्फ निरीक्षण ही तो करना है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें सिर्फ निरीक्षण के लिए है, कोई रेमेडी नहीं है। मैं कहता हूं कि अधिकार होवे निरीक्षण करने का, फिर रेमेडी की बात आती है। मैं कहता हूं कि जेल में रहने वाले कम्युनिस्ट का डॉक्टरी मुआयना हो गया, उसकी नकल और कागजात नहीं मिले। मैं कहता हूं कि यह राइट दे दिया और इस तरह का अत्याचार किसी आदमी के साथ हुआ तो कम से कम कागज नहीं खोयेगे। इस भावना को लेते हुए यह प्रस्ताव रखा गया। इसलिए मैं, सभापति महोदय, निवेदन करता हूं कि यह जो प्रस्ताव है, यह आज की आवश्यकताओं को, आज की परिस्थितियों का देखते हुए बिल्कुल उपयुक्त है और सदन से भी निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हैं। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आप डिसेन्ट्रला-इजेशन की बात करते हैं, फिर जरा से निरीक्षण से, डिसेन्ट्रलाइजेशन से क्यों घबराते हो ? तो फिर कौनसी चीज है, डिसेस्ट्रलाइजेशन करेंगे कैसे। मैं निवेदन करूंगा सभी सदस्यों को कि इस प्रस्ताव को बहुत जोर दार बहुमत के साथ स्वीकार करें।

श्री सभापति : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, जिस चीज को मैं यह समझता हूं कि उसके लिए निवेदन करने की आवश्यकता होती है, उस वक्त और उसी चीज को, मै निवेदन किया करता हूं। यह देखा जाता है कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, अनुमोदन करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जैसा पुलिस के वास्ते कहा गया है, विरोधी पक्ष की तरफ से ही नहीं लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी, यहां तक कि जो मंत्री महोदय यहां विराजमान है, उन महानुभावों को भी, कोई चीज़ इस प्रकार की हो कि जिसके लिए कुछ कहने की आवश्य-

(रावल नरेन्द्रसिंह)

कता अगर प्रतीत हो, तो उनको जरुर कहना चाहिए और इसके अलावा किसी चीज़ में अगर गलती हो या कमी हो तो इसको कहने का प्रत्येक माननीय सदस्य को और मुझे अकिंचन को भी निवेदन करने का हक हॉसिल है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बड़ी कठिन समस्या है कि किसी पार्टी का, किसी भी डिपार्टमेंट के कार्य का तारतम्य करते हुए यहां विचार करना पड़ेगा । इस भावना से विचार किया जाय कि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे विधान में गलतियां भी होती है, इसके लिए भी जिस चीज के सोचने की आवश्यकता होती है, वह है कि इसके वास्ते हमारे आफिस या उससे नीचे जो ऑफिसियल्स हैं, वे क्या रेमेडी कर सकते हैं। उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने भी कहा और उनके दिल के अन्दर अपोजीशन की पार्टी का भाव नही है, उन माननीय सदस्यों का भाव है कि पुलिस के अन्दर बहुत सी ऐसी गलतियां हो रही हैं, कि जिनका निरूपण के वास्ते, उनके लिए उपाय करने के वास्ते अत्यन्त आवश्यकता है। किसी भी पार्टी, किसी भी मंत्री महोदय को, किसी भी महानुभाव को इसमें बुरा मानना है, तो मैं इसे एक अप्रजातांत्रिक चीज मानूंगा, यह जरूर समझूंगा। मेरा निवेदन है कि जैसे कई उधर के बैठे हुए माननीय सदस्यों ने आज की पुलिस की कार्यवाहियों की गलतियों को बताते समय यह भी कहा कि आज से २०, ३० वर्ष पहले जो राजस्थान की और राजस्थान की ही नहीं प्रत्युत दूसरी ओर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस का साधन था, उसका जो कार्य था, उसमें भी बहुत सी कमियां प्राप्त होती थी । मैं यह निवेदन किये बिना नहीं रहूंगा कि किसी चीज़ को देखते वक्त यह ख्याल किया जाय कि पहले भी गलती थी, तो मैं नहीं मानूंगा । मेरा निवेदन यह है....

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लक्ष्मनगढ़) : पहले भी गलतियां थीं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तो समय बतायेगा।

श्री किशनसिंह बट्टड़ : आज के मुकाबले पहले भी गलतियां थी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उस समय जो कमियां थी, उससे भी वह चीज़ आज बढ़ सकती है। दुनियां में कम्पेरीज़न बहुत खतरनाक है और समझदार आदमी कम्पेरीज़न से बहुत दूर रहा करता है। इसके अलावा जो सही सुन्दर और सच्ची बात है, उसको कहने के वास्ते ही प्रयास किया करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जो बिल्कुल अपढ़ आदमी, और अपढ़ ऑफिसर उस वक्त कार्य करने वाले थे, जैसे ठाकुर साहब हरिसिंह, नारायण दास चांपावत थे । उदयपुर के पीछे के इतिहास को देखेंगे, वहा जगन्नाथसिह का नाम बहुत इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है । इसके अलावा बख्तावरसिंह, कानसिंह जोधपुर के थे। जो इस प्रकार के लोग थे। उनके कामों और कारनामों के बारे में कोई भी माननीय सदस्य कहे कि उनका काम ठीक नहीं था तो मैं इसको अनुचित मानता हूं....

पर किसी चीज़ को इस तरह से ढूंढना काफी नही है यह मानता हूं कि चोरों का का अत्याचारियों का, धाड़ायतियों का,

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

राजस्थान के ही नहीं भारतवर्ष के धाड़ायतियों का पुलिस ने बहुत कुछ नाश किया है, बहुत कुछ खात्मा किया है। मुझे थोड़ा सा राजस्थान का तजुर्बा है। मेरे पास भी कई वर्षों तक पुलिस और आर्मी के पोर्टफोलियोज़ एज्यूकेशन के अलावा मेरे पास रहे हैं····

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह तो एन्सियेन्ट हिस्ट्री है कि क्या आपके पोर्टफोलियोज थे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उस वक्त आप पैदा नहीं हुए थे, पैदा हुए भी तो पालने में झूलते थे। मैं कटाक्ष नहीं करता पर दूसरा करता है तो जवाब देने का मेरा हक है। किसी को बोलने तो दें, यह परिपाटी जो आपने अख्त्यार कर रखी है, यह भी गलत है।

हां तो मैं निवेदन कर रहा था कि मुझे भी राजस्थान का तजुर्बा है, मैं उस वैद्य को, हकीम को, डाक्टर को २० में से २० नम्बर नहीं दूंगा जो डॉक्टर किसी को खून खराबी की बीमारी है और फुन्सियां हो रही हैं, तो एक एक फुन्सी है, उसको काट काट कर उसका इलाज़ करता है तो वह डाक्टर नहीं है। मैं उस डाक्टर, वैद्य या हकीम को तरजीह दूंगा जो मुसफ्फी खून, खून को साफ करने वाली चीजें रोगी को देकर रोगी का खून साफ कर दे, जिससे आयन्दा फुन्सियां उठे ही नहीं। पर आज हम देखते हैं कि सारे मध्य भारत और राजस्थान के भाग हैं उनमें ५ बड़े धाड़ायती खत्म होते हैं तो १० धाड़ेती और पैदा हो जाते हैं। ५ फुन्सियां खत्म हो जाती हैं और १० फुन्सियां नई पैदा हो जाती हैं तो उस डाक्टर के इस इलाज़ की तारीफ मैं नहीं करता। तो मैं यह निवेदन करूंगा पुलिस मिनिस्टर महोदय को और चेयरमैन महोदय आपके द्वारा दूसरे मिनिस्टर साहेबान जिनके पास जितने कि और और डिपार्टमेंट्स हैं, कि वे इस प्रकार की चीजें पैदा करें कि जिसकी वजह से कि यह चीज़ ही पैदा नहीं हो और आयन्दा किसी तरह की दिक्कत न रहे।

भारत का वातावरण इस समय बहुत क्षुब्ध है, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के अलावा, इस तरफ बैठे हुए सदस्य हैं उनके हृदयों में वही आग देश के वास्ते, स्वतन्त्रता को रखने के वास्ते हैं। जो हमें महंगी स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, उसको कायम रखने के वास्ते है। जैसे भाव उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों के हृदयों में हैं उसी तरह के भाव हम लोगों में भी हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है, लाखों आदमियों ने हमको वोट दे कर भेजा है तो हमको संकेत करने का अख्तियार है, संकेत से फलीभूत नहीं हो तो और कोई अचिंत्य कदम उठाने का हक है, उस हक से प्रेरित हो कर एड्वाइज़ के तौर पर कहना है। जनसेवा को आपने ठेके में नहीं ले लिया है, हमारे भी ठेके में रही है। आज वक्त कहा जाता है कि पहले के ज़माने में अत्याचार होते थे वैसे आज कल हैं। एक सेठाणी लाखों रुपये का माल लिये हुए ऊंट पर बैठे हुए किसी स्टेशन से, शेखावाटी, जयपुर बीकानेर के इलाके में जा सकती थी···

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल गलत बात है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : लेकिन आज मेरे ख्याल से वह समय आ गया है कि जिनके पास शस्त्र मौजूद हैं, उनकी भी ताक़त

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

नहीं है कि मोटर में बैठ कर निशंक चले जायं, वे भी सोचते हैं कि शायद कोई दिक्कत पैदा हो जाय। मैं जो चीज कहता हूं वह सत्य है, चाहे वह कटु सत्य भले ही हो। पर सामने मौजूद है। मावली से आये हुए माननीय सदस्य···

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आ रहे हैं अब।

(हंसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आ रहे हैं इसीलिये कह रहा हूं, उनके सामने कहने के लिये ही रोक रखा था, ही शैल बेअर भी आउट। वे मुझे इसके वास्ते जरूर कहेंगे कि वाक्य में यह सही है, और बातें कही वह शायद गलत हों···'

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : चेयरमैन महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि गलत हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अरे भाई सुनो तो सही, उन्हीं के मावली के हिस्से में दो कोस के फासले पर जो कूंचोली के मानसिंहजी हैं उनका नाम सुना होगा।

श्री जनार्दनराय नागर : बहुत अच्छी तरह से जानता हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : एक अक्षर उन्होंने नहीं पढ़ा था। पर मजाल कि कोई चोर चोरी करके निकल जाय। एक छोटा सा राजपूत दुबला पतला, जयसिंह सुपरडेंट और देवीसिंह, और भी जिनके कारनामें आपने सुने होंगे बख्तावरसिंह, कानसिंह, मजाल है कि राजस्थान के अन्दर कोई चोर चोरी कर के निकल जाय। आप न कहें, वह पार्टी न कहे, मन्त्री मण्डल न कहे···

श्री जनार्दनराय नागर : यह बात आपकी सही है, पुलिस में मानसिंहजी के समय में सारा माल बरामद हुआ, पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से काम किया।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि मन्त्री महोदय और नीचे के अफसर हैं वे घबराते क्यों हैं इस बात से ? जब यह सवाल आता है कि हम लोग, तहसील पंचायतों के सरपंच और दूसरे सरपंच जिनको जनता ने चुन कर भेजा है, वे लोग यदि कई मामलों में पुलिस डिपार्टमेंट को यह बात बतावें कि यह चीज़ गलत हो रही है तो वे धन्यवादी होने चाहिये, न कि इस चीज़ का इस तरह से विरोध किया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझको खुद को ख्याल रहता है इस बात का।

तो इन सारी चीजों पर विचार करके माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि माननीय सदस्य ने जो यह संकल्प रखा है अच्छे भावों से, अच्छी परिपाटी से ताल्लुक रखता है, इसके लिये किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बराबर निवेदन करूंगा कि इस चीज़ में आज का मन्त्री मण्डल

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

चाहे कि हमसे दूसरे कोऑपरेट करें, हमें मदद दें, तो हमसे अगर मदद चाहे तो हम खुले दिल खुले हृदय से मदद देने के लिये आज तैयार हैं।

माननीय मन्त्री महोदय खुद भी जानते हैं कि कई दफ़ा ऐसी माहिर सेवाएं इस तबके ने भी की हैं। जैसा कि दूसरे माननीय सदस्य और दूसरी पार्टी ने की है। बेजा वक्त में ऐसे शब्दों से सम्बोधित करते हैं जो उन्हीं को शोभा देते हैं और वे शब्द हम लोगों को शोभा नहीं देते।

(श्री जनार्दनराय नागर और श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : अब मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

२. म० प०

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, सदन के सामने दो दिनों से यह प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिये ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नही। क्योंकि सदन में इस पर काफी विचार हो चुका है और इस पर काफी अच्छे २ विचार और अनुकूल और प्रतिकूल हो चुके हैं। अगर इस प्रस्ताव पर जरा विचार करें तो पहले मुझे ख्याल आता है कि क्या वर्तमान स्थिति जो कानून की है। उसमें हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। और दूसरा अगर किसी प्रकार से कर भी सकते हैं तो क्या करना चाहिये ? क्या इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करना देश के हित में होगा और जिस भावना से या जिस गर्ज से यह प्रस्ताव लाया गया है उसकी पूर्ति होगी या कहीं इससे ज्यादा देश को अहित तो नहीं हो जावेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो हमारा नियम है, हमारा कायदा है, उनकी मौजूदगी में यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब तक कि इन नियमों में कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो जाए। वर्तमान कानून की मौजूदगी में यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जो भी अख्तियारात सीआर. पी. सी. को दिये गये हैं उसमें नॉन ऑफिसियल विजिटर्स को कोई परमिशन नहीं है। आपको जेल में जाने का प्रोविजन मिल सकता है। लेकिन पुलिस कस्टडी में नोन ऑफिसियल विजिटर नहीं जा सकता। जब तक क्रिमिनल प्रोसीज़र वर्तमान स्थिति में है जो कानून सब जगह लागू है, जो अखिल भारतीय कानून है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिये मौजूदा जो कानून हमारा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता, और न ऐसा कहा जा सकता है कि उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया जावे जिसके द्वारा इसका प्रबन्ध कर दिया जावे। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रोविजन क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड में गवर्नमेंट को इस प्रकार के ऑर्डर देने का प्रावधान नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं या कोई ऑर्डर जारी किया जाता है, उसके द्वारा यह अधिकार दे दिया जावे कि पंच या सरपंच या एम. एल. ए. जाकर मिल सकता है, तो वह ऑर्डर शायद ठहर भी नहीं सकेगा। तो वर्तमान कानून की स्थित है वह यह है कि क्रिमिनल, प्रोसीज़र कोड का जो प्रावधान है उसकी मौजूदगी में यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा

(श्री रामकिशोर व्यास)

सकता। अब इसके साथ सवाल यह पैदा होता है कि मान लें कि यह नहीं हो सकता और बात वाजिब है, तो इसके लिये कानून में तरमीम करें। क्रिमीनल प्रोसीज़र की यह बात विचारने की है। सीआर. पी. सी.इस पर इस सदन में संशोधन और तरमीम किये जा सकते हैं और इस सदन का अधिकार है, वह कर सकता है। क्योंकि अपने यहां इसको concurrent subject माना है। अब आपके सामने यह प्रश्न है कि क्या इस प्रकार के कानून बनाना उचित होगा या इससे लाभ होने वाला है या कहीं देश को पीछे ले जाने वाला नहीं होगा और इससे ज्यादा हानि तो नहीं होने वाली है। सबसे पहले मैं यह निवेदन करूं कि भारतवर्ष में जितने भी प्रान्त हैं उनमें कहीं पर भी इस प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। राजस्थान ही पहला प्रान्त होगा, जिसमें इस संशोधन को स्वीकार किया, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि भारत वर्ष के बाहर भी कहीं पर भी ऐसा कानून नहीं है। सब की तो मुझे मालूम नहीं लेकिन कुछ की तो मुझे मालूम है। आप सीअर, पी. सी. जो हमारे यहां पर बना हुआ है वह ज्यादातर बाहर के कानून के आधार पर बनाया गया है और जिन जिन देशों की मुझे जानकारी है वहां पर इस प्रकार की बात नहीं है। जो चीज़ और देशों में और भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों में नहीं है और जो हमारे पार्लियामेंट में नहीं है, किसी भी धारा सभाओं में नहीं है उसको हम करें क्या? आप कर सकते हैं आपको अधिकार है। क्या उसका प्रयोग करना उचित होगा। मेरा यह निवेदन है कि यह उचित नहीं होगा। आपने पुलिस को जो अधिकार दिये हैं उन पर थोड़ा विचार करें तो आपको मालूम होगा कि इस तरह का प्रस्ताव पास करने की जरूरत ही नहीं है। मौजूदा जो पुलिस को अधिकार दिये गये हैं, वे एक कानून की तहत दिया गया है। सी.आर. पी. सी. में जो अधिकार दिये गये हैं वे किसी व्यक्ति के दिये हुए नहीं हैं। वे विधान सभा और पार्लियामेंट के द्वारा दिया हुआ है। उन्होंने पुलिस को दो तरह के अधिकार दिये हैं। एक तो बिना वारन्ट के किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के और दूसरे में बिना वारन्ट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यह भी धारा है कि जैसे ही वे किसी को गिरफ्तार करेंगे उसको जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। सीआर, पी. सी. में यह साफ़ है कि किसी की स्वतन्त्रता को हनन नहीं किया जावेगा और किसी को अन नेसेसरिली नहीं रोका जावेगा। यदि कोई पुलिस का मुलाजिम है और अगर वह कानून को तोड़ता है। तो वह भी उसी सज़ा का मुस्तहक है। जो दूसरे नागरिकों को दी जाती है। यदि उसने अपने अधिकारों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया या उसके खिलाफ़ वह कोई कार्यवाही करता है। तो उसके खिलाफ़ वही कार्यवाही की जानी चाहिये जो दूसरे कानून को भंग करने वालों के खिलाफ़ की जाती है। अगर किसी आदमी को बेजा तरीके से मारपीट करते हैं, या गिरफ्तार करते हैं तो इस सब का इलाज़ सीआर, पी. सी. में कर दिया गया है। अगर कोई पुलिस का आदमी कार्यवाही करे तो वह कानून के अनुसार ही कर सकता है और अगर किसी प्रकार कानून के खिलाफ़ कार्यवाही करता है। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जहां एक तरफ पुलिस को अधिकार दिया गया है वहां उस पर चैक

Page No.76

श्री रामकिशोर व्यास)

पर चैक लगाया गया है। मैं यह कहूँगा कि जगह जगह पर चैक लगे हुए हैं। जहां पर किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि जल्दी से जल्दी उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जावे। २४ घंटे में तो मजिस्ट्रेट के पास अवश्य ही पेश करना होगा। पुलिस को इस बात का अधिकार नहीं दिया है कि उसको रोक सके। वह सीआर, पी. सी. में अधिकार अदालत को दिये हैं। वह समझे अगर उचित समझे तो वापिस पुलिस को सुपुर्द करें या उसको सेन्ट्रल जेल में भेज़ सकते हैं। यह उसके डिस्क्रेशन पर है, उसके अधिकार में है, सारे वाकयात देख कर निर्णय दे सकता है। वहां पर भी अधिकार अदालत में वेस्ट है। अगर मजिस्ट्रेट यह मुनासिब समझे कि माकूल मुकदमा नहीं है, रिमान्ड दिया जाय या नहीं, वह मना भी कर सकता है, मुकदमा माकूल है तो दे सकता हैं, ज्युडिशियल लोक अप में भेज सकता है। १५ दिन से ज्यादा कोई मजिस्ट्रेट एक साथ रिमान्ड नहीं दे सकता है। १५ दिन में नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को छोड़ना पड़ेगा या और कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। पुलिस को गिरफ्तारी के अधिकार दिये हुए हैं, कस्टडी के अधिकार दिये है, हर कदम पर पुलिस पर चेक रखा है और अदालत को उनके लिए अधिकार दिये है। शुरु से अखीर तक क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में पुलिस की हर एक्टीविटिज़ के लिए अधिकार दिये गये हैं, हर चीज़को उसमें डिफाईन किया हुआ है, बयान के लिए भी कहा गया है कि अगर ड्युरेस में किसी क्रिमिनल द्वारा बयान दिये गये हैं। तो वे नहीं माने जावेंगे। अधिकार है मुल्जिम को कि वह अपने बयान आजादी के साथ देवे। यदि ड्युरेस के साथ बयान देता है तो नहीं माने जावेंगे। अगर उनकी दफाओं में जाऊं तो इससे अधिक समय सदन का लिया जा सकता है, जो मैं नहीं लेना चाहता। ये अधिकार क्रिमिनिल प्रोसिज़र कोड़ में दिये हुए हैं, हल भी मौजूद है, कही दुरुपयोग होता है तो उसका इलाज हो सकता है, रेमेडी मिल सकती है। रिमान्ड सीक करना है, तो क्रिमिनल प्रोसिजर कोड़ से ही करना पड़ेगा।

एक अधिकार और भी उसमें दिया हुआ है। हर मुल्जिम को अपने वकील के ज़रिये से पैरवी करने के अख्तियार हैं और इसका इम्प्लीकेशन यह है, कि हर वकील पुलिस की हिरासत में रहे हुए मुल्जिम से जाकर मिल सकता है, पुलिस की कस्टडी में कोई एक व्यक्ति है उससे मिलने के लिए उसका कोई वकील जाता है। तो पुलिस को मिलने की इजाजत देनी पड़ती है और वह जायगा। जो कानून है उसमें यह प्राव- धान है कि मुल्जिम का वकील जा सकता है, फालतू बातों के लिए नहीं किन्तु मुकदमें से सम्बन्धित बातें करने के लिए जा सकता है, बातचीत कर सकता है। इतने अधिकार तो अभी क्रिमिनिल प्रोजिजर कोड़ में हैं। इसके अलावा इस प्रकार की कोई शिकायत हो किसी आदमी के खिलाफ जो हिरासत में रहता है, कि पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दुरव्यवहार किया गया है, उसके साथ मार- पीट की गई है, उसके साथ इल्लीगल चीज़ की गई हो, जिस वजह से बहुत ज्यादा हैरसमेंट हुआ हो तो इन सब के लिए रेमेडी है कि मुल्जिम को २४ घंटे के बाद

(श्री रामकिशोर व्यास)

अदालत में पेश किया जाय और नोटिस में लाया जाय । अब यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि कौन नोटिस में लाये ? जो हिरासत में मौजूद है वह कैसे मजिस्ट्रेट की नोटिस में लावेगा ? तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि मुल्जिम खुद ऐसा करे, उसका कोई रिश्तेदार लाना चाहे तो ला सकता है और मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया है कि जिसके द्वारा शिकायत की गई है वह उसको बुला सकता है देख सकता है, इन्क्वायरी करवा सकता है, एग्ज़ामिन मेडीकली करवा सकता है Whatever is essential to the cause of justice. ये अधिकार दिये हुए हैं। इस अधिकारों के अलावा और कोई जरूरत रहती है और संशोधन की जरूरत रहती है जिसके द्वारा पंच, सरपंच और धारा सभा के सदस्यों को ऐसे अधिकार दिये जांय कि वे जाकर निरीक्षण कर सकें। मेरे ख्याल से, मौजूदा जो क्रिमिनिल प्रोसिजर कोड है उसमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उसकी धाराओं का प्रयोग करे, उसकी उचित जानकारी करे तो यह चीज़ हो सकती है । लेकिन असल में होता क्या है कि जो अदालत में रिलीफ मिल सकता है उसका उपयोग नहीं करते। सबूत दे नहीं और प्रमाण दे नहीं और चाहते है सजा हो जाय। दो रेमेडी हैं। एक आदमी है पुलिस को हिरासत में है। मान लें कि मुल्जिम को पुलिस के आदमी ने पीटा, जब बात आई । दो रेमेडी हैं। एक रेमिडी तो यह है कि पुलिस के अधिकारियों और गवर्नमेंट के अधिकारियों के यह बात नोटिस में लायी जाय कि इस तरह से पुलिस की हिरासत में अमुक को पीटा गया, मारा गया, वे रूल्स के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सबूत की आवश्यकता होती है, वे तहकीकात करते हैं। उससे आपको इत्मिनान होता है तो बहुत ठीक है नहीं होता है, यह ख्याल हो कि पुलिस के अधिकारी ने इन्क्वायरी की है, जैसा कि आम ख्याल बना हुआ है गवर्नमेंट क्या न्याय करेगी ? अपने आदमियों का उसके अधिकारी बचाव करेंगे । तो उसके लिए दूसरी रेमेडी है कि अदालत में जाकर चारा-जोई करे । आज हम करते क्या है कि अदालत में उस चीज़ को लेकर नहीं जाना चाहते। पुलिस ने दुर्व्यवहार किया किसी के साथ, किसी तरह ऑफेन्स किया है, अदालत में लेजा कर उसको पुट अप नहीं करना चाहते, कारण क्या है ? अदालत में पूरा सबूत देना पड़ता है। इसी लिए नहीं जाना चाहते कि वहां पूरा सबूत पेश करना होगा । गवर्नमेंट को तो खाली दर्ख्वास्त दे दी और काम चल गया । सबूत न हो और चाहते हैं कि सजा होनी चाहिये। जुडिशियल कोर्ट में तो पूरे सबूत मांगे जाते हैं और मुल्जिम को पूरा मौका दिया जाता है। यहां पर तो ज्युडिशियल कार्यवाही नहीं होती। शहादत तो यहां पर भी लेनी पड़ती है। शिकायत कानुन्दा न हो तो कई तरह की कल्पना हो सकती है । जैसे किसी व्यक्ति विशेष ने शिकायत की, उसकी गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश करेंगी कि क्या बात है, शील्ड करने या छिपाने की बात नहीं है, काफी कोशिश की जाती है और कार्यवाही की जाती है और कोशिश करने के बाद भी यदि आदमी को यह ख्याल रहता हो तो कि उचित नहीं किया, न्याय नहीं किया, तो उसके लिए दूसरी रेमेडी अदालत में ले जाने से ही मिल सकती है। वहां मामला साफ हो जाय। तो

(श्री रामकिशोर व्यास)

मैं यह कहा रहा था कि क्रिमिनल प्रोसिज़र कोड में पुलिस के खिलाफ शिकायतें आ सकती हैं, ऐसे प्रावधान है और जरूरत है उनके प्रयोग करने की, उपयोग करने की।

अब जो वर्तमान प्रस्ताव आपके सामने है उस पर थोड़ा विचार करें। कई भाइयों ने उस पर प्रकाश डाला कि वह किसी प्रकार का है। मैं समझता हूं कि अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तो प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन ही खत्म हो जाय। अब आप कहेंगे पुलिस तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन तो करीब करीब समाप्त हो जाय। फिर यह हो जाय कि पुलिस से अरेस्ट के अधिकार ही वापिस ले लें? अरेस्ट के अधिकार देते हैं और फिर उसमें दखल-न्दाजी करें, दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती यह हो सकता है, कि आप यह कह सकते हैं कि पुलिस ज्यादती करती हैं, उसको इन्वेस्टि-गेशन के अधिकार मत दो। लेकिन चाहते हो कि पुलिस अरेस्ट करे और फिर वही दखलअन्दाजी हो तो कैसे चल सकती है, दोनों बातें साथ साथ। फिर क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ। मैं डिफेन्ड नहीं करना चाहता। ऑर्डिनेरी केसेज़ में भी इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें इसी तरह इन्टरफियरेन्स होगा तो फिर इसका कोई पार भी नहीं पाया जा सकेगा। कैसे होगा यह मैं मुफस्सिल में अर्ज कर देता हूं।

मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा है। कई भाइयों ने इस पर कहा भी यह इतना वेग है, इन्डे-फिनिट है और जनरल टर्म्स में है। कैसे एक्सेप्ट करें, क्या महत्व दें और किस तरह से दें? मैं इस प्रस्ताव को तीन भागों में विभक्त करता हूं। पहला तो यह है। पहले तो यह कि मोटे तौर से जनता की शिकायत पर धारा सभा के सदस्य पंचायतों के सरपंच तहसील पंचायत के पंच को पुलिस की कस्टडी में रहने वाले व्यक्ति के निरीक्षण का अधिकार दिया है। पहले तो यह कि जनता की शिकायत पर जनता के कहने पर इन लोगों को अधिकार दिया जाय और अधिकार किस बात का पुलिस की कस्टडी में जो व्यक्ति हैं उसका निरीक्षण करें। ये तीन पॉइन्ट निकलते हैं। जनता की शिकायत पर यह बात होनी चाहिये। आम तौर पर देखने में यह आता है किसी आदमी को शिकायत हो एग्रीव्ड है उनको मौका दिया जाता है शिकायत पर कि फलां आदमी पर ज्यादती हुई हैं उसका इलाज होना चाहिये। इसका मतलब यह कि कन्सर्न जो व्यक्ति है, उसकी शिकायत हो सकती है किन्तु यहां तो जनता के कहने पर जनता में राजस्थान के डेढ करोड़ लोग हैं। उनमें से कोई भी कहे कि मुझे इस बारे में शिकायत है, तो उसके लिये आप जाइये और देखिये लेकिन एग्रीव्ड पार्टी को तो शिकायत है। नहीं फिर भी जनता के किसी आदमी के कहने पर जाना कहां तक उचित होगा। यह आप ही ख्याल फरमाइये। जनता की शिकायत जो रखी है उसमें ऐसा है कि किसी को किसी से नाराजगी भी हो सकती है और उस आपसी अदावत के कारण नारा-जगी हो सकती है। इस तरह से यह जो प्रस्ताव है वह इतना वाइडल और वेग है कि जनता की शिकायत पर यह होना चाहिये यह कहां तक मानने लायक है यह आप ही देख सकते हैं। आम तौर पर यह होता है जो पार्टी उससे कनेक्टेड है, उसको यदि शिकायत हो तो कुछ समझ में भी आ सकता है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

जिसका कोई कन्सर्न नहीं उन व्यक्तियों के द्वारा कहने पर भी निरीक्षण होना यह तो इसका फील्ड इतना वाइडन कर दिया कि इसका एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है । इससे आपसी बदले की भावना निकाल सकते हैं। एक एक पंच को लेगया दूसरा दूसरे पंच को लेगया । इस तरह से काम नहीं चल सकता।

दूसरा इसमें किनको अधिकार दिया है अब उस बात को लीजिये धारा सभा के माननीय सदस्य, तहसील पंचायतों के सरपंच को अधिकार देने की बात है। यह भी आपने अन्दाज लगाया, इस तरह से कितने आदमी होंगे अन्दाज लगाइये अपने यहां करीब ३७०० के करीब पंचायतें हैं मोटे तौर पर कह रहा हूं छत्तीस सौ सैंतीस सौ के आसपास हैं और २१० के करीब तहसील पंचायतें हैं १७६ अपन लोग हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : लोक सभा के सदस्य।

श्री रामकिशोर व्यास : लोक-सभा के सदस्य अभी तो इसमें हैं नहीं। इस तरह से चार हज़ार के करीब आदमी हो जाते हैं। इन चार हजार आदमियों को आप अधिकार दिलाना चाहते हैं। वे जनता के किसी भी आदमी की शिकायत पर कि फलां आदमी का निरीक्षण कर लिया जाय उनको निरीक्षण करने का अधिकार आप इस प्रस्ताव के ज़रिये दिलाना चाहते हैं। आप समझ लीजिये इसका इस्तेमाल किस तरह होगा इसमें कोई शर्त नहीं। जो तहसील पंचायत का पंच है चाहे उसके जुरिसडिक्शन में वारदात हो उसका वह क्षेत्र हो या नहीं हो। मान लीजिये सरपंच है एक तहसील का वाकया दूसरी तहसील में हुआ इसके अनुसार तो वह भी वहां जाकर वारदात देख सकता है निरीक्षण कर सकता है। मान लीजिये किसी दूसरे इलाके का पंच भी वहां आता है शादी के मौके पर तो उसको भी यह कहा जा सकता है कि आप भी चलिये और उस शख्श का मुलाहिज़ा फर्मा लीजिये। इस तरह से एक एक पार्टी को और दूसरा दूसरी पार्टी को लायगा, आपने किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। आपने इस तरह के अधिकार देने के लिये चार हजार व्यक्तियों को कह दिया है। इस तरह से चार हज़ार आदमियों की नई फौज आप करना चाहते हैं जो कॉन्सटेन्टली जाकर देख सके। इस तरह से होगा क्या कि आज एक व्यक्ति जाता है कल दूसरा और परसों तीसरा जायगा। मेरा मतलब यह है कि आप इतने बड़े और वाइडन अधिकार दे रहे हैं। इससे तो ज्यादा अच्छा यह है कि उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी से अलग कर दिया जाय तो ज्यादा उचित रहेगा। इतने आदमियों को इस प्रकार के अधिकार दे दें यह भी निर्धारित नहीं कि एक टाइम में कितने आदमी देख सकते हैं। वैसे तो आज भी जाकर देख सकते हैं पास जाकर देख सकते हैं और मुलाहिजा कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह चीजे हैं जो आप करवाना चाहते हैं उनका इम्पलीकेशन किस प्रकार होगा और आप किस तरह से इसका इम्पलीकेशन करवाना चाहते हैं, यह आपने किसी ने नहीं बताया। प्रस्तावक महोदय का कहना है कि जनता की शिकायत

(श्री रामकिशोर व्यास)

पर जाना चाहिये । जनता की शिकायत सभी तरह की हो सकती है मारपीट की शिकायत हो तो कोई बात भी लेकिन आप तो जनरल बात कर रहे हैं कोई भी शिकायत हो और जनता के किसी भी आदमी द्वारा यह कैसे हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : तो आपका मतलब यह है कि जनता को यदि इस प्रकार के पॉवर्स मिल गये तो उनका मिस यूज़ होगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि इसका मिस यूज़ होगा मेरा मतलब यह है कि इनवेस्टीगेशन में डिफीकल्टी आ सकती है !

श्री भैरोंसिंह : आप जिस प्रकार से एडवोकेट कर रहे हैं उससे तो यही मालूम देता है पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को अधिकार दिया गया तो वे पॉवर्स का मिस यूज़ करेंगे ।

श्री रामकिशोर व्यास : मिस यूज़ की बात नहीं, इसका प्रोपर यूज़ नहीं हो सकेगा और इनवेस्टीगेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है । क्योंकि एक जगह पर एक आदमी जाता है दूसरा आदमी भी उसी जगह जा सकता है वैसी हालत में जो तहकीकात उस व्यक्ति से करना चाहते हैं उसमें गड़गड़ी पैदा हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : आपका कहना है कि अन्-नेसेसरी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका मिस-यूज़ होगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं मिस-यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूं इन्डीविज्युअल व्यक्ति विशेष इसका मिस-यूज़ भी कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह चाहता हूं कि आप यह कह दीजिये कि पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव को ऐसा अधिकार दे दिया गया वे मिज-यूज़ करेंगे यह स्पष्ट कह दीजिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तो ऐसा नहीं कह रहा लेकिन मेरे कहने पर जो भी आप समझना चाहें समझ लीजिये । अगर इस प्रकार का नियम बनता है । तो मेरे ख्याल से प्रशासनिक कठिनाइयां काफी बढ़ेगी मेरा कहने का तात्पर्य यह है इसलिये ऐसा नियम नहीं बनना चाहिये । किस गरज से जाकर मिलेगा किसकी शिकायत पर जा सकता है इन सब बातों को मैंने जानने की कोशिश प्रस्तावक महोदय के भाषण से की । किन्तु उनके भाषण में इस प्रकार की कोई बात नहीं निकली जिससे यह कहा जा सके वे इसको किस दायरे तक रखना चाहते हैं । और भी माननीय सदस्यों के इस सम्बन्ध में भाषण हुए उन भाषणों में कुछ बातें जरूर मिली । उन्होंने यह भी कहा आज इस प्रकार का नियम लागू होता तो यह इस प्रकार नहीं होता । उन्होंने उदाहरण भी दिया किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु उसकी तीन दिन तक जमानत नहीं ली ऐसा नियम होता तो ऐसा नहीं हो पाता । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नॉनबेलेबल ऑफेन्स हो वैसी हालत में कैसे बेल ले लेते । अदालत यदि बेल पर छोड़ देती है तो बहुत अच्छी बात है । बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी

(श्री रामकिशोर व्यास)

कहा कि इस प्रकार का नियम हो जाता है तो पुलिस पर एक प्रकार से चेक रहेगा। अगर ऐसा नियम होता है कि इर्रेगुलेरिटी नहीं होगी। एक माननीय सदस्य ने यहां तक भी कहा कि एक केस में अदालत ने बेल ले ली जामीन मुकर्रर हो गया मुलजिम भग गया। जामीन के खिलाफ़ कार्यवाही हो रही है अगर ऐसा नियम होता तो यह देखने में नहीं आता मुलजिम नहीं भागता।

श्री भैरोंसिंह : किसने कहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बता दूंगा। तो इस तरह वेगनैस के बारे में कल्पना चलती है। यह हो जावेगा तो उसका सारा इलाज हो जायेगा। यह ठीक नहीं है तीसरा पॉइन्ट है निरीक्षण के बारे में। जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा कि निरीक्षण का क्या अर्थ ? अब क्या लाक-अप में जो बन्दी हैं। उसको बाहर अन्दर से देख लिया यही अर्थ है या उसका ताला खुलावेंगे, उस के कपड़े उतरवाएंगे, उसका वदन देखेंगे, कहीं चोटचपेट तो नहीं आई यह देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे इन्ट्रोगेट करेंगे या क्या करेंगे। इन्पेक्शन से ही नहीं परामर्श से भी आपका मतलब है या क्या। तो इसका कितना व्यापाक और सीमित अर्थ होगा यह डिफाइन नहीं है। यह समझ में नहीं आया। केवल देखकर चले आने से आपका मतलब हल होगा नहीं। इन्ट्रोगेशन से आपका मतलब कुछ हल होगा या नहीं यह भी नहीं कहा जा सकता, तो निरीक्षण से इन्ट्रोगेशन की स्टेज आई यह कस्टडी में रहते हुए कहां तक पोसीबल होगा और इसका प्रशासन पर कितना क्या असर पडेगा यह समझने की बात है। और यह सब कुछ हो गया, वाट आफ्टर देट ? वाट रिलीफ यू कैन आफेर। इसके लिये तो प्रोसीजर वही अडोप्ट करना पडेगा जो आज है। मजिस्ट्रेट के यहां एप्लीकेशन देनी पडेगी। तो यह एन्क्वायरी होनी चाहिये. यह रिलीफ मिलना चाहिये तो वह रिलीफ तो आज भी मौजूद है। देखने का राइट आज भी आपको है बशर्ते कि मजिस्ट्रेट को एप्रोच करें। कोर्ट में दिखा भी सकते हैं और एन्क्वायरी भी करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रोसीजर को एडोप्ट न करें। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि देखने से रिलीफ नहीं, बिना देखे मिलने का प्रावधान है ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्षमा करें, मैं थोड़ा समझा नहीं।

तो मैं तो यह कह रहा था कि उसमें जो उनको रिलीफ मिल सकता है वह आज भी मौजूद है, बशर्ते कि मजिस्ट्रेट के थ्रू जावें। प्रस्तावक महोदय की भावना शायद यह होगी कि जो कुछ कहीं कहीं ज्यादती की जाती है वह न हो। मेरा यह निवेदन करना है कि अगर यही रिलीफ़ आपको चाहिये तो इसका यह तरीका नहीं होगा। उस ओब्जेक्ट को अचीव करने के लिये और मीन्स अडोप्ट करने पड़ेगे और जैसा मैंने बताया दो मेज़र्स इसके हैं। इसके अलावा और भी बातें ऐसी हो सकती हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सदन के माननीय सदस्यों ने कहा, थर्ड डिग्री-मैथड के बारे में। उन्होंने ठीक कहा कि अब कहीं कहीं थर्ड डिग्री–मैथड यूज़ होते हैं और

(श्री रामकिशोर व्यास)

उनको सपोर्ट करने की कोई बात आती नहीं।

मैं निवेदन करूं कि अगर इस तरह के केसेज हमारे नोटिस में लाये जावें तो हम उस पर जरुर एक्शन लेंगे। और इस तरह से जो केसेज हमारे नोटिस में आये हैं, उन पर हमने एक्शन लिया है। इसके लिये मैं आश्वासन भी दे सकता हूं जैसे ही आप या और कोई साहब हमारे इल्म में इस प्रकार के मामले लावेंगे तो जरूर कार्यवाही करेंगे क्योंकि हम तो चाहते हैं खुद कि ये थर्ड रेटमैथड बन्द हों। किसी जमाने की चीज हो सकती हैं। पर आज के समय में अनुकूल नहीं पड़ते। जैसे एक सदस्य ने कहा कि चोरी करने वाले के हाथ कटा देते थे फिर क्या मज़ाल कि चोरी हो जावे। आज भी हाथ कटावें तो क्या मज़ाल दूसरे चोरी कर लें। पर डेमोक्रेसी में ये चीजें तो पार नहीं पड़ती। उस जमाने में कर सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : इस में भी ऐसा अमेन्ड-मेन्ट हो सकता था। हाथ कटवाने का प्रावधान आप कर सकते थे। मेजोरिटी आपके पास है। आपकी इच्छा हो तो उसका भी अमेन्ड-मेन्ट आ सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो हम स्वयं ही नहीं चाहते। करें भी तो कायदे कानून बनाने के बाद अपील कर देंगे। तो मैं तो प्रजेन्ट लॉ की बात करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार अच्छा समझती है तो मूव करें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने तो यह बताया कि उस जमाने में ऐसा किया जाता था। हम तो आज डेमोक्रेसी के साथ हैं। इसलिये वे बातें नहीं कर सकते जो पहले करते थे। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह के काम इस तरह के रास्ते आज भी कहीं कहीं अपनाते हैं तो जो लोग ऐसा करेंगे वह खिलाफ कानून होंगे, उनके खिलाफ़ हमारे नोटिस में आने के बाद कार्यवाही की जावेगी। पर एक बात मैं बताबूं कि ये थर्ड रेट मैथड पहले के मुकाबले में बहुत ही कम हो गये हैं। आप कहेंगे नहीं। पर मैं आपको बहुत यकीन के साथ कहना चाहता हूं फैक्ट्स फिगर्स के आधार पर कि पहले के मुकाबले में बहुत कम हैं।

फिर कहा गया कि आज मार्डर, डाके, चोरी हो जावे तो पता ही नहीं चलता था। पहले ऐसा था कि इसकी पब्लिसिटी नहीं होती थी। इस पर वाद विवाद नहीं होता था। जनता में जागरुकता नहीं होती थी। अधिकारों को लोग नहीं समझते थे। इसलिये ऐसा हो जाता था और एहसास ही नहीं करते थे लोग, लूट ले गये तो ले गये। दस पांच दिन में चुप हो गये। पर आज स्थिति अलग है। आज लोग जाग्रत हैं, पब्लिसिटी बहुत होती है, छोटा सा भी वाकया हो जाता है तो सारी जनता को जानकारी हो जाती है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उस वक्त एक भी चोरी पाये बिना नहीं रहती थी और आज तो मालूम होना ही मुश्किल हो गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : चोरियों तो उस वक्त भी होती थी और आज भी होती हैं। हमेशा से होती आई हैं। पहले इस तरह की बातें होती थीं कि रद्दी तरीके भी

(श्री रामकिशोर व्यास)

अधिक इस्तेमाल में आते थे। पर आज तो उनको हमें बन्द करना है। कम हुई हैं और आगे और भी कम करने को कोशिश होगी। इनको कम करने की बात एक दिन में तो हो नहीं सकती।

अब साइन्टिफिक मैथड की बात कही गई। धीरे धीरे इसको भी समझ रहे हैं, इन्ट्रोडयूस कर रहे हैं। यह काफी बडा विषय है और एक दिन में इस सारे विषय को कोई जान भी नहीं सकता। फिर मीन्स भी पूरे नहीं है। फोरिन कन्ट्रीज की आप बात करते हैं, उनको सदियां हो गई इसका प्रयोग करते करते और डवेलप करते करते। हमारे यहां आर्थिक कठिनाइयां भी हैं। अब यहां भी प्रयोग किये जा रहे हैं। धीरे धीरे हम भी उस स्तर पर आ जावेंगे। पर एक दिनमें, आप कहें सो होने वाला नहीं।

अब जनता के सहयोग की बात पर आता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस तो घृणा की प्रतीक है। अब अगर यह भावना जनता के दिमाग में फैले तो क्या होगा, और इस ख्याल की प्रतिक्रिया पुलिस में भी फैले तो जनता घृणा करती रहेगी, और पुलिस वाले भी ऐसा ही अपने बारे में सोचने लगेंगे और कोई आगे नहीं बढेगा। तो इसके बजाय आगे बढने के हम पीछे हटेंगे, समाज में इससे खराब असर होगा। एक वक्त था जब पुलिस से नाराज़ होने का कारण हो सकता था। उस वक्त हम पराधीन थे, दूसरे की सत्ता थी, उसको इस पुलिस की मार्फ़त सर्टन ऑब्जेक्ट अचीव करने होते थे और उसमें फिर पुलिस को सब तरह की बातें करनी होती थी। तो उस वक्त पुलिस से जनता की नाराज़गी वाजिब हो सकती थी। पर आज के जमाने में जब कि हम स्वाधीन है, सरकार आपकी है, आप जिसे बदल सकते हैं, जब सरकार बदलने तक का अधिकार जनता को है तो उसे आज पुलिस को बदलना क्या मुश्किल है। वह तो आज आपकी ही पुलिस है। अगर गवर्नमेन्ट को है वह तो भी आपकी ही है, गवर्नमेन्ट स्वयं आपकी है। अब उनके वैसे रिलेशन्स एस्टेब्लिश करने की बात है। दोनों के सम्बन्धं अच्छे बनें, एक दूसरे से ज्यादा नजदीक आवें।

इसके लिए दोनों ही ज़िम्मेवार है। पुलिस का भी फ़र्ज है कि वह अधिक से अधिक लोगों के सम्पर्क में आये और उनकी सच्ची सेवा करे। पुलिस का ऐसा काम है कि जिससे वह अधिक से अधिक लोगों के सम्पर्क में आ सकती है और क्योंकि उसके पास में अधिकार भी ऐसे हैं कि जिनके दुरुपयोग की सम्भावना भी हो सकती है। तो पुलिस का यह काम है कि जितने भी जनता के आदमी सम्पर्क में आयें उनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करे और ऐसा काम न करें, जिससे उनके खिलाफ कोई काम पड़ता हो। यही बात जनता पर भी है कि उनके दिमाग में जो एक सस्पीशन बना हुआ है कि वह उनको हैरान करना चाहते हैं। वह सन्देह भी उनको निकाल देना चाहिए और जैसा मैंने शुरु में कहा कि इन्डीविजुअल केसेज़ ज्यों ज्यों मेरे ध्यान में आयेंगे कि जिनमें पुलिस के आदमियों ने ज्यादती की हो तो जरूर इन्डीविजुअली तहकीकात करूंगा और सज़ा देनी होगी तो सजा भी देंगे। कोई छुपाने का सवाल नहीं है। इतना अर्ज करने के बाद में . .

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं

(श्री भैरोंसिंह)

थोड़ी सी इनफोर्मेशन चाहूंगा । बाकी के जितने भी चार्जेज़ लगाये हैं उन सब का जवाब दे सकना सम्भव नहीं है। लेकिन पिछली बार तीन चार दिन से जो कुछ सदन में पुलिस के ऊपर चार्जेज़ लगाये थे। उनका उत्तर नहीं आया और साथ ही साथ एक बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो डी. आई. जी. के सम्बन्ध में कहा और उसमें आपकी मौजूदगी बताई वह कहां तक सही है। कम से कम वह बात तो आपकी नालेज में है क्योंकि जब डी. आई. जी. ने कहा तो आप भी उस समय मौजूद थे तो क्या डी. आई. जी. ने कहा वह कहां तक सही है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपको अर्ज़ करता हूं। कई बातें तो आज कहीं गई और कई बातें पहले अर्ज की गई। उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ और कुछ बातें आज ऐसी कही गई जो कि नई हैं और उनके बारे में एक्शन लेने को कहा है सम्बन्धित अधिकारियों से और आज जो नई बातें कही गई हैं मैं उनके बारे में जानकारी करके बता दूंगा...

श्री भैरोंसिंह : पर यह बात तो डी. आई. जी. ने आपकी मौजूदगी में कही और यह पूरी तरह से आपकी नालेज में है।

श्री रामकिशोर व्यास : Nothing in my official knowledge.

श्री भैरोंसिंह : आपकी मौजूदगी वहां बताई है और उस मौजूदगी में डी० आई० जी० ने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं क्या वह उनका इस्तेमाल कर सकता है कि यू० पी० के डकैत यू० पी० में डकैती डालकर धौलपुर में शरण लेते हैं तो उसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं इसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता। हो सकता है इस प्रकार की बातें आई हों। मैं चाहता था कि अपन सब की हित में होता कि इस पर हम चर्चा नहीं करते। लेकिन आप चाहते ही हैं तो जरूर....

श्री सभापति : चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि यह चार्ज डी० आई० जी० पर नहीं है बल्कि डाइरेक्टली होम मिनिस्टर साहब पर है कि वह होम मिनिस्टर की मौजूदगी में इस प्रकार की बातें कह सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : It is not relevant.

श्री भैरोंसिंह : But it is relevant because it has been said by an Hon'ble Member who always says relevant things.

श्री रामकिशोर व्यास : Members Knows well

श्री भैरोंसिंह : आपकी मौजूदगी में यह बातें डी०आई०जी० ने कही और अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो समझा जायेगा कि बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह सही है।

श्री रामकिशोर व्यास : किस रेफरेन्स में क्या बात होती है उसको उसी तरह समझा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : आपके शब्दों में....

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रस्ताव में यह विषय नहीं है, इसमें क्यों पड़ें।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने यह कहा था कि गृह मंत्रीजी की मौजूदगी में डी० आई० जी० ने कहा कि यू० पी० के डकैत यू० पी० में डाका डालकर धौलपुर में शरण लेते हैं उसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें किसी चीज़ की इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं है। या तो होम मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए कि इन शब्दों को मेरे सामने कहा गया था या...

श्री रामकिशोर व्यास : मैं पर्सनली समझता था कि डिसकशन में एन्टर न हों तो अच्छा है लेकिन फिर भी आप एन्टर हों तो मैं कह सकता हूं। मुझे दिक्कत नहीं है। क्योंकि अव्वल तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात सारे रेफरेन्स और कॉन्टेक्स्ट में बयान करूं तो यह पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं होगा क्योंकि उसमें....

श्री भैरोंसिंह : जिस कॉन्टेक्स्ट में माननीय सदस्य ने कहा उसके अनुसार ही कह दें।

श्री रामकिशोर व्यास : इससे क्या फायदा। सारी भूमिका बतानी पड़ेगी। और सारे सदस्य मान लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जिस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा है उस कन्टेक्स्ट में सही है या नहीं है कि डी० आई० जी० ने आपकी मौजूदगी में यह बातें कही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह कह सकता हूं कि पब्लिक इन्टरेस्ट में इस चीज़ को और ज्यादा बढ़ना अच्छा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि पब्लिक इन्टरेस्ट में यह है कि सरकारी अधिकारी का इतना रुतबा नहीं बढ़ा है कि होम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में इस प्रकार की बात कही गई। डी० आई० जी० की इस प्रकार की हिम्मत बढ़ती है और डाकुओं को इस प्रकार का प्राटेक्शन मिलता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात को कहना पब्लिक इन्टरेस्ट में होगा और इसको छुपाना किसी प्रकार भी पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : शायद आप पार्लियामेन्टरी प्रोसीज़र से वाकिफ हैं।

श्री भानसिंह : But since I am not pursuing the point why are you replying ? I am quite capable of pursuing my point.

श्री भैरोंसिंह : What you have said in the House is in the possession of tho House.

श्री रामकिशोर व्यास : अगर मान लीजिए कि कोई बात किसी मिनिस्टर और ऑफिसर के बीच में आती है और उस सम्बन्ध में एम० एल० ए० भी बीच में

Page No.86

(श्री रामकिशोर व्यास)

आता है तो वह कॉन्फीडेन्शल है । and we are not disclosing it.

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि जो माननीय सदस्य ने कहा वह ब्रीच आफ़ कॉन्फीडेन्स था ।

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, आप क्या समझें ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि हाउस इस बात के लिए मजबूर है कि माननीय सदस्य ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वह बात बिलकुल सही है। डी. आई. जी. का इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना डाकुओं को प्राटेक्शन देने के बराबर है...

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री मदनसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाये ?

श्री भैरोंसिंह : फिर सभापति महोदय, इसके बारे में क्या समझा जाये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बहस हुई और माननीय सदस्य ने क्या कहा उसकी पूरी जानकारी नहीं है । लेकिन जो यहां पर यह बताया गया कि डी. आई. जी. ने कोई बात आपसे कही और किसी डकैत के सम्बन्ध में कि यू. पी. में करता है, यहां नहीं करता है । तो उस सम्बन्ध में हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें आईं । अब इसका पूरा बैकग्राउन्ड तो मालूम नहीं कि क्या बातें हुईं लेकिन यू. पी. में डकैती करते हैं और उसके लिए यहां पर एक्शन लेने के लिए क्या स्टेटेजी है और पुलिस क्यों एक काम को नहीं कर रही है । मैं समझता हूं कि यह सदन में चर्चा करना पब्लिक इन्टरेस्ट में ठीक नहीं होगा । इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर सारी डिटेल्स में जायें कि क्यों पुलिस नहीं करना चाहती है और क्या फैक्ट्स हैं वह सारी चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री सभापति : That is sufficient to give satisfaction. प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री मदनसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया

सदन की कार्यवाही स्थगित की जाने के पहले मैं सदन को एक सूचना दे दूं कि विधान सभा की जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के सदस्यों के चुनावों का कार्यक्रम इस प्रकार है ।

नामजदगी के पर्चों को पेश करना	२४ अप्रेल, १९५९
नामजदगी के पर्चों की जांच	२५ अप्रेल, १९५९
नामजदगी के पर्चों को वापिस लेना	२६ अप्रेल, १९५९
चुनाव	२७ अप्रेल, १९५९

Page No.87

(श्री सभापति)

सदन की कार्यवाही २२ अप्रेल, १६५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४.५० म० प० बुधवार दिनांक २२ अप्रेल के ८ बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार १६ अप्रेल, १९५९)

	स्कम्भ
तरांकित प्रश्नोत्तर	७७२४
करनपुर—खण्डार सड़क पर डामर ।	
सोने का तस्कर व्यापार ।	
ग्राम पंचायत जसरासर में बन रहे मिडिल स्कूल भवन की बाबत डायरेक्टर पंचायत के आदेश ।	
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ ।	
कस्बा सवाई माधोपुर स्टेशन की सड़क ।	
बीकानेर ज़िले के गांवों में गैर मकबूजा कंजड़ भूमि पर कब्जा ।	
पलौदड़ा से सराड़ा तक सड़क ।	
बारां नगर में बिजली घर ।	
बाड़मेर ज़िले में सस्ते धान की दुकानें ।	
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इकलेरा में नाबालिग लड़की की फरारी का प्रार्थना-पत्र ।	
की(Key) विलेज़ स्कीम ।	
आर.ए.सी.के.टी.बी. से पीडित सिपाहियों को इलाज की सुविधा ।	

	स्कम्भ
डिस्ट्रिक्ट वेटेरीनेरी हॉस्पिटल पाली ।	
Reduction in Electric Charges at Abu and Abu Road.	
कोटडा और गोगुन्दा तहसीलों की सड़कों का निर्माण कार्य ।	
वन विभाग के फोरेस्टरों का फिक्सेशन ।	
पंचायत विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का उनके ज़िले से बाहर ट्रांस्फर ।	
जयपुर म्युनिसिपल क्षेत्र में कुवों को बिजली ।	
सूरजपोल भरतपुर की जाटव बस्ती के विकास की योजना ।	
वन विभाग के अधिकार में भूमि ।	
बांसवाड़ा ज़िले की सिंचाई योजनाएं ।	
जोधपुर के सूरसागर व चांदपोल एरिया में पशु चिकित्सालय ।	

गैर—सरकारी संकल्प

७७६४

दिनांक ४ अप्रेल, १९५६ को श्री मदनसिंह, सदस्य विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित संकल्प पर अग्रेतर विचार किया गया:—

"इस सदन की सम्मति है कि सदस्य विधान सभा व तहसील पंचायतों व ग्रांम पंचायतों के सर-पंचों को यह अधिकार दिया जावे कि वे जनता की शिकायत पर पुलिस कस्टडी में होने वाले व्य-क्तियों का निरीक्षण कर सकें।"

इस पर की गई आज की बहस में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री श्रीभानसिंह
२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
३. श्री पी.के. चौधरी
४. श्री सोहनलाल भटनागर
५. श्री मोहरसिंह
६. श्री हीराभाई
७. डॉ०चन्द्रकला
८. श्री होतीलाल
९. रावल श्री नरेन्द्रसिंह

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री के उत्तर के पश्चात् संकल्प अस्वी-कृत हुआ।

बुधवार दिनांक २२ अप्रेल ५९ की कार्य सूची

१ बीकानेर से प्रकाशित 'इन्कलाब' पत्र के सम्पादकीय मंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव।

२ राजस्थान उपकर समाप्ति विधेयक ५९

(विचार विमर्श एवं पारण)

३ राजस्थान जागीरदार्स मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान (अतिम आज्ञाऐ वैधयक-रण) विधेयक, ५८.

(विचार विमर्श एवं पारण)

४ राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (दसवां संशोधन) विधेयक, ५८

(विचार विमर्श एवं पराण]

५ राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एन्ड प्रिवेन्शन ऑफ फेगमेंटेशन) संशोधन विधेयक, ५९

(विचार विमर्श एवं पराण)

६ अजमेर शामलात देह (रेगुलेशन) निरसन विधेयक, ५९

Page No.90

स्कम्भ

(विचार विमर्श एवं पराण)

७ राजस्थानग्रामदान विधेयक, ५६

(प्रवर समिति को)

स्कम्भ

८ राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, ५६

(खंडशः विचार विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०८६ का उत्तर देखिये)

उदयपुर जिले के कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसीलों में दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो सडकें ली गई उनकी सूची

१. ग्रेवलिंग रिमेनिंग माईलेज ऑफ खेरवाडा टू कोटडा रोड़।	१,५०,०००
२. ग्रेवल रोड फ्रोम सरूपगंज टू कोटडा रोड।	५२,०००
३. इम्प्रूवमेन्ट ऑफ बेड रीचेज ऑफ खेरवाडा कोटडा रोड।	४,००,०००
४. गीगरोद टू पिंडवाडा रोड।	३,६०,०००
५. पार्टली मेटल एन्ड पार्टली ग्रेवल रोड फ्रोम उदयपुर टू सोम वाया गोगुन्दा ओगना कोल्यारी फलासिया : पार्ट वर्क अप टू गोगुन्दा :।	१,६८,०००
६. ग्रेवल रोड फ्रोम उदयपुर टू सोम वाया जाडोल कोल्यारी एन्ड फलासिया।	६,००,०००
७. ग्रेवल रोड फ्रोम गोगुन्दा टू कोटडा रोड।	७,००,०००

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६४ का उत्तर देखिये)

LIST OF PUMP CONNECTIONS

LALKOTHI

S. No.	Service No.		Name.
1	15870	Shri	Ishwar Lal Sogani
2	6654,	„	Ram Prakash Ghalot
3	22204 (Night)	„	Durga Lal Suraj Mal
4	14473 (Night)	„	Har Bux Fateh Lal
5	16963	„	Laxmi Narain Parrash
6	6868	„	Chottey Lal Mistri
7	20058 (Night)	„	Ram Partap
8	16841	„	Chottu Kanhaya Lal
9	12810	„	Sunder Lal Tholia
10	12811		-do-

RAMPURA

S. No.	Service No.			Name.
1	23025 (Night)		Shri	Ram Kishan
2	12826		„	Surajmal Shah
3	17334		„	-do-
4	24815 (Night)		„	Kaju Mali
5	22877	„	„	Ram Shai Sharma
6	23004	„	„	Gulji Ram Sharma
7	23109	„	„	Nand Ram
8	23079	„	„	Gula

1		2		3
9	23220	„	„	Narain Lal
10	24945	„	„	Ishwar Lal
11	24953	„	„	Chanda
12	23851	„	„	Chittar
13	23068	„	„	Mangilal
14	23000	„	„	Bhairoo Lal
15	23001	„	„	Moti Ram
16	23027	„	„	Phool Chand
17	23023	„	„	Nansi Lal
18	23636	„	„	Ganesh Mali
19	23045	„	„	Bal Chand
20	14195	„	„	Nanu Lal Chandra Lal
21	12353	„	„	Jagdish Narain Lal Chand
22	14780	„	„	Kalyan Singh Risldar
GOPAL PURA.				
1	20971	(Night)	„	Nathu Ram
2	24887	„	„	Kalyan
3	24891	„	„	Mohadeo Sharma
4	24889	„	„	Chottey Lal Mali
5	24883	„	„	Chanda Lal Mali
6	17460	A	„	Sahdev Sharma
7	17460		„	-do-
BHOJ PURA				
1	13561		Shri	H. H. Farm Bhojpura
2	16671		„	Superintendent, Place

1	2		3
3	1691	„	Ganda Nalla Tube Well
4	1691 A	„	-do-
5	14326 (Night)	„	Shri Bhairon
6	11847	„	C. M. Banker

SEWAGE FARM & KARTARPURA.

1	16377		Shri	Amar Singh Gopal Singh
2	9542		„	Hira Lal Sharma
3	24841		„	Executive Engineer W/Works
4	14482 (Night)		„	Nandlal Guli Lal
5	14335		„	Madho Lal Mali
6	19527 (Night)		„	Ganesh Narain
7	24463	„	„	Dhana Lal S/O Mangilal
8	25061	„	„	Mangi Lal S/O Sawa Ram
9	14482	„	„	Nand Lal Mali
10	14537	„	„	Saitar Kumhbhat
11	15198	„	..	Mangal S/O Govind Ram
12	14543	..	..	Modho Kumabhat
13	14833	–	..	Shriram
14	8695	-	..	Laxmi Narain
15	8693		..	Chanda Lal
16	851		..	Bhawan Mangilal
17	6984		..	Gandilal
18	10480		..	Chotumal
19	14776 (Night)		..	Motiram
20	11037		..	Nandlal

1	2			3
21	3340		..	Thakur Gajgarh
22	5141		..	Thakur Har Nath Singh
23	14773	(Night)	..	Dhaul ji
24	14550	..	..	Sundarlal
25	20030	..	..	Nanu Ram
26	15865		Shri	Ram Lal Sharma
27	22987	..	..	Suva Lal
28	14771	(Night)	..	Kalyan Mali
29	14379	(Night)	..	Nathu Nandilal
30	13502	–	..	Nandram
31	13493		..	Govindram
32	20532	(Night)	..	Mangla
33	15849		..	Chouth Mal
34	13497		..	Bhorilal
35	14389	(Night)	..	Chunilal
36	134690		..	Suwa Lal Goshi
37	13496		..	Shitaram Goshi
38	16016		..	Gordhansingh
39	18378		..	Prabhudat Sharma
40	24465	(Night)	..	Mohanlal
41	13508		..	Mema Mali
42	23096	(Night)	..	Municipal Commission
43	23194	...		--do--
44	23193	..		--do--
45	15282	..	..	Kanhyalal Mali

1	2	3
46	15303	Bhorilal Sharma
47	13505	Kajor Mali
48	6362 .. ,,	Gulabchand Sharma
49	14497	Gopal Nath Sharma
50	20164	Indian Humi
51	6455 .. ,,	Nanulal Copal
52	9313	Gylhi Suwa Lal

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६८ का उत्तर देखिये)

सूची सिंचाई के तालाबों की सन् ५६, ५७ तथा ५७, ५८ में मरम्मत कराई गई जिला बांसवाड़ा

नम्बर	नाम तालाब
१	मलेपुर
२	बागीडोरा
३	बोलाना
४	मलवाड़ा
५	लोथा
६	कूचडा
७	तलवाड़ा
८	चान्डोली
९	मलनपुरा
१०	गोरली
११	महुडीपाडा
१२	नोवाना
१३	गोरडी
१४	बेजोर

सिंचाई के लिए तालाब तथा नहरें जो नये बनाये गये उनकी सूची

नम्बर	नाम तालाब	कैफियत
१	हीरा प्रोजेक्ट	
२	सुरवानिया प्रोजेक्ट	
३	घाटोल बिकन बियर नं० १	
४	घाटोल बिकन बियर नं० २	
५	घाटोल बिकन बियर नं० ३	
६	चढ़ाई	स्कीम बन रही है
७	असोरा मीर	कार्य चालू है
८	तन्दूजी का कुआ	स्कीम बन रही है

सूची तालाब तथा नहरें जिनमें सिंचाई हुई

नं० शु०	नाम तालाब व नहरें	संभावित सिंचाई एकड़ों में	सिंचाई एकड़ों में हुई
१	मलेपुर	२००	७५
२	बागीडोरा	२००	—
३	बोलाना	१२०	२२
४	मलवासा	१५०	२७
५	लोथा	१०६	३६
६	कूपडा	१००	५५
७	तलवाड़ा	११५०	६३५
८	पडोली गोबरधन	३००	१६७
९	पालनपुरा	१८८०	९३
१०	गोरडी	१८६	१०२
११	महेडीपाड़ा	६०	—
१२	नोगाना	२२०	—
१३	बोरडी बीचकी	२६०	२०६
१४	तेजोर	७०	४०
१५	घाटोल	२००	२००
१६	हारां	३८३०	४८०
१७	मुलानियां	४१००	—
१८	घाटोल बिकन बियर नं. १	२०	१०
१९	घाटोल बिकन बियर नं. २		

शुद्धि-पत्र

(१६ अप्रेल, १६५६)

स्कंभ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७७२४	५	श्री आवदि अली	श्री आबिद अली
,,	७	श्री आवदि अली	श्री आबिद अली
७७२८	अन्तिम से ४	SingifiCance	Significa nce
७७७०	७	of ths	of the
७७७४	१५	fo	of
७७७८	१	वि० स० के० रा० का नि० अधिकार	पुलिस कस्टडी में निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार
७७८०	४	legiity	legality
७८१६	अन्तिम से १३	हीती है	होती है
७८२७	१	१६ अप्रेल ५८	१६ अप्रेल, ५६
७८५१	१५	rable	कृपया विलोपित कीजिये
७८७४	१	१६ अप्रेल, ५०	१६ अप्रेल, ५६
७८८४	अन्तिम से १३	वदन	बदन
७६००	१	१६ अप्रेल, ५८	१६ अप्रेल, ५६
७६०२	१	१६ अप्रेल, ५८	१६ अप्रेल, ५६